रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062024-254799
CG-DL-E-19062024-254799

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946
No. 159] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2024

अंतिम जांच परिणाम

मामला संख्याः सीवीडी (एसएसआर) 10/2023

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एट्राजाइन टेक्निकल" के आयातों पर लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 07/26/2023-डीजीटीआर—1. मेघमनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे आवेदक अथवा एमआईएल भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से एट्राजाइन टेक्निकल (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू सब्सिडी रोधी शुल्क को जारी रखने और बढाने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करने के लिए घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया है ।

2. चीन जन.गण. से एट्रसजाइन टेक्निकल के आयातों संबंधी सब्सिडीरोधी जांच दिनांक 27 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. 06/19/2018-डीजीएडी के माध्यम से शुरू की गई थी । विस्तृत जांच के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष था कि चीन की सरकार द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को दी गई सब्सिडी प्रतिसंतुलन योग्य है और चीन जन.गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तु सब्सिडी वाली कीमतों पर है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है । अत: प्राधिकारी ने दिनांक 22 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 06/19/2018-डीजीएडी के माध्यम से चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के अयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की की सिफारिश की थी । वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 सितंबर, 2019 की अधिसूचना सं. 3/2019-सीमाशुल्क (सीवीडी) के माध्यम से निश्चयात्मक उपाय लगाए गए थे ।

3. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 (6) और सीमाशुल्क टैरिफ नियमावी 1995 के नियम 24(3) के अनुसार लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को यदि पहल न हटाया जाए तो वह उसे लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या ऐसे प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी प्राप्त आयातों के जारी रहने या पुनरावृति की संभावना है । इसके अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरो◌ा के आधारपर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है और क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से सब्सिडीकरण और क्षति के जारी रहने तथा पुनरावृति की संभावना है ।

4. आवेदक ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से यह आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एट्राजाइन टेक्निकल के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है ।

5. आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क के विरूद्ध प्रतिसतुलनकारी शुल्क को बढ़ाने की मांग की है। यह अनुरोध इस आधारित है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क समाप्त होने से देश में संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडी प्राप्त आयातों के जारी रहने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभवना है ।

6. घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत, चीन जन.गण. के आयातों के कारण सभी सब्सिडीकरण और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार संबद्ध जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/26/2023-डीजीटीआर दिनांक 29 दिसंबर 2023 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू सब्सिडी-रोधी शुल्क को जारी रखने की की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से सब्सिडीकरण और घरेलू उद्योग को को क्षति जारी रहने की संभावना है।

7. वर्तमान समीक्षा के दायरे में अधिसूचना संख्या फा. सं. 6/19/2018-डीजीएडी दिनांक 22 अगस्त 2019 के माध्यम से जारी अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलु शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

8. संबद्ध समीक्षा के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/26/2023-डीजीटीआर दिनांक 29 दिसंबर 2023 के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर सब्सिडी-रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की ।

ii. प्राधिकारी ने सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार जिसे आगे (एएससीएम कहा गया है) के अनुसार चीन की सरकार (जिसे आगे "जीओसी" कहा गया है) को आरंभिक विचार विमर्श के लिए के लिए अवसर प्रदान किया था। प्रतिनिधियों के साथ 27 दिसंबर 2023 को विचार-विमर्श बैठक रखी गई थी । तथापि, चीन की सरकार ने विचार-विमर्श बैठक में भाग नहीं लिया । अत: प्राधिकारी ने संबद्ध निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करने की कार्रवाई की ।

iii. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार भारत में चीन के दूतावास के जरिए जीओसी के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने लिखित में अनुरोध किया था, को आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध कराई थी । आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी दी गई थी ।

iv. प्राधिकारी ने संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, जीओसी और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हुए सार्वजनिक सूचना की एक प्रति और जांच शुरूआत अधिसूचना में विहित समय सीमा या बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर विहित ढंग और प्रपत्र में प्रश्नावली का उत्तर देने और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया।

v. प्राधिकारी ने निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अधिसूचना की प्रतियां भेजी थीं :

क. झेजियांग झोंगशान केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड

ख. शेडोंग कियाओचांग केमिकल कंपनी लिमिटेड

ग. शेडोंग वेफ़ांग रेनबो केमिकल कंपनी लिमिटेड

घ. सिनोचेम इंटरनेशनल क्रॉप केयर ओवरसीज पीटीई लिमिटेड

ड.. विलोवुड हांग्जो कंपनी लिमिटेड

च. हेबै बेस्टर कॉमर्स एंड ट्रेड कंपनी लिमिटेड

छ. शेडोंग बिनॉन्ग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

ज. हांग्जो कैयी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड

vi जीओसी से भारत में उनके दूतावास के माध्यम से अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था।

vii. संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है: क. ज़ियांगशुई झोंगशान बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ख. झेजियांग झोंगशान केमिकल्स इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड

क. जियांगसुई झोंगशान बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड।

ख. झेजियांग झोगशान कैमिकल्स इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड

viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं से आवश्यक सूचना मंगाने के लिए को आयातक प्रश्नावली भेजी थी:

क. अदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ख. एग्रो पैक

ग. धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड

घ. पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ड. रैलिस इंडिया लिमिटेड

च. ट्रॉपिकल एग्रोसिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

ix. अधिसूचना और प्रश्नावली का उत्तर देने केअनुरोध के जवाब में, निम्नलिखित आयातकों या उपभोक्ताओं ने इस जांच में पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लिया :

क. कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड.

x. तथापि, उसने प्रयोक्ता/आयातक प्रश्नावी या आर्थिक हित प्रश्नावली का उथ्तर नहीं दिया और मौखिक सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

xi. इसके अलावा, निम्नलिखित पक्षकारों ने जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

क. चाइना क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीसीपीआईए)

xii. प्राधिकारी ने जीओसी के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की थी। आर्थिक हित प्रश्नावली को रसायन और पैट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी), रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ भी साझा भी किया गया था। आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर केवल घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया।

xiii. हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई थी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश ईमेल कर दें।

xiv. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ लिए जांच की अवधि (पीओआई) जुलाई 2022 - जून 2023 (12 महीने) की है। क्षति अवधि में 2019-20, 2020-21, अप्रैल 2021 से जून 2022 (15 महीने) और जांच की अवधि शामिल होगी।

xv. सिस्टम महानिदेशालय से जांच अवधि (पीओआई) सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात के आंकड़ों की मांग की गई थी जो प्राधिकारी को प्रापत हुए । प्राधिकरण ने सौदों की आवश्यक जांच के बाद आगे के विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xvi. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध वस्तुओं की ईष्टतम उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) ज्ञात की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सब्सिडी मार्जिन से कम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का वर्तमान जांच के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले के अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

xviii. प्राधिकारी ने नियम 7(6) के अनुसार 12 मार्च 2024 को आयोजित मौखिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया था । मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद खंडन अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

xix. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों और जांच के दौरान विभिन्न हितबबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की वर्तमान जांच से उनके संगत होने और साक्ष्य द्वारा समर्थित होने की सीमा तक जांच की गई थी और इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने उचित ढंग से उन पर विचार किया है ।

xx. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, वहां गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

xxi. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या उसे समय पर उपलब्ध नहीं कराया है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया है।

xxii. इस अधिसूचना में *** चिन्ह किसी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

xxiii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 82.39 है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

9. विचाराधीन उत्पाद एट्राजाइन टेक्निकल (जिसे आगे एट्राजाइन भी कहा गया है) है। यह एक गंधहीन सफेद पाउडर होता है, जिसका प्रयोग केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड (सीआईबी) द्वारा यथा अनुमोदित विभिन्न प्रकार की विनिर्मितियों

को बनाने में किया जाता है। एट्राजीन विनिर्मितियों का प्रयोग फसलों, सदाबहार वृक्षों के फार्म, सदाबहार वनों की वृद्धि के लिए किया जाता है और फसल भूमि पर इसका छिड़काव होता है । इसका उपयोग राजमार्गों और रेलमार्गों के किनारे खरपतवारों को बढ़ने से रोकने के लिए भी होता है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में था।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है।

iii. पूर्ववर्ती जांच में प्राधिकारी द्वारा कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई गई थी।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा निर्यात की जा रही वस्तुओं के समान वस्तु हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार परिभाषित किया है:

''11. विचाराधीन उत्पाद "एट्राजाइन टेक्निकल" है, जो जो विभिन्न टैरिफ उपशीर्ष संख्याओं 38089199, 38089390 और 38089990 के अंंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। एट्राजाइन का वैज्ञानिक नाम 6-क्लोरो-एन-इथाइलएन' – (1-मिथाइलएथाइल)-ट्राइएजाइन-2, 4-डायमिन है।

एट्रेजाइन टेक्निकल को आम तौर पर खरपतवारनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है । यह एक ऐसीसमीक्राइटाइजाइन हबीसाइड है जिसे खरपतवार और घास-पात के व्यापक रूप से बढने को पहले और बाद में नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है । शुद्ध एट्राइजान एक गंध रहित सफेद पाउडर होता है, जो अधिक अस्थिर, प्रतिक्रियाशील, या ज्वलनशील नहीं होता है। इसे रसायान कारखाने में प्रयोगशाला के जरिए सिंसेथाइड किया जाता है और यह प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं बनता है। इसे अधिकांशत: खेती में गन्ना, मकई, अनानास, सोरगम, और मकेडामिया की फसलों पर प्रयोग किया जाता है और इसे राजमार्ग और रेल मार्ग पर खरपतवार को रोकने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसे फसलों के बढने से पहले फसल भूमि पर स्प्रे किया जा सकता है ।

12. एट्राज़िन टेक्निकल को एक प्रतिबंधित-उपयोग कीटनाशक (आरयूपी) के रूप में नामित किया गया है, और यह आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। आरयूपी, कानून के अनुसार, केवल सीधे पर्यवेक्षण के अंतर्गत प्रमाणित आवेदकों या व्यक्तियों को बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, और यह केवल आवेदक के प्रमाणीकरण में शामिल प्रयोजन के लिए होता है । यह विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे कि

क. 6-क्लोरो-एन-एथिल-एन '- (1- मिथाइलइथाइल) -ट्रायजिन-2,4-डायमिन;

ख. 2-क्लोरो 4-इथाइलामिनो-6-आइसोप्रोपाइलामाइन- ट्रायजिन;

ग. 2-क्लोरो 4- (इथाइलामिनो) -6- (आइसोप्रोपाइलामाइन) -एस- ट्रायजिन;

घ. 2-क्लोरो 4- (इथाइलामिनो) -6- (आइसोप्रोपाइलामाइन) - ट्रायजिन;

ड़. क्लोरो 4- (प्रोपिलामिनो) -6- इथाइलामिनो -एस- ट्रायजिन;

च. क्लोरो -4- (प्रोपेलामिनो) -6-एथिलामिनो-एस-ट्रायज़िन, आदि

इसके दायरे में विचाराधीन उत्पाद के सभी समानार्थी शामिल हैं।

13. जांच शुरूआत अधिसूचना में, प्राधिकारी ने निम्नानुसार नोट किया था:

''5. *वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "एट्रसजाइन टेक्निकल" (जिसे यहां आगे ''एट्राजाइन अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' भी कहा गया है) है।*

6. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में यथापरिभाषित के समान रहेगा।

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क अधिनियम की अनुसूची -1 के अध्याय 38 के अंतर्गत उपशीर्ष 38089199, 38089390 और 38089990 के अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे में किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

14. संबद्ध वस्तुओं को प्रतिबंधित उपयोग के कीटनाशी (आरयूपी) माना जाता है। तदनुसार, इसे केवल पंजीकृत केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (सीआईबी) विनिर्माता और वितरक द्वारा बेचा जा सकता है। किसी आयातक के पास संबद्ध वस्तु के आयात के लिए सीआईबी से आयात आयात लाइसेंस होना अनिवार्य है। सीआईबी पंजीकरण के बिना आयातित किसी भी उत्पाद को निषिद्ध माना जाएगा और कानून के उल्लंघन के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा उसे जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तु का आयात सीआईबी नियमावली के नियम 45 के अनुसार, कतिपय पत्तनों तक ही सीमित है।

15. प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद चीन से आयातित वस्तुओं के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन से आयातित वस्तु तकनीकी विनिर्देशों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु निर्धारित करते हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

16. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

क. आवेदक ने विदेशी उत्पादकों, यदि कोई हो, भारतीय उत्पादक के ब्यौरे और अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

17. उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू आवेदक ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. देश में संबद्ध वस्तु के चार उत्पादक हैं।

ख. आवेदक के पास कुल भारतीय उत्पादन का ***% हिस्सा है।

ग. आवेदक के पास एसईजेड क्षेत्र में एक संयंत्र है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं दिए गए हैं क्योंकि मूल जांच में, प्राधिकारी ने नोट किया था कि एसईजेड की इकाई को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

घ. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वह किसी देश में उत्पाद के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित सब्सिडी प्रापत पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

19. यह आवेदन मेघमनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तु के तीन अन्य उत्पादक हैं। अन्य उत्पादकों के उत्पादन का अनुमान आवेदक द्वारा बाजार सूचना के आधार पर लगाया गया है।

विवरण	इकाई	पीओआई
आवेदक	%	**60-70%**
मेघमनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	%	***
अन्य उत्पादक	%	**30-40%**
इनसेक्टीसाइड इंडिया लिमिटेड	%	***
जीएसपी क्रॉप लाइफ साईंस लिमिटेड	%	***
बेस्ट एग्रोचैम प्राइवेट लिमिटेड	%	***
कुल भारतीय उत्पादन	**%**	**100%**

20. यह नोट किया जाता है कि आवेदक का एसईजेड क्षेत्र में एक संयंत्र है। तथापि, जैसा कि मूल जांच में माना गया था, आवेदक की एसईजेड इकाई को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना गया है।

21. आवेदक के पास कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है और उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। अत: , प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक सीवीडी नियमों के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है और आवेदन नियम 6(3) के अंतर्गत स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

22. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. याचिका के अगोपनीय अंश में नियम 7 और व्यापार नोटिस संख्या 1/2013 दिनांक 9 दिसंबर 2013 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है।

ख. आवेदक ने खंड -VI में अपेक्षित सूचना नहीं दी है और औचित्य बताए बिना ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है ।

ग. वार्षिक रिपोर्ट के गोपनीय होने का दावा किया गया है, परंतु यह ऑनलाइन उपलब्ध है और शुल्क के भुगबतान पर एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध है।

ड.1 घरेलू उद्योग के विचार

23. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने नियम 7 और व्यापार सूचना 1/2013 द्वारा यथाअपेक्षित अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया है।

ख. खंड VI में दी गई सूचना व्यापार स्वामित्व की सूचना से संबंधित है । उसे हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया जा सकता है।

ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं वित्तीय विवरणों के गोपनीय होने का दावा किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान है :

"गोपनीय सूचना। (1) नियम 7 के, उपनियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 का उप नियम (2), नियम 17 का उपनियम (4) और नियम 19 का उपनियम (3) में निहित किन्हीं तथ्यों के बावजूद, नियम 6 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों अथवा जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना की प्रतियों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर इसके द्वारा ऐसा माना जायेगा और इस प्रकार की किसी सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह कह सकते हैं कि वे गोपनीय सूचना के तथ्य को उचित तरीके से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में, इस प्रकार की सूचना का सारांश

नहीं किया जा सकता है तब ऐसे पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा इस सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटन का अधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब यह इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकता है।"

25. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, वहां गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

च. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

26 अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन मुद्दे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. प्राधिकारी को यह न्यायसंगत बताना चाहिए कि (क) क्या उन्होंने सब्सिडीकरण के संबंध में साक्ष्यों की पर्याप्तता और सटीकता का आकलन किया है; और (ख) वह आधार जिस पर उन्होंने माना है कि याचिका में प्रत्येक आरोपित सब्सिडी के लिए पर्याप्त और सटीक सूचना दी गई है।

ii. प्राधिकारी ने उन कार्यक्रमों के संबंध में जांच शुरू की है जिनके लिए याचिकाकर्ता के पास उचित आरोप भी नहीं है । याचिकाकर्ता ने प्रतिसंतुल योग्य सब्सिडी वाले तीन तत्वों, की मौजूदगी अर्थात् (क) वित्तीय अंशदान, (ख) लाभ, और (ग) विशिष्टता को सिद्ध नहीं किया है।

iii. आवेदक द्वारा आरोपित अधिकांश सब्सिडियां बिना किसी वास्तविक साक्ष्य के केवल दावे हैं।

iv. उन्हीं सब्सिडियों के विचाराधीन उत्पाद पर लागू होने का आरोप लगाया गया है जैसे कॉपर ट्यूब और पाइप और इनके लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया गया है ।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

27. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं जो दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/उत्पादकों/उनके संबद्ध लोगों को चीन की सरकार द्वारा विभिन्न प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी कार्यक्रमों का लाभ मिला है, जो सामान्य निर्यातकों/उत्पादकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं और एएससीएम तथा सीवीडी नियम के अंतर्गत कार्रवाई योग्य हैं।

ii. प्राधिकारी संबद्ध कंपनियों की सूचना मंगा सकते हैं ।

iii. कुछ स्कीमों के अंतर्गत लाभ गैर-आवर्ती हैं और उनकी चीन में संबद्ध वस्तुओं के लिए औसत प्रयोग अवधि के संबंध में जांच की जानी चाहिए।

iv. चीन में संबद्ध उत्पाद में प्रयुक्त मशीनरी कीऔसत उपयोगी जीवन 10 वर्ष है।

v. निविष्टियों पर आयात शुल्क से छूट निर्यातित उत्पादों के लिए है और यह प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है तथा छूटों को केवल निर्यातित उत्पाद के उत्पादन पर दिया जाता है ।

vi. चीन की सरकार के पास निर्यातित उत्पाद के लिए खपत की गई निविष्टियों की पुष्टि करने के लिए एक प्रणाली होगी । यदि ऐसी कोई प्रणाली मौजूद नहीं है या कारगर रूप से लागू नहीं की जाती है, तो उससे छूट की संपूर्ण राशि का प्रतिसंतुलन योग्य हो जाएगी ।

vii. चीन की सरकार ने कोई उत्तर नहीं किया है/न ही कोई सार्थक सूचना दी है। केवल सरकार इस बारे में विस्तृत सूचना दे सकती है कि क्या स्कीम प्रतिसंतुलन योग्य है अथवा नहीं। प्रतिवादी निर्यातक केवल सूचना दे सकता है कि उसे लाभ प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं ।

viii. अन्य क्षेत्राधिकारों में जहां निर्यातक देश की सरकार सहयोग नहीं करती है, जाँच कर्ता प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करते हैं और स्कीमों की प्रतिसंतुलन योग्यता निर्धारित करते हैं।

ix. प्रतिवादी उत्पादक की एक संबंधित कंपनी जिसने मूल जाँच में भाग लिया था, ने वर्तमान जाँच में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

x. प्रतिवादी उत्पादक द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकृत करना चाहिए क्योंकि प्राप्त सब्सिडियों का पूरा ब्यौरा संबद्ध कंपनी की भागीदारी के बिना नहीं मिल सकता है ।

xi. उत्पादक ने संगत सूचना छिपाई है और पूरा उत्तर देने में विफल रहा है, जिससे उसके उत्तर को अस्वीकार करना उचित है।

xii. उत्पादक ने खंड II के लिखित प्रपत्र की पूरी तरह अनदेखी की है और सभी स्कीमों संबंधी सूचना नहीं दी है और यह नहीं बताया है कि वह उनके लिए वे कैसे पात्र है ।

xiii. यह स्पष्ट नहीं है कि झेजियांग झोंगशान नेसब्सिडी का लाभ लिया है जिसके लिए वह अयोग्य था।

xiv. प्राधिकारी को उपलब्ध सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की राशि बतानी चाहिए।

xv. निर्यातकों ने यह नहीं बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना या साक्ष्य सही नहीं है। घरेलू उद्योग ने जांच शुरूआत के लिए अपेक्षित पर्याप्त सूचना दी है ।

xvi. निर्यातकों ने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दर्शाया है जो (क) वित्तीय अंशदान, (ख) लाभ और (ग) विशिष्टता को शामिल करता हो ।

xvii. घरेलू उद्योग ने कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया है कि कॉपर ट्यूब और पाइप के उत्पादकों के लिए उपलब्ध स्कीम संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के लिए लागू है ।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन में संबद्ध वस्तु पर संबद्ध देश में प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियों की मौजूदगी का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि लिखित पत्र के माध्यम से चीन की सरकार को पर्याप्त अवसर दिया गया था और आवेदक द्वारा बताई गई विभिन्न सब्सिडी स्कीमों की मॉजूदगी प्रचालन और प्रशासन से संबंधित संगत सूचना देने के लिए परामर्श का अवसर दिया गया था जो इन स्कीमों के अंतर्गत चीन के उत्पादकों:निर्यातकों द्वारा उपलब्ध ला ाभों तथा डब्ल्यू टी ओ एएसपीएम और भारतीय नियमावली के तहत उनकी प्रतिसंतुलन योग्याता दर्शाती हो चीन सरकार ने न तो प्रश्नावली का उत्तर दिया और न ही विभिन्न सब्सिडी स्कीमों से संगत कोई सूचना प्रदान की है । चीन की सरकार ने इस प्रकार वर्तमान जांच में प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है। चूंकि चीन सरकार ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी इस जांच में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कार्रवाई करने को बाध्य हैं।

29. प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर वर्तमान जांच शुरू की गई थी। जांच शुरूआत के बाद, चीन की सरकार और चीन जन.गण. से एट्राजीन टेक्निकल के उत्पादकों/निर्यातकों को विहित प्रपत्र और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी गई थी और कथित सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबध में सत्यापन योग्य साक्ष्य देने का पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था ताकि ताकि ऐसी सब्सिडियों, यदि कोई हों, की मौजूदगी औश्र मात्रा का समुचित निर्धारण किया जा सके । प्राधिकारी ने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों को 22 फरवरी 2024 तक का अतिरिक्त समय दिया था । इसके अलावा, प्राधिकारी ने दिनांक 2 अप्रैल 2024 और 14 मई, 2024 को कमी संबंधी पत्र भी जारी किए, जिनमें प्रतिवादी उत्पादकों/ निर्यातकों से स्पष्टीकरण/ नहीं दी गई सूचना का अनुरोध किया गया था ताकि निर्यातक प्रश्नावली के उनके उत्तर में प्रदत्त कतिपय सूचना मंगाई जा सके ।

30. चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों जिनमें से सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

i. मैसर्स झेजियांग झोंगशान केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड (झेजियांग)

ii. मेसर्स जियांगशुई झोंगशान बायोसाइंस कंपनी लिमिटेड (जियांगशुई)

31. प्राधिकारी ने उपर्युक्त उत्पादक और निर्यातक द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर की जांच की। यह नोट किया गया कि जवाब देने वाले उत्पादक और निर्यातक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से प्रतिक्रिया प्रदान करने में विफल रहे। इसके अलावा, प्रत्युत्तर देने वाले उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रदान की गई कार्यक्रम-वार सूचना केवल उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्राप्त की जा रही सब्सिडी स्कीमों के संबंध में है। इसलिए, जहां कहीं भी प्रत्युत्तर उत्पादक और निर्यातक द्वारा दायर किया गया उत्तर अपर्याप्त पाया गया, प्राधिकरण को मूल जांच में प्राधिकरण के निष्कर्षों के साथ-साथ जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना/साक्ष्य सहित रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करने के लिए बाध्य किया जाता है।

32. घरेलू उद्योग ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध वस्तुओं के चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को सरकार के विभिन्न स्तरों के निम्नलिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी प्राप्त हो रही है और उन्हें छ: बड़ी श्रेणियों: अनुदान, कर और मूल्यवर्धित कर प्रोत्साहन राशि, अधिमान्य कर्ज और ऋण देने/वित्त पोषण, निर्यात वित्त पोषण और निर्यात क्रेडिट, समुचित पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं का प्रावधान तथा इक्विटी डालने के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

च 3.1 जांच के अधीन सब्सिडी योजनाएं

33. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक/निर्यातक को प्रांतों और जिलों जिनमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, सहित संबद्ध देश की सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर दी गई कार्य योग्य सब्सिडी से लाभ मिलना जारी है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि अतिरिक्त कार्यक्रम अथवा योजनाएं हैं जिन पर वर्तमान जांच में विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने निम्नलिखित सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए जांच की शुरुआत की जिनमें विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को संभावित रूप से प्रतिसंतुलनकारणीय लाभ प्राप्त हुआ है।

i) समुचित पारिश्रमिक से कम पर वस्तु एवं सेवाओं के प्रावधान के रूप में पहचान की गई योजनाएं

क) कार्यक्रम सं 1: उचित पारिश्रमिक से कम के लिए पानी का प्रावधान

ख) कार्यक्रम सं 2: उचित पारिश्रमिक से कम पर दिया गया भूमि के उपयोग का आधार

ग) कार्यक्रम सं 3: एसओई के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार

घ) कार्यक्रम सं 4: एलटीएआर पर विद्युत

ङ.) कार्यक्रम सं 5: एलटीएआर के लिए भूमि के उपयोग के आधार का प्रावधान- कुछ औद्योगिक और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में भूमि के उपयोग का अधिकार

च) कार्यक्रम सं 6: एफआईई के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार

छ) कार्यक्रम सं 72: एलटीएआर पर कच्चा माल

ii. इक्विटी डालने के रूप में कार्यक्रम

ज) कार्यक्रम सं 7: इक्विटी स्वैप्स के लिए कर्ज

झ) कार्यक्रम सं 8: भुगतान न किया गया लाभांश

ञ.) कार्यक्रम सं 9: इक्विटी डालना

ट) कार्यक्रम सं 10: ऋण माफ करना

ठ) कार्यक्रम सं 11: जिन एसओई का विलय अथवा पुनर्गठन हो रहा हो उनके लिए डीड कर छूट।

ड.) कार्यक्रम सं 12: योग्य रेजिडेंट उपक्रमों के बीच लाभांश की छूट

iii. निर्यात वित्त पोषण और निर्यात क्रेडिट के रूप में कार्यक्रम

ढ) कार्यक्रम सं 13: निर्यात विक्रेता का क्रेडिट

ण) कार्यक्रम सं 14: निर्यात क्रेता का क्रेडिट

त) कार्यक्रम सं 15: निर्यात क्रेडिट बीमा सब्सिडी

थ) कार्यक्रम सं 16: चीन की सरकार द्वारा निर्यात क्रेडिट गारंटी

द) कार्यक्रम सं 17: चीन के निर्यात-आयात से अधिमान्य निर्यात वित्त पोषण

iv. अधिमान्य कर्ज और ऋण देने के रूप में कार्यक्रम

ध) कार्यक्रम सं 18: अधिमान्य ऋण प्रदान करना

न) कार्यक्रम सं 19: एसओई के लिए अधिमान्य कर्ज

प) कार्यक्रम सं 71: निर्यात उन्मुख उपक्रमों के लिए छूट प्राप्त कर्ज और निर्यात कर्ज ब्याज सब्सिडी

V कर और मूल्यवर्धित कर प्रोत्साहन राशि के रूप में कार्यक्रम

फ) कार्यक्रम सं 20: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्यय की कटौती के लिए कर नीतियां

ब) कार्यक्रम सं 21: एफआईई के अनुसंधान और विकास के लिए अधिमान्य कर नीतियां

भ) कार्यक्रम सं 22: घरेलू स्तर पर उत्पादन किए गए उपकरण की खरीद करने के लिए एफआईई के रास्ते मूल्यवर्धित कर प्रतिदाय

म) कार्यक्रम सं 23: उन कंपनियों, जो उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, के लिए अधिमान्य कर नीतियां

य) कार्यक्रम सं 24: व्यापक संसाधन उपयोग (विशेष कच्चा माल) में लगे हुए उपक्रमों के लिए आयकर रियायतें

कक) कार्यक्रम सं 25: विशेष उपकरण की खरीद से संबंधित कर क्रेडिट

खख) कार्यक्रम सं 26: कम से कम 10 वर्षों की अवधि तक प्रचालन करने के लिए सूचीबद्ध उत्पादक एफआईई के लिए घटाया गया कर दर।

गग) कार्यक्रम सं 27: प्रौद्योगिकी अथवा ज्ञान सघन एफआईई के लिए कर को कम करना।

घघ) कार्यक्रम सं 28: उन्नत प्रौद्योगिकी वाले एफआईई के लिए आयकर को कम करना कार्यक्रम सं 29: विदेशी निवेशकों द्वारा एफआईई लाभ को फिर से निवेश करने के लिए आयकर प्रतिदाय

चच) कार्यक्रम सं 30: तटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों और आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्रों में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां

छछ) कार्यक्रम सं 31: केन्द्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें

जज) कार्यक्रम सं 32: उत्तरपूर्वी क्षेत्र में उपक्रमों के लिए अधिमान्य आयकर नीति

झझ) कार्यक्रम सं 33: एफआईई और विदेशी उपक्रमों तथा कुछ घरेलू स्तर के स्वामित्व वाली कंपनियों जिनकी चीन में स्थापनाएं हैं तथा जो उत्पादन अथवा घरेलू स्तर पर उत्पादन किए गए उपकरणों की खरीद करने के व्यापार प्रचालनों में लगे हुए हैं, के लिए अधिमान्य कर नीतियां

ञञ) कार्यक्रम सं 34: उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त करने वाले तथा वाणिज्यीकरण परियोजनाओं के लिए शंघाई नगर कर प्रतिदाय

टट) कार्यक्रम सं 35: उत्पादक एफआईई के लिए स्थानीय आयकर तथा कटौती कार्यकर

ठठ) कार्यक्रम सं 36: ग्वांगडोंग और हायनान प्रायद्वीप में विशेष आर्थिक क्षेत्र में कटौती और/अथवा स्थानीय आयकर छूट

डड) कार्यक्रम सं 37: आयात किए गए वस्तुओं पर तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र में उपकरण और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में छूट

ढढ) कार्यक्रम सं 38: विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में कारपोरेट आयकर छूट और/अथवा उसको कम करना

णण) कार्यक्रम सं 39: विदेश में निवेशित निर्यात उपक्रमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां

तत) कार्यक्रम सं 68: विशेष आर्थिक क्षेत्रों में (शंघाई प्यूडॉग क्षेत्र को छोड़कर) में स्थापित विदेश निवेश वाले उपक्रमों (एफआईई) के लिए अधिमान्य कर नीतियां

थथ) कार्यक्रम सं 69: चीन निर्मित उपकरण की खरीद करने वाले घरेलू स्तर के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए आयकर क्रेडिट

दद) कार्यक्रम सं 70: निर्यात कर छूट/निर्यात पर कर प्रतिदाय

vi. अनुदानों के रूप में कार्यक्रम

धध) कार्यक्रम सं 40: प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम/प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों के लिए प्रोत्साहन निधि

नन) कार्यक्रम सं 41: पाटनरोधी जांचों के लिए अनुदान

पप) कार्यक्रम सं 42: अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान

फफ) कार्यक्रम सं 43: निर्यात सहायता अनुदान

बब) कार्यक्रम सं 44: शेयरों की लिस्टिंग के लिए अनुदान

भभ) कार्यक्रम सं 45: राजकोषीय और प्रौद्योगिकी अभिनवता के लिए प्रांतीय निधि के माध्यम से दिया गया अनुदान

मम) कार्यक्रम सं 46: निर्यात कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार निधि

यय) कार्यक्रम सं 47: ऊर्जा बचत करने वाली प्रौद्योगिक सुधार के लिए विशेष निधि

ककक) कार्यक्रम सं 48: प्रमुख उद्योगों और अभिनवता प्रौद्योगिकियों का संवर्धन करने के लिए राज्य विशिष्ट निधि

खखख) कार्यक्रम सं 49: सुपर स्टार उपक्रम अनुदान

गगग) कार्यक्रम सं 50: ग्वांगडोंग प्रांत में उद्योगों के आउटवार्ड विस्तार के लिए निधियां

घघघ) कार्यक्रम सं 51: विदेश व्यापार के स्थायी विकास को बढ़ाने के लिए अनुदान-विशेष निधियां

ड.ड.ड.) कार्यक्रम सं 52: घरेलू और विदेश में आयोजित मेलों में भाग लेने के लिए झोंगसेम उपक्रमों के लिए भत्ता का निधि प्रबंधन का अंतरिम उपाय

चचच) कार्यक्रम सं 53: ट्रेजरी बांड्स कर्ज अथवा अनुदान

छछछ) कार्यक्रम सं 54: प्रांतीय सरकार/उपकरण अनुदान

जजज) कार्यक्रम सं 55: फ्यूयांग सिटी और हांगझाउ सिटी को दी जाने वाली विभिन्न अनुदान

i. करों में आरएमबी 10 मिलियन से अधिक भुगतान करने वाले उपक्रमों के लिए अनुदान

ii. उप-संविदा सेवा कार्यक्रम के निर्यात के अंतर्गत अनुदान

iii. उत्कृष्ट नया उत्पाद/प्रौद्योगिकी अवार्ड के अंतर्गत अनुदान

iv. प्रमुख उद्योगों के लिए फ्यूयांग सिटी सरकार से निवेश अनुदान

v. उन उपक्रमों के लिए अनुदान जो प्रचालन प्रौद्योगिकी और अनुसाधान एवं विकास केंद्र चला रहे हैं

vi. निर्यात क्रेडिट बीमा शुल्क पर स्थानीय और प्रांतीय सरकार प्रतिपूर्ति अनुदान

vii. हांगझाउ प्रीफैक्चर और सिटी ऑफ फ्यूयांग (झेजियांग प्रांत) और (अनहुई प्रांत) से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) अनुदान

झझझ) कार्यक्रम सं 56: हेबेई प्रांत द्वारा दी जाने वाली अनुदान

i. हेबेई प्रांत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान

ii. शिजिआझुआंग सिटी सरकार निर्यात अवार्ड

ञञञ) कार्यक्रम सं 57: शांनडोंग प्रांत को दी जाने वाली विभिन्न अनुदान

i. प्रमुख उपक्रम प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के लिए शानडोंग प्रांत विशिष्ट निधि

ii. प्रमुख ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी के औद्योगिकरण के लिए शानडोंग प्रांत अवार्ड निधि

iii. शानडोंग प्रांत की पर्यावरणीय संरक्षण उद्योग अनुसंधान और विकास निधियां

iv. शानडोंग प्रांत की कुछ उद्योगों के संवर्धन के लिए निर्माण निधि

टटट) कार्यक्रम सं 58: तियांगजिन बिनहाई न्यू एरिया और तियानजिन आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी

ठठठ) कार्यक्रम सं 59: राज्य की प्रमुख प्रौद्योगिकी पुनरुद्धार परियोजना निधि

डडड) कार्यक्रम सं 60: उपक्रम विकास निधियां

ढढढ) कार्यक्रम सं 61: स्वच्छ उत्पादन प्रौद्यागिकी निधि

णणण) कार्यक्रम सं 62: विदेश व्यापार और आर्थिक सहयोग के विकास के लिए विशेष निधि

ततत) कार्यक्रम सं 63: उच्च और नए प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों के लिए अनुदान

थथथ) कार्यक्रम सं 64: ग्वांगडोंग प्रांत को दिए जाने वाले विभिन्न अनुदान

i. ग्वांगडोंग प्रांत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापार का विकास करने के लिए विशेष निधि

ii. ग्वांगडोंग-हांगकौंग प्रौद्योगिकी सहयोग निधि कार्यक्रम

iii. ग्वांगडोंग समिर्थित निधि

iv. ग्वांगडोंग सरकारों द्वारा बहुत अधिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए विशेष निधि

v. ग्वांगडोंग की प्रांतीय सरकार की विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी ब्यूरो परियोजना निधि

vi. ग्वांगडोंग सरकारों द्वारा एसएमई के लिए प्रांतीय ऋण छूट विशेष निधि

vii. ग्वांगडोंग सरकारों द्वारा "समकालीन उद्योगों में 500 मजबूत उपक्रमों" की प्रमुख परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से समर्थित निधि

viii. ग्वांगडोंग की सरकारों द्वारा रणनीतिक उभरते हुए उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिए निधि

ix. ग्वांगडोंग की सरकारों द्वारा निर्यात क्रेडिट बीमा के लिए विशेष निधि

x. ग्वांगडोंग प्रांत की पेटेंट अवार्ड

xi. ग्वांगझाउ स्थानीय सरकारों के लिए विकास के लिए सहयोग करने वाली निधि

ददद) कार्यक्रम सं 65: जियांगशु प्रांत को दिए जाने वाले विभिन्न अनुदान

i. निधि को सहयोग करने वाले जियांगशु प्रांत वित्त

ii. पर्यावरण संरक्षण अवार्ड (जियांगशु)

iii. जियांगशु सिटी औद्योगिक किफायत कार्य निष्पादन अवार्ड

iv. चांगझाउ किशुयानी जिला पर्यावरणीय संरक्षण निधि

v. चांगझाउ प्रौद्योगिकी योजना

vi. जुई देश की सरकार द्वारा दी जाने वाली सहयोगी निधि

vii. अवसंरचना परियोजना के निर्माण के लिए उपक्रम प्रौद्योगिकी केंद्रों/सहयोग निधियां

धधध) कार्यक्रम सं 66: प्रौद्योगिकीय लघु और मध्य आकार के उपक्रमों को सहयोग प्रदान करने के लिए निधियां/लघु और मध्यम आकार के उपक्रम सहयोग निधियां

ननन) कार्यक्रम सं 67: परियोजना निधि भत्ता

34. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि लाभ प्रदान करने वाली नई प्रतिसंतुलनकारनीय कार्यक्रम हैं जिनके फलस्वरूप लागतें अपेक्षाकृत कम होती हैं और उसके द्वारा चीन के उत्पादकों को कमतर कीमत पर बिक्री करने की अनुमति मिलती है। उपर्युक्त सब्सिडी कार्यक्रमों में नए कार्यक्रमों की एक सूची निम्नलिखित हैं:

क) कार्यक्रम सं 1: उचित पारिश्रमिक से कम पर पानी का प्रावधान

ख) कार्यक्रम सं 2: उचित पारिश्रमिक से कम पर भूमि के उपयोग का अधिकार दिया गया

ग) कार्यक्रम सं 7: इक्विटी स्वैप्स के लिए कर्ज

घ) कार्यक्रम सं 10: ऋण माफ करना

ड.) कार्यक्रम सं 11: जिन एसओई का विलय अथवा पुनर्गठन हो रहा हो उनके लिए डीड कर छूट।

च) कार्यक्रम सं 17: चीन के निर्यात-आयात बैंक से अधिमान्य निर्यात वित्त पोषण

छ) कार्यक्रम सं 18: अधिमान्य ऋण प्रदान करना

ज) कार्यक्रम सं 22: घरेलू स्तर पर उत्पादन किए गए उपकरण की खरीद करने के लिए एफआईई के रास्ते मूल्यवर्धित कर प्रतिदाय

झ) कार्यक्रम सं 34: उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त करने वाले तथा वाणिज्यीकरण परियोजनाओं के लिए शंघाई नगर कर प्रतिदाय

ञ) कार्यक्रम सं 35: उत्पादक एफआईई के लिए स्थानीय आयकर तथा कटौती कार्यकर

ट) कार्यक्रम सं 49: सुपर स्टार उपक्रम अनुदान

ठ) कार्यक्रम सं 50: ग्वांगडोंग प्रांत में उद्योगों के आउटवार्ड विस्तार के लिए निधियां

ड) कार्यक्रम सं 51: विदेश व्यापार के स्थायी विकास को बढ़ाने के लिए अनुदान-विशेष निधियां

ढ) कार्यक्रम सं 52: घरेलू और विदेश में आयोजित मेलों में भाग लेने के लिए झोंगसेम उपक्रमों के लिए भत्ता का निधि प्रबंधन का अंतरिम उपाय

ण) कार्यक्रम सं 53: ट्रेजरी बांड्स कर्ज अथवा अनुदान

त) कार्यक्रम सं 54: प्रांतीय सरकार/उपकरण अनुदान

थ) कार्यक्रम सं 55: फ्यूयांग सिटी और हांगझाउ सिटी को दी जाने वाली विभिन्न अनुदान

i. करों में आरएमबी 10 मिलियन से अधिक भुगतान करने वाले उपक्रमों के लिए अनुदान
ii. उप-संविदा सेवा कार्यक्रम के निर्यात के अंतर्गत अनुदान
iii. उत्कृष्ट नया उत्पाद/प्रौद्योगिकी अवार्ड के अंतर्गत अनुदान
iv. प्रमुख उद्योगों के लिए फ्यूयांग सिटी सरकार से निवेश अनुदान
v. उन उपक्रमों के लिए अनुदान जो प्रचालन प्रौद्योगिकी और अनुसाधान एवं विकास केंद्र चला रहे हैं
vi. निर्यात क्रेडिट बीमा शुल्क पर स्थानीय और प्रांतीय सरकार प्रतिपूर्ति अनुदान
vii. हांगझाउ प्रीफैक्चर और सिटी ऑफ फ्यूयांग (झेजियांग प्रांत) और (अनहुई प्रांत) से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) अनुदान

द) कार्यक्रम सं 56: हेबेई प्रांत द्वारा दी जाने वाली अनुदान

i. हेबेई प्रांत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान
ii. शिजिआझुआंग सिटी सरकार निर्यात अवार्ड

ध) कार्यक्रम सं 57: शांनडोंग प्रांत को दी जाने वाली विभिन्न अनुदान

i. प्रमुख उपक्रम प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के लिए शानडोंग प्रांत विशिष्ट निधि
ii. प्रमुख ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी के औद्योगिकरण के लिए शानडोंग प्रांत अवार्ड निधि
iii. शानडोंग प्रांत की पर्यावरणीय संरक्षण उद्योग अनुसंधान और विकास निधियां

iv. शानडोंग प्रांत की कुछ उद्योगों के संवर्धन के लिए निर्माण निधि

न) कार्यक्रम सं 58: तियांगजिन बिनहाई न्यू एरिया और तियानजिन आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी

35. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि चीन के उत्पादकों को इन योजनाओं में भी प्रतिसंतुलनकारनीय लाभ प्राप्त हुए हैं। हालांकि, उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि इनमें से किसी भी योजना का लाभ उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा वर्तमान जांच में नहीं उठाया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इनमें से किसी भी कार्यक्रम के संबंध में संबद्ध देश से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा लाभ उठाई गई सब्सिडी पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने और उसकी मात्रा बताने के संबंध में पर्याप्त सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई है। इस प्रकार प्राधिकारी इसे आवश्यक नहीं समझते हैं कि इन कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलनकारनीयता की जांच की जाए। तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा रिकार्ड पर लाई गई अन्य नई योजनाओं की जांच वर्तमान जांच में नहीं की गई है।

36. न्यायिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्राधिकारी को मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारनीय पाए गए उन कार्यक्रामों के संबंध में विस्तृत जांच नहीं करने की अनुमति देता है। प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की है कि क्या मूल जांच के दौरान यथानिर्धारित प्रतिसंतुलनकारनीय योजनाएं जारी हैं और क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त किया जा रहा सतत लाभ का साक्ष्य है। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस तथ्य का पता लगाने के लिए कि क्या चीन के उत्पादकों को प्रतिसंतुलनकारनीय सब्सिडी से लाभ प्राप्त होना जारी है, इस जांच का उद्देश्य है। हालांकि चीन की सरकार काई उत्तर नहीं दे पाई है और निर्यातकों ने अपर्याप्त उत्तर प्रस्तुत किए हैं। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए अनुरोध किया है कि चीन के उत्पादकों और निर्यातकों को ऐसी प्रतिसंतुलनकारनीय सब्सिडी का लाभ प्राप्त होना जारी है। इस प्रकार, चीन की सरकार द्वारा अथवा उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किए गए किसी साक्ष्य के अभाव को देखते हुए कि ऐसी योजनाएं वापस ले ली गई है अथवा नहीं और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सब्सिडी योजनाएं जिन पर मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया था चीन में अब भी जारी हैं, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ प्रदान करता है।

च 3.3 उत्तर दने वाले उत्पाकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी की जांच

37. चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

i. मैसर्स झेजियांग झोंगशान केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड (झेजियांग)

ii. मेसर्स जियांगशुई झोंगशान बायोसाइंस कंपनी लिमिटेड (जियांगशुई)

38. प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि जियांगशु चीन में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। हालांकि इसने भारत को संबद्ध वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से निर्यात नहीं किया है। इसने जेझियांग को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है जो बाद में भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यातक बन गया है। जांच की अवधि के दौरान जेझियांग ने भारत को इन संबद्ध वस्तुओं का *** एमटी निर्यात किया है।

जियांगशुई (उत्पादक) → झेजियांग (निर्यातक) → भारत

39. मैसर्स झेजियांग झोंगशान केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने स्वीकार किया है कि इसने निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है:

i. कार्यक्रम सं 20: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्यय की कटौती के लिए कर नीतियां

ii. कार्यक्रम सं 23: उन कंपनियों, जो उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, के लिए अधिमान्य कर नीतियां/आयकर छूट

iii. कार्यक्रम सं 42: अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान

iv. कार्यक्रम सं 60: उपक्रम विकास निधियां

v. कार्यक्रम सं 62: विदेश व्यापार और आर्थिक सहयोग के विकास के लिए विशेष निधि

vi. कार्यक्रम सं 63: उच्च और नए प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों के लिए अनुदान

vii. कार्यक्रम सं 65: जियांगशु प्रांत को दिए जाने वाले विभिन्न अनुदान

क) पर्यावरण सुरक्षा अवार्ड (जिआंगसु)

40. मेसर्स जियांगशुई झोंगशान बायोसाइंस कंपनी लिमिटेड ने स्वीकार किया है इसने निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है:

i. कार्यक्रम सं 61: स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी निधि

ii. कार्यक्रम सं 65: जियांगशु प्रांत को दिए जाने वाले विभिन्न अनुदान

ख) पर्यावरण सुरक्षा अवार्ड (जिआंगसु)

41. इन उत्पादकों/निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर में उपर्युक्त स्वीकृति उपर्युक्त योजनाओं/कार्यक्रमों की मौजूदगी को दर्शाती है । हालांकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, निर्यातकों द्वारा दायर प्रत्युत्तर अपर्याप्त है। जवाब देने वाले उत्पादक और निर्यातक ने उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गई सब्सिडी योजनाओं के बारे में कार्यक्रम-विशिष्ट सवालों का जवाब नहीं दिया। उनके द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी के संबंध में इन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को उस सीमा तक लिया गया है जिस सीमा तक उसे संगत और उपयुक्त पाया गया। शेष के लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा मूल जांच में रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना सहित रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास किया है।

च 3.3.1 उचित पारिश्रमिक से कम (एलटीएआर) के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान

क) भूमि के उपयोग का अधिकार

42. चीन की सरकार द्वारा भाग नहीं लेने अथवा उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किए गए किसी साक्ष्य के न होने को देखते हुए कि ऐसी योजनाओं को वापस लिया गया है अथवा नहीं और घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है अथवा नहीं, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाई गई सब्सिडी योजनाएं चीन में अब भी जारी हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ प्रदान करना जारी है।

43. जियांगशुई द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर में, यह देखा गया है कि कंपनी ने भूमि प्राप्त की और भूमि के उपयाग के अधिकारों के लिए कुछ राशि का भुगतान किया है। उत्तर देने वाले उत्पादक ने समय-समय पर अधिग्रहित भूमि और भूमि के उपयोग के अधिकारों के लिए भुगतान की गई राशि का विवरण उपलब्ध कराया है। उत्तर देने वाले उत्पादक द्वारा प्राप्त लाभ का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई बेंचमार्क सूचना पर विचार किया है। उत्तर देने वाले उत्पादक ने चीन की कुछ वेबसाइटों के स्क्रीनशॉट के आधार पर चीन में भूमि की वर्तमान कीमतों को प्रस्तुत किया है। हालांकि, ऐसी भूमि जो चीन में स्थित हैं, की कीमतों पर एक उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके संबंध में निष्कर्ष मूल जांच में निकाला जा चुका है कि चीन में भूमि की कीमतें विरूपित हैं।

44. दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को इस लाभ का निर्धारण करने के लिए देश से बाहर के बेंचमार्क पर अवश्य विचार करना चाहिए। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने सीबी रिचार्ड एलिस, अर्थात् एशियन मार्केट डयू रिपोर्ट द्वारा एक रिपोर्ट को रिकार्ड पर रखा है और यह अनुरोध किया है कि थाइलैंड में भूमि की कीमत को एक बेंचमार्क के रूप में माना जाना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पूर्व में मूल जांच में उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में थाइलैंड में भूमि की कीमतों पर विचार किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान समीक्षा में ही उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में थाइलैंड में भूमि की कीमतो पर विचार किया है।

45. उत्तर देने वाले उत्पादक द्वारा अधिग्रहित भूमि की कुल राशि और भूमि के उपयोग के अधिकार के लिए भुगतान की गई राशि पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने भूमि के उपयोग के अधिकार के लिए भुगतान की जाने वाली औसत राशि का निर्धारण किया है। भूमि के उपयोग के अधिकारों के लिए भुगतान की गई ऐसी औसत राशि की तुलना प्राधिकारी द्वारा माने गए बेंचमार्क से की गई है (अर्थात् थाईलैंड में वर्तमान कीमत का समायोजन मुद्रास्फीति के लिए किया गया है)। यह देखा गया है कि उत्तर देने वाले उत्पादक ने उत्तर देने वाले उत्पादक को भूमि के उपयोग के अधिकारों के रियायती भुगतानों से लाभ प्राप्त हुआ है।

46. तदनुसार प्राधिकारी भूमि के उपयोग के अधिकारों उत्तर देन वाले उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई प्रतिसंतुलनकारनीय सब्सिडी के रूप में मानते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी उत्तर देने वाले उत्पादक द्वारा भुगतान की गई औसत कीमत और बेंचमर्क कीमतों की उपर्युक्त तुलना के आधार पर इस कारण से ****% की सब्सिडी मार्जिन के रूप में निर्धारण करते हैं।

ख) उपयोगिताएं (विद्युत)

47. उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने दावा किया है कि उन्हें उचित पारिश्रमिक से कम पर कच्चा माल अथवा उपयोगिताएं प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के प्रचालनों के लिए सभी वस्तुएं और सेवाएं बाजार कीमत पर हैं।

48. हालांकि, मूल जांच में, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चीन में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों ने उचित पारिश्रमिक से कम पर विद्युत का लाभ प्राप्त किया है। प्राधिकारी ने इस योजना की प्रतिसंतुलनकारनीयता की जांच नहीं की है क्योंकि चीन की सरकार का उत्तर लुप्त है और निर्यातक यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं थे कि सब्सिडी योजना प्रतिसंतुलनकारनीय नहीं है।

49. इस तथ्य की जांच करने के लिए कि क्या उत्तर देने वाले उत्पादक को उचित पारिश्रमिक से कम पर विद्युत प्राप्त हुई, प्राधिकारी ने बेंचमार्क कीमतों के साथ उत्तर देने वाले उत्पाद की बिजली लागत की जांच की है। हालांकि किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई बेंचमार्क सूचना उपलब्ध नही कराई है। तदनुसार, इस उद्देश्य से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई बेंचमार्क कीमतों पर विचार किया है। उत्तर देने वाले उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कंपनी को वास्तव में उचित पारिश्रमिक से कम पर बिजली प्राप्त हुई है। चीन की सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर तथा उत्तर देने वाले उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराई गई देय सूचना के अभाव में, इस आधार पर लाभ उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तय किया गया है। प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित सब्सिडी मार्जिन ***% है।

ग) कच्चा माल

50. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वित्तीय अंशदान का प्रश्न तब उठता है यदि कच्चा माल सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय की विशिष्ट अथवा सामान्य नीति या कार्यक्रम को देखते हुए समुचित पारिश्रमिक से कम पर एक व्यापार उपक्रम को उपलब्ध होता है। ऐसी स्थिति में, उचित पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल तक पहुंच के बल पर वस्तुओं के प्राप्त होने पर लाभ प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की सब्सिडी विशिष्ट हो जाती है क्योंकि यह ऐसे कच्चे माल/वस्तुओं का उपयोग करने वाले कुछ उपक्रमों तक सीमित है। मूल जांच में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि चीन में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को उचित पारिश्रमिक से कम पर कच्चा माल प्राप्त हुआ है।

51. वर्तमान समीक्षा में, उत्तर देने वाले उत्पादक ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग के लिए खरीदे गए कच्चे माल का विवरण उपलब्ध कराया है। हालांकि उत्पादक ने यह नहीं दर्शाया है कि इसने बाजार कीमतों पर कच्चे माल की खरीद की है अथवा यह कि इसे उचित पारिश्रमिक से कम पर कच्चा माल प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, चीन की सरकार ने यह दावा करने के लिए कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है कि उत्तर देने वाले उत्पादक को उचित पारिश्रमिक से कम पर संगत कच्चा माल प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी ओर आवेदक ने यह दावा किया है कि उत्तर देने वाले उत्पादक को उचित पारिश्रमिक से कम पर कच्चा माल प्राप्त हुआ है और इस संबंध में प्राप्त लाभ को दर्शाने के लिए बेंचमार्क सूचना प्रस्तुत किया है। इस प्रकार की सूचना पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और उसकी तुलना उत्तर देने वाले उत्पादक के द्वारा भुगतान किए गए कच्चे माल की वास्तविक कीमत से की गई है।

52. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग किए गए तीन प्रमुख कच्चा माल साइन्यूरिक क्लोराइड, मोनो आइसोप्रोपिल अमाइन (एमआईपीए) और मोनो इथाइल अमाइन (एमईए) हैं। वर्तमान जांच में, प्राधिकारी ने भारत में मोनो आइसोप्रोपिल अमाइन की आयात कीमतों, एमईए कीमतों पर विचार किया है जिन पर भारत में एमईए की खरीद घरेलू उद्योग द्वारा की गई है और जिसे एफओबी से अधिक सीमा शुल्क से समायोजित किया गया है तथा साइन्यूरिक क्लोराइड की आयात कीमतें जिसका समायोजन सीमा शुल्क, समुद्री धारा और बीमा से किया गया है। उत्तर देने वाले उत्पादक द्वारा सूचित वास्तविक कच्चे माल की कीमत से इस अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमत की तुलना यह दर्शाता है कि उत्तर देने वाले उत्पादक को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से बहुत कम कीमत पर एमईए और साइन्यूरिक क्लोराइड इनपुट्स प्राप्त हुआ है जिसके फलस्वरूप उचित पारिश्रमिक से कम पर इनपुट पर पहुंच बनी है। हालांकि यह देखा गया है कि वे कीमतें जिन पर उत्तर देने वाले उत्पादक ने एमआईपीए

की खरीद की है, प्रस्तुत की गई बेंचमार्क सूचना से तुलनीय है और इस इनपुट के संबंध में उत्पादक को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार इस आधार पर निर्धारित सब्सिडी मार्जिन ***% है।

च 3.3.1 कर प्रोत्साहन राशि और मूल्यवर्धित कर प्रोत्साहन राशि

53. चीन की सरकार और इसकी एजेंसियां अनेक कर कार्यक्रम प्रशासित करती है जो कुछ श्रेणी के उपक्रमों को अवस्थिति अथवा उनके क्रियाकलापों की प्रकृति जैसे आर एंड डी, प्रौद्योगिकीय अभिनवता/उन्नयन जो ये उपक्रम करते हैं, के आधार पर कर छूट/में कटौती/छूट प्रदान करती है।

54. इस कार्यक्रम का लाभ केवल विचाराधीन उत्पाद तक सीमित नहीं है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ कंपनी की कुल लाभ पर उपलब्ध है, जैसे ही यह कंपनी यह दावा करने में सक्षम हो जाती है कि यह इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार है। निर्यातक की प्रश्नावली के अपने उत्तर में, जेजियांग ने दोनों योजनाओं के अंतर्गत लिए गए लाभों का विवरण प्रदान किया है।

55. प्राधिकारी ने विभिन्न आयकर छूट के माध्यम से प्राप्त किए गए कुल लाभ को इकट्ठा किया है और उसे सभी उत्पादों के लिए आवंटित किया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त किए गए कुल लाभ पर विचार करते हुए, प्राधिकारी इस सब्सिडी मार्जिन को ***% के रूप में निर्धारित करते हैं।

च 3.3.3 अधिमान्य ऋण

56. प्रश्नावली के अपने उत्तर में, उत्तर देने वाले उत्पादक और निर्यातक ने लिए गए ऋण का विवरण उपलब्ध कराया है। प्राधिकारी ने पूर्व में यह निर्धारित किया है कि चीन के उपक्रमों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध हैं और ऐसी रियायती ऋण के फलस्वरूप निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान मिलता है। चीन की सरकार द्वारा अथवा उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा इसके संबंध में प्रस्तुत किए गए किसी साक्ष्य के अभाव में कि ऐसी योजनाओं को वापस ले लिया गया है अथवा नहीं और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध वापस ले लिए गए हैं कि नहीं, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए गए सब्सिडी योजनाएं चीन में अब भी जारी हैं और तदनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ प्रदान करते हैं।

57. संबंधित उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्राप्त लाभ का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने उन ऋण की दरों की तुलना बेंचमार्क दरों से की है जिन पर संबंधित उत्पादकों ने ऋण प्राप्त किया है। इस संबंध में, संबंधित उत्पादक और निर्यातक ने पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा जारी ब्याज दरों के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। तथापि, जीओसी ने जांच में भाग नहीं लिया है और अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि चीन में ऋण की दरों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा जारी की गई ब्याज दरों पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए, प्राप्त लाभ का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई बेंचमार्क सूचना पर विचार किया है। संबंधित उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्राप्त लाभ का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने जिस ब्याज दर पर ऐसे पक्षकारों ने ऋण प्राप्त किए हैं, उसकी तुलना घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत बेंचमार्क सूचना के औसत के साथ की है। इसके आधार पर प्राधिकारी का मानना है कि चीन के संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को ऋण की अधिमान्य दरों पर प्राप्त ऋणों से लाभ हुआ है। इस आधार पर निर्धारित सब्सिडी मार्जिन ***% है ।

च.3.3.4. अनुदान

58. प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में, झेजियांग ने कार्यक्रम संख्या 42, 60, 62, 63 और 65 (ii) के तहत लाभ उठाने की बात स्वीकार की है और जियांगशुई ने कार्यक्रम संख्या 61 और 65 (ii) के तहत लाभ उठाने की बात स्वीकार की है। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित उत्पादकों के वित्तीय विवरण में प्राप्त की गई सब्सिडी की मात्रा अधिक दिखाई गई है। प्राधिकारी ने झेजियांग और जियांगशुई द्वारा प्राप्त सूचित किए गए अनुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत सीवीडी मार्जिन निर्धारित किया है। इस प्रयोजन के लिए, संबंधित उत्पादक और निर्यातक द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर में सूचित सकल राशियों को प्रदत्त लाभ के रूप में माना गया है। निर्धारित सब्सिडी मार्जिन की राशि ***% है।

च.4. निष्कर्ष

59. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पाया है कि चीन के उत्पादक और निर्यातक प्रति संतुलनकारी सब्सिडियों से लाभान्वित होते हैं। की गई जांचों, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, प्रतिभागी निर्यातकों के प्रश्नावली के प्रत्युत्तर के आधार पर और जीओसी से प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए अनुसार संबंधित उत्पादक के लिए सब्सिडियों के मार्जिन की मात्रा निर्धारित की है। इसके अलावा, प्रत्युत्तर न देने वाले उत्पादकों की सब्सिडी मार्जिन की मात्रा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

क्र. सं.	**कार्यक्रम सं.**	**योजना का नाम**	**जियांगशुई झोंगशान बायोटेक्निकल कं. लिमिटेड / झेजियांग झोंगशान केमिकल्स इंडस्ट्री ग्रुप कं. लिमिटेड**	**कोई अन्य उत्पादक**
1	कार्यक्रम सं. 42, 60, 61, 62, 63, 65	**अनुदान**	0-5%	0-5%
2	कार्यक्रम सं. 20-23	**कर और वैट प्रोत्साहन**	0-5%	0-5%
3	कार्यक्रम सं. 18	**अधिमान्य ऋण**	5-10%	5-10%
4		**एलटीएआर पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रावधान**		
क	कार्यक्रम सं. 4	**बिजली**	0-5%	0-5%
ख	कार्यक्रम सं. 3,5,6	**भूमि उपयोग अधिकार**	0-5%	0-5%
ग	कार्यक्रम सं. 72	**कच्चा माल**	5-10%	5-10%
कुल सब्सिडी मार्जिन (1+2+3+4)			**15-20%**	**20-25%**

छ. क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जाँच

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

60. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति एवं करणीय संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आयात के जिन आंकड़ों पर भरोसा किया गया है वे प्रामाणिक नहीं हैं और आवेदक ने आंकड़ों के स्रोत नहीं बताए हैं। प्राधिकारी को क्षति की जांच के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े मांगने चाहिए।

ii. आवेदक ने क्षति के मानदंडों पर कोई सूचना या आंकड़ा नहीं दिया है और तदनुसार सब्सिडी प्राप्त आयात और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने में विफल रहा।

iii. आवेदक की क्षमता उपयोग में गिरावट अनावश्यक विस्तार किए जाने के कारण हुई है।

iv. कोई भी क्षति नहीं हुई है क्योंकि:

a. आवेदक की घरेलू बिक्री आधार वर्ष में 100 से बढ़कर जांच की अवधि में 316 हो गई है। उत्पादन और बिक्री के प्रतिशत के रूप में माने जाने वाले औसत स्टॉक में भी गिरावट दिखाई देती है।

b. आधार वर्ष से लाभप्रदता और नकद लाभ में भी वृद्धि हुई है।

c. प्राधिकारी द्वारा महामारी से प्रभावित अवधि के दौरान असामान्य रुझानों की अनदेखी की जानी चाहिए।

d. इस अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या, वेतन और मजदूरी तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी सुधार हुआ है।

e. नियोजित पूंजी, अचल संपत्ति और कार्यशील पूंजी में भी बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

v. निवेश पर आय में गिरावट क्षमताओं में अनावश्यक वृद्धि, उधार पर उच्च ब्याज दरों और उच्च मूल्यह्रास के कारण हो सकती है।

vi. उत्पादकों/ निर्यातकों ने जिन कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठाया है, वे कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं।

vii. जब आयात उच्चतम स्तर पर तथा कम कीमत पर होते थे, तो आवेदक ने लाभ अर्जित किया और आयात में गिरावट आने के साथ ही आवेदक की लाभप्रदता में गिरावट आई।

viii. आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई सहसंबंध नहीं है।

ix. आवेदक द्वारा कथित 70,000 मीट्रिक टन क्षमता विशेष रूप से एट्राजीन के लिए नहीं है।

x. एट्राजीन की संस्थापित क्षमता केवल *** मीट्रिक टन है।

छ.2. घरेलू उद्योग के विचार

61. घरेलू उद्योग ने क्षति एवं करणीय संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार होने मात्र का यह अर्थ नहीं है कि अब उसे क्षति नहीं हो रही है।

ii. शुल्क को निरंतर लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि उद्योग की स्थिति नाजुक है।

iii. चीन में उत्पादकों को उल्लेखनीय सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

iv. चीन के द्वारा कीटनाशकों और तत्संबंधी उद्योगों के सतत और स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए नीतियां लाई गई हैं।

v. संभावना की जांच के लिए आयातों को, निरपेक्ष रूप से आयात और देश में मांग-आपूर्ति के अंतर से आधिक्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

vi. घरेलू उद्योग की बढ़ी हुई क्षमता के कारण आयातों में निरपेक्ष संख्या में गिरावट आई है, लेकिन मांग-आपूर्ति के अंतर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है।

vii. जब आयात, मांग- आपूर्ति के अंतर से थोड़ा अधिक था, तब वे काफी हद तक उस मांग को पूरा कर रहे थे जिसे घरेलू उद्योग पूरा नहीं कर सकता था। तथापि, वर्तमान में मांग-आपूर्ति में अंतर न होने के बावजूद बाजार में आयातों का प्रवेश हो रहा है।

viii. इसके बावजूद कि भारतीय उत्पादकों के पास पहले से ही मांग को पूरा करने की क्षमता है, मांग में आयात की हिस्सेदारी एक तिहाई से अधिक है।

ix. आयात उस मांग को सक्रिय रूप से दूर कर रहे हैं जिसे घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया जा सकता है।

x. यद्यपि बाजार हिस्सा सम्पूर्ण रूप से कम हुआ प्रतीत होता है, परंतु पिछले दो वर्षों में अतिरिक्त आयात का बाजार हिस्सा वास्तव में चार गुना हो गया है।

xi. घरेलू उद्योग क्षमता के कम उपयोग से प्रभावित हुआ है।

xii. भारतीय क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद भी इसमें आवेदक की घरेलू बिक्री में वृद्धि बहुत कम है।

xiii. आयात, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

xiv. सब्सिडी रोधी शुल्क के जुड़ने के बाद भी आयातों में सकारात्मक मूल्य कटौती दिखाई देती।

xv. पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है

xvi. आवेदक के विक्रय मूल्य में बिक्री की लागत के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है।

xvii. इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री और अन्य परिवर्तनीय लागत में काफी वृद्धि हुई है लेकिन बिक्री मूल्य में 5% की नाममात्र वृद्धि हुई है।

xviii. शुल्क न होने पर, घरेलू उद्योग को या तो अपनी कीमतें कम करनी होंगी या अपने ग्राहकों को

खोना होगा। इसलिए, शुल्कों के अभाव में आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आने की संभावना है।

xix. घरेलू उद्योग की बिक्री भले ही बढ़ी हो, लेकिन कुल लाभ में गिरावट आई है।

xx. नियोजित पूंजी पर नकद लाभ और रिटर्न में भी काफी गिरावट आई है।

xxi. घरेलू उद्योग ने भारतीय मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद में ***करोड़ रुपये का निवेश किया है।

xxii. क्षमता विस्तार ने घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित रिटर्न को दबाया नहीं है, जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्तमान ईबीआईडीटीए के परिणामस्वरूप क्षमता विस्तार के बिना भी निवेश पर कम रिटर्न प्राप्त होता।

xxiii. शुल्क के न होने पर, घरेलू उद्योग को क्षति, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न प्राप्त होने की संभावना है।

xxiv. शुल्क के न होने पर आयात की मात्रा में और वृद्धि होने तथा इसके कारण घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति होने की संभावना है।

xxv. घरेलू उद्योग ने सब्सिडी प्राप्त आयातों और इससे हुई क्षति के बीच पहले ही एक स्पष्ट करणीय संबंध स्थापित कर दिया है।

xxvi. निर्यातकों ने मांग, उत्पादन या आयात पर महामारी के प्रभाव के बारे में नहीं बताया है।

xxvii. महामारी को अधिक से अधिक, 2020- 21 के दौरान केवल कुछ महीनों के लिए प्रभावी माना जा सकता है।

xxviii. चूंकि घरेलू उद्योग पर संबद्ध आयातों का मूल्य प्रभाव था, उत्पादकता में वृद्धि क्षति की संभावना पर प्रकाश नहीं डालती है।

xxix. नियोजित पूंजी उस स्थिति में बढनी तय है जब उत्पादक ने क्षमता विस्तार शुरू कर दिया हो।

xxx. यदि अतिरिक्त आयात में वृद्धि नहीं हुई होती, तो घरेलू उद्योग अपनी बिक्री को उच्च स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होता।

xxxi. शुल्क समाप्त होने की स्थिति में आयात में वृद्धि होने की स्पष्ट संभावना है।

xxxii. एट्राज़ीन के "उच्च प्रदूषण और उच्च पर्यावरणीय जोखिम" के रूप में वर्गीकृत होने के कारण चीन की मांग कम होने की संभावना है।

xxxiii. चीन में 2022 में 1,03,400 मीट्रिक टन और 2023 की पहली छमाही में 47,500 मीट्रिक टन की मांग के मुकाबले, क्षमता लगभग 1,33,000 मीट्रिक टन है।

xxxiv. जांच की अवधि के दौरान चीन में भारत की मांग से 20 गुना अधिक क्षमता है।

xxxv. चीन में कुल बिक्री का 55% से अधिक निर्यात किया जाता है, यह दर्शाता है कि चीन में उत्पादक निर्यात उन्मुख हैं।

xxxvi. चीन में क्षमताओं का कम उपयोग किया गया है, क्योंकि 2023 में 1,33,000 मीट्रिक टन की क्षमता के मुकाबले, उत्पादन लगभग 1,20,000 मीट्रिक टन था।

xxxvii. चीन में निष्क्रिय क्षमता 13,000 मीट्रिक टन है जो भारत की मांग के दोगुने से भी अधिक है।

xxxviii. प्रतिभागी उत्पादक (जियांगशुई झोंगशान बायोटेक्निकल) की क्षमता भारत में कुल मांग का 6 गुना है।

xxxix. एट्राज़ीन का उपयोग उन फार्मूलेशंस में किया जाता है जिनका गन्ने पर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और ब्राजील, (जहाँ एट्राज़ीन पर प्रतिबंध लगाने की संभावना है) के बाद भारत विश्व स्तर पर गन्ना के सबसे बड़े बागानों में से एक है ।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

62. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और साक्ष्यों पर विचार किया है। प्राधिकारी द्वारा इसके नीचे क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान देता है।

63. अनबंध-I के साथ पठित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली, 1995 के नियम 13 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में सब्सिडी वाले आयातों की मात्रा, समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसे वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए उन कारकों की जांच शामिल है जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शा सकते हैं।

64. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और संगत कानूनी प्रावधानों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने इन कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी सूचना की जांच की है। इसमें नीचे दी गई जांच वास्तव में घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करता है।

65. प्राधिकारी ने सब्सिडी और क्षति की संभावना के पहलूओं की जांच करने की कार्रवाई करने के पूर्व संबद्ध देश से आयातों के कारण विभिन्न क्षति मापदंडों की जांच की है। यह जांच की गई है कि क्या उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष अथवा पूर्ण रूप में आयातों में वृद्धि हुई है। कीमतों पर सब्सिडी वाले अयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस तथ्य की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में सब्सिडी वाले आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमतों में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, आकार और सब्सिडी की मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों पर इस नियमावली के अनुबंध I के अनुसार विचार किया गया है।

छ.3.1 मांग का आकलन/स्पष्ट खपत

66. वर्तमान जांच के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतो से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22 (वार्षिकीकृत)	जांच की अवधि
मांग (कैप्टिव सहित)					
आवेदक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	108	316
आवेदक की कैप्टिव बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	76	207
डीटीए को एसईजेड बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	19	28	21
अन्य उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	275	251
संबद्ध आयात	एमटी	***	***	***	***
अन्य आयात	एमटी	-	-	-	-
मांग (कैप्टिव सहित)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	161	123	144

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22 (वार्षिकीकृत)	जांच की अवधि
मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	164	125	142

67. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में 2019-20 के बाद वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि के दौरान वृद्धि की सूचना देने के पूर्व अप्रैल 2021 से जून 2022 के दौरान इसमें कमी आई।

छ.3.2 सब्सिडी वाले आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

68. सब्सिडी वाले आयातों के मात्रा के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में अथवा पूर्ण रूप में सब्सिडी वाले आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने डीजी प्रणाली से लिए गए लेनेदने-वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और क्षति की जांच की अवधि के दौरान सब्सिडी वाले आयात का हिस्सा नीचे दिए गए अनुसार है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल '21-जून '22 (वार्षिकीकृत)	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	एमटी	2,813	5,618	2,984	2,406
अन्य आयात	एमटी	-	-	-	-
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	100	100	100	100
कैप्टिव सहित खपत/मांग	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	124	86	59
कैप्टिव को छोड़कर खपत/मांग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	85	60
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	175	59	28

69. यह नोट किया जाता है कि –

क. संबद्ध आयातों में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के बाद भी 2020-21 में वृद्धि हुई। उसके बाद, आयातों में पूर्ण रूप में कमी आई है। हालांकि, जांच की अवधि और क्षति की अवधि के दौरान आयात बहुत अधिक रहे हैं।

ख. संबद्ध देश से आयात उन सभी आयातों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत में क्षति की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के दौरान हुए हैं क्योंकि अन्य देशों से आयात दोनों अवधियों में नहीं हुए हैं।

ग. संबद्ध देश के आयात में भारतीय उत्पादन और मांग की तुलना में क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि में कम हुई हैं। ये आयात घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता में वृद्धि किए जाने के पूर्व उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक थी। हालांकि, घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि किए जाने के बाद भी जांच की अवधि के दौरान आयात उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक रही है।

छ.3.3 सब्सिडी वाले आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

70. कीमतों पर सब्सिडी वाले आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है, जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देशों से अयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कीमत ह्रास अथवा कमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

क) कीमत में कटौती

71. कीमत में कटौती का निर्धारण जांच की अवधि के लिए आयातों की पहुंच कीमत से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना कर की गई है। यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान कीमत में कटौती धनात्मक और बहुत अधिक है।

	जांच की अवधि	
विवरण	प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को छोड़कर पहुंच कीमत	प्रतिसंतुलनकारीसहित पहुंच कीमत
निवल बिक्री प्राप्ति	***	***
पहुंच कीमत	4,39,387	4,77,072
कीमत में कटौती	***	***
कीमत में कटौती	***	***
रेंज	5-15%	0-10%

72. चूंकि इस उत्पाद पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगता था, प्राधिकारी ने वर्तमान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को शामिल करने के बाद कीमत में कटौती का निर्धारण किया। यह देखा गया है कि इन आयातें के कारण शुल्क लगाए जाने के बाद भी घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी। हालांकि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत के बहुत करीब थी। आवेदक ने यह अनुरोध किया कि जांच की अवधि के दौरान यह संबद्ध देश से आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से अपनी कीमतों को कम करने के लिए विवश था। यह नोट किया जाता है कि यदि शुल्क सहित कीमत पर विचार किया जाता है तब घरेलू उद्योग आयातों की पहुंच कीमत के बहुत करीब कीमत पर बिक्री कर रहा था।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

73. इस शर्त का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या सब्सिडी वाले आयातों के कारण घरेलू कीमतों का ह्रास/न्यूनीकरण हो रहा है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला है अथवा उनकी वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में नीचे की गई तुलना के अनुसार परिवर्तनों पर विचार किया है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22 (वार्षिकीकृत)	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	135	190
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	184	192
पहुंच कीमत	₹/एमटी				
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	150	192
प्रतिसंतुलनकारी शुल्क सहित पहुंच कीमत	₹/एमटी	2,48,782	2,44,264	3,72,411	4,77,072
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	150	192

74. यह नोट किया जाता है कि बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस उत्पाद पर सितंबर 2019 में लगाया गया था। इस कारण से, यदि 2019-20 को बाहर भी कर दिया जाता है तब यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में बिक्री कीमत में वृद्धि उस वृद्धि से कम

है जो पूर्व के सभी अवधियों की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में हुई थी। इसके अलावा, यदि बिक्री की कुल लागत में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 41 प्रतिशत तक वृद्धि भी हुई तब, जांच की अवधि में बिक्री की कीमत में केवल 5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई । यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागतों में *** प्रतिशत तक वृद्धि हुई और पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में परिवर्तनीय लागत में *** प्रतिशत तक वृद्धि हुई। हालांकि, घरेलू उद्योग आयातों की पहुंच कीमत के कारण कच्चे माल और उपयोगिताओं के कारण प्रत्यक्ष लागतों में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत के बहुत करीब थी। इस प्रकार यह देखा जाता है कि आयातों ने घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में लागतों में वृद्धि के अनुपात में इसकी कीमतों को बढ़ाए जाने से रोका है।

75. यह भी देखा जाता है कि बिना प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से कम थी जबकि वह प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जोड़न के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत से अधिक थी। यह दर्शाता है कि आयातों के कारण संभवत: घरेलू उद्योग को प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में घाटे वाली कीमतों पर बिक्री करने के लिए विवश होना है। इस प्रकार शुल्क के समाप्त होने के स्थिति में आयातों के कारण संभवत: घरेलू उद्योग की कीमतों पर आग दबाव पड़ने वाला है। कीमतों का ह्रास होने वाला है और इस सीमा तक कि घरेलू उद्योग को संभवत: वित्तीय हानि होने वाली है।

छ.3.4 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

76. इस नियमावली में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में घरेलू उत्पादकों पर संबद्ध आयातों द्वारा परिणामी क्षति की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों की घरेलू उत्पादकों पर इन अयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, इस नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर सब्सिडी वाले आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक अथवा संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, नकदी का प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित प्रभाव का एक वस्तुपरक निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। तदनुसार, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच क्षति की अवधि के दौरान की गई है।

क) <u>उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री</u>

77. क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग औ बिक्री निम्नानुसार थी:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल 21-जून 22 (वार्षिकीकृत)	जांच की अवधि
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	400
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	108	337
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	108	84
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	108	316

78. यह देखा गया है कि –

क. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान एक नए संयंत्र की स्थापना करने के बाद जांच की अवधि में क्षमता में बहुत अधिक हद तक वृद्धि की। देश में मांग/आपूर्ति में अंतर था जिसे घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त क्षमताओं को जोड़ कर पूरा किया गया था।

ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन में अप्रैल 2021-जून 2022 के दौरान उत्पादन में मामूली वृद्धि के साथ क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि के दैरान यह उच्चतम था।

ग. घरेलू उद्योग के क्षमता के उपयोग में 2020-21 तक वृद्धि हुई परंतु उसके बाद इसमें गिरावट आई।

घ. बाजार में बढ़ती हुई मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग देश में उत्पाद की मांग की सीमा तक अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं हुआ है और इसकी क्षमता उपयोग कम रही है। घरेलू उद्योग आयातों के अभाव में अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग कर पाता।

ड. घरेलू उद्योग क्षति की अवधि के दौरान अपनी बिक्री को बढ़ाने में सक्षम हुआ था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग उत्पादन की क्षमताओं में वृद्धि करने के बाद जांच की अवधि में बिक्री में बहुत अधिक वृद्धि करने में सक्षम था। हालांकि बिक्री में वृद्धि उत्पादन की क्षमताओं में वृद्धि से बहुत कम है। इसके अलावा, आयातों की मात्रा घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री की मात्रा और देश में उपलब्ध उत्पादन क्षमताओं के बाद भी अभी भी अधिक है।

79. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि यह अपनी क्षमताओं में वृद्धि के अनुरूप अपने उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ है और इस कारण से इसने अपनी क्षमता उपयोग में गिरावट देखी है। यह देखा जाता है कि आवेदक ने अपनी क्षमताओं में *** प्रतिशत तक वृद्धि की लेकिन घरेलू बिक्री में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में *** प्रतिशत तक और आधार वर्ष की तुलना में *** प्रतिशत तक वृद्धि की है। यह नोट किया जाता है कि भारतीय मांग के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरा करन के लिए *** एमटी की क्षमता स्थापित करने के बावजूद, आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान केवल *** एमटी का उत्पादन किया।

80. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को कोविड-19 के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि जुलाई 2022-जून 2023 है और इस अवधि के दौरान कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों का काई साक्ष्य नहीं है। यह देखा गया है कि महामारी का प्रभाव, यदि कोई हो, तो केवल 2020-21 में संक्षिप्त अवधि तक सीमित होगा।

ख) **<u>बाजार हिस्सा</u>**

81. घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों, संबद्ध देश से आयात और अन्य देशों का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22 (वार्षिकीकृत)	जांच की अवधि
कैप्टिव सहित					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग – डीटीए को एसईजेड	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग –कैपटिव	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
अन्य आयात	%	***	***	***	***
कैप्टिव को छोड़कर					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग – डीटीए को एसईजेड	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग –कैपटिव	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***

82. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 2020-21 के बाद गिरावट आई है और घरेलू उद्योग के हिस्से में उसी अवधि में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में नई उत्पादन क्षमताओं के आरंभ होने के बाद जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई। हालांकि, आवेदक ने अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध वस्तुओं की देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं था। *** एमटी की मांग की तुलना में, बाजार में कुल क्षमता *** एमटी रही। उसके और शुल्क के लागू रहने के बावजूद, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात बाजार की एक-तिहाई से अधिक रहे है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के लागू रहने के बाद भी घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से से अधिक है।

83. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि आयातों का बाजार हिस्सा देश में मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण पूर्व वर्षों में उच्चतर था और इस कारण से आयात ने मात्रा और कीमत दोनों के आधारों पर आवेदक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान, यद्यपि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में कमी आई और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई, आयातों में मांग-आपूर्ति में अंतर की तुलना में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां आयात घरेलू उद्योग की बिक्री से अधिक थी इसके अलावा घरेलू उद्योग को उत्पादन की क्षमताओं के कम उपयोग के कारण हानि हुई।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल 21-जून 22 (वार्षिकीकृत)	जांच की अवधि
भारतीय क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	214	386
भारतीय मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	161	123	144
मांग-आपूर्ति में अंतर	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	216	42	-72
संबद्ध आयात	एमटी	2,813	5,618	2,984	2,406

ग) मालसूची

84. क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल 21-जून 22 (वार्षिकीकृत)	जांच की अवधि
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	40	20

85. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के लिए औसत मालसूची में क्षति की अवधि के दौरान कमी आई है।

घ) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

86. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है जिसे नीचे दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल 21-जून 22 (वार्षिकीकृत)	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	350

वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	111	520
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	108	395

87. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या और उत्पादकता में जाचं की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता की वृद्धि के कारण है।

ड.) लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय

88. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता संबंधी मापदंड नीचे दिए गए है:

विवरण	**यूनिट**	**2019-20**	**2020-21**	**अप्रैल '21-जून '22 (वार्षिकीकृत)**	**जांच की अवधि**
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	135	190
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	184	192
लाभ/(हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	665	2,304	254
लाभ/(हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	678	2,480	804
नकद लाभ	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	643	2173	345
नकद लाभ	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	656	2,340	1,094
ब्याज	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	2	174
ब्याज	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	2	550
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	294	579	71
प्रति इकाई लगाई गई पूंजी	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	263	291

89. यह नोट किया गया कि :

क. उत्पाद पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क 2019-20 में लागू किया गया था। घरेलू उद्योग के लाभ में अप्रैल, 2021 से जून, 2022 तक वृद्धि हुई थी किन्तु जांच की अवधि में इस में भारी गिरावट आई थी। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभों में ***% की गिरावट आई थी।

ख. यद्यपि, उत्पादन लागत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओआई में वृद्धि हुई है । तथापि, घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि करने में असमर्थ था और वह कच्ची सामग्री तथा सुविधाओं में वृद्धि के अनुसार भी वृद्धि नहीं कर पाया। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को लाभ में भारी गिरावट उठानी पड़ी । पीओआई में घरेलू उद्योग के कीमत ह्रास के कारण पीओआई में लाभ में भारी गिरावट हुई है ।

ग. शुल्कों को लागू किए जाने के पश्चात नकद लाभों और निवेश पर आय में भी वृद्धि हुई थी किन्तु पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में क्रमशः ***% और ***% के बाद गिरावट आई।

90. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि निवेश पर आय में गिरावट, क्षमताओं में अनावश्यक वृद्धि, उधारी पर अधिक ब्याज दर और उच्चतर मूल्यह्रास के कारण आई है। अत: प्राधिकारी ने ब्याज पूर्व लाभ और मूल्यह्रास के रूझानों तथा बिक्री की प्रति इकाई नियोजित पूंजी के रूझानों की जांच की है। यह देखा गया है कि ब्याज पूर्व लाभ और बिक्री की प्रत्येक इकाई में ब्याज पूर्व लाभ तथा मूल्यह्रास में पूर्ववर्ती की तुलना में जांच अवधि में क्रमशः 86% तथा 82% की गिरावट भी आई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने पीओआई में नियोजित पूंजी पर आय का निर्धारण क्षमता में वृद्धि से पहले प्रति इकाई नियोजित पूंजी पर विचार करते हुए किया है। यह देखा गया है कि आर ओ सी ई जांच अवधि के दौरान अर्जित वास्तविक आय (***%) के मुकाबले पीओआई में लगभग समान (***%) रहा होता। इस प्रकार, प्राधिकारी को इस दलील में कोई सच्चाई नहीं दिखती है कि नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट क्षमता विस्तार के कारण है।

छ) <u>वृद्धि</u>

91. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विभिन्न मापदंडों में वृद्धि निम्नानुसार थीः

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	अप्रैल 21-जून 22 (क)	पीओआई
उत्पादन	%	-	14%	-5%	212%
घरेलू बिक्री	%	-	2%	6%	194%
लाभ/ हानि	%	-	578%	266%	-68%
नकद लाभ	%	-	556%	257%	-53%
निवेश पर आय	%	-	13%	19%	-35%
क्षमता	%	-	0%	0%	300%

92. यह नोट किया गया है कि उत्पादन में अप्रैल, 2021 से जून, 2022 में गिरावट के बाद इस अवधि में घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों ने वृद्धि दर्शायी है। तथापि, जहां घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में पिछली अवधि तक वृद्धि दर्शायी थी, इसमें जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, पीओआई में क्षमता में हुई वृद्धि उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक थी।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

93. यह नोट किया गया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू उद्योग की पीबीआईटी में भी गिरावट आई है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि नियोजित पूंजी पर आय कम है और आगे निवेश के लिए अनुकूल नहीं है। इस प्रकार, आयातों के कारण पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है।

94. कुछ हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी, स्थिर परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी में भी वृद्धि हुई है। प्राधिकरण नोट कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के मद्देनजर नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई है।प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के आलोक में नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई है ।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

95. यह नोट किया गया है कि आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत से कम है। आवेदक को जांच अवधि के दौरान आयातों से प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी कीमतें कम करने पर बाध्य होना पड़ा है । इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है । अत: यह देखा गया है कि आयातों के कारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हुई थी ।

झ) सब्सिडी मार्जिन की मात्रा

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्धारित सब्सिडी मार्जिन काफी अधिक है और इसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को नष्ट कर दिया है।

छ.4 सब्सिडी और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

97. प्राधिकारी देखते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का केंद्र जारी रखी गई सब्सिडी और परिणामी क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करना है, यदि सब्सिडी-रोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है चाहे इस समय कोई क्षति न हुई हो। इस संबंध में भी विचार किए जाने की आवश्यकता है कि क्या लागू किया गया शुल्क क्षतिकारी सब्सिडी को समाप्त करने के लक्षित प्रयोजन को पूरा कर रहा है।

98. अतः किसी निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी द्वारा यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है कि क्या किसी उपाय को हटाने के परिणामस्वरूप, मूल जांच में क्षति के निर्धारण के विपरीत, घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।

99. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की यह निर्धारित करने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में सब्सिडी या क्षति के जारी रहने की संभावना है। प्राधिकारी ने सब्सिडी या क्षति के जारी रहने की संभावना का आकलन करने की दृष्टि से, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध करायी गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।

100. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को सब्सिडीकरण के जारी रहने और परिणामस्वरूप क्षति के जारी रहने की संभावना पर प्रभाव डालने वाले अन्य संगत कारकों की भी जांच की है। ऐसी संभावना के मापदंडों की जांच निम्नानुसार की गई हैः

क. जारी सब्सिडीकरण

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्कों के प्रवृत्त रहने के बावजूद संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का लगातार और अत्यधिक सब्सिडीकरण हो रहा है। शुल्कों की मौजूदगी के दौरान जारी सब्सिडीकरण सब्सिडियों के जारी रहने की संभावना को दर्शाता है ।

ख. मांग-आपूर्ति अंतर के संबंध में आयातों में वृद्धि

102. यद्यपि, आयातों की कुल मात्रा में गिरावट आई है, आवेदक ने इस बात पर जोर दिया है कि यह जांच की अवधि के दौरान बढ़ी हुई क्षमता के कारण है। यदि चीन जन. गण. से आयातों को देश में मांग-आपूर्ति अंतर के संबंध में देखा जाता है तो यह देखा जाएगा कि आयातों में वास्तव में वृद्धि हुई है।

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के प्रथम भाग में, आयात भारत में उस मांग को पूरा कर रहे थे जो भारतीय उद्योग उत्पादन क्षमताओं के अभाव में पूरा नहीं कर सकता था। तथापि, जांच की अवधि के दौरान, भारतीय क्षमता में वृद्धि और संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता के मौजूद होने के बावजूद, आयात भारतीय मांग का एक तिहाई पूरा करते हैं। यह देखा गया है कि संबद्ध देश से निर्यातकों ने उस बाजार को छीन लिया है जिसे घरेलू उद्योग पूरा कर सकता था । इसके अलावा, सीवीडी जोड़ने के बाद पीओआई में आयातों की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग आयातों की पहुंच कीमत के लगभग तुलनीय कीमत पर अपने उत्पाद को बेच रहा था । इस प्रकार, शुल्क के अभाव में या तो आयातकों के आयातों की ओर अधिक जाने की संभावना है और इस प्रकार घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के प्रभावित होने की संभावना है या घरेलू उद्योग द्वारा वर्तमान सीवीडी के अनुपात में अपनी कीमतें कम करने की संभवना है ।

ग. संबद्ध आयातों द्वारा रखा गया समग्र बाजार हिस्सा

104. प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच अवधि के दौरान देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं था । ***एमटी, की मांग के मुकाबले भारतीय क्षमता लगभग ***एमटी है। इसके बावजूद आयातों का हिस्सा बाजार हिस्से का लगभग एक तिहाई है । इसके अलावा, सीवीडी जोड़ने के बाद आयातों का पहुंच मूल्य भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बिल्कुल तुलनीय है। आवेदक ने इस बात पर जोर दिया है कि आयातों ने आवेदक को उसकी क्षमता में वृद्धि के अनुसार अपनी कीमत में वृद्धि करने से रोका है । यह नोट किया गया है कि आयातों की समग्र मात्रा भारतीय

बाजार में उनका हिस्सा इतना अधिक है कि उससे सीवीडी के अभाव में काफी अधिक प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ सकता है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि उसकी क्षमता में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी और इस प्रकार, इससे घरेलू उद्योग पर आयातों का मौजूदा प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित होता है ।

घ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में गिरावट

105. वर्ष 2019 में शुल्कों के लागू होने के पश्चात घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में सुधार हुआ है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान, चीन जन.गण. से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से कम थी। इसके अलावा, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, पीओआई में आयातों की पहुंच कीमत में कच्चे माल और सुविधओं के कारण लागतों में वृद्धि के समानुपात में वृद्धि नहीं हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास तथा लाभप्रदता में परिणामी गिरावट का सामना करना पड़ा है । यह देखा गया है कि यद्यपि, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में 194 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, तथापि, कुल लाभ में 68 प्रतिशत की गिरावट आई है ।

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई में नियोजित पूंजी पर आय केवल 5 प्रतिशत थी । घरेलू उद्योग ने भारतीय मांग को पूरा करने और देश में मांग-आपूर्ति के अंतर को समाप्त करने के लिए लगभग *** करोड़ रूपए का निवेश किया है । तथापि, इससे प्राप्त आय ऐसे निवेश के लिए व्यवहार्य नहीं है ।

ड. शुल्कों को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप घाटे की संभावना

107. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से कम है। इसके अलावा, चूंकि घरेलू उद्योग वर्तमान में ऐसी कीमत पर बिक्री कर रहा है जो सीवीडी जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत के बिल्कुल तुलनीय है ।इसलिए इसकी प्रबल संभावना है कि आवेदक को सीवीडी की समाप्ति के बाद भी इन कीमतों की बराबरी करनी पडेगी । यदि ऐसा होता है तो घरेलू उद्योग को भारतीय वित्तीय घाटा, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय होने की संभावना है ।

विवरण	इकाई	वास्तविक	संभावित	प्रभाव
बिक्रियों की लागत	रु. / मी.टन	***	***	-
बिक्री कीमत	रु. / मी.टन	***	***	-8%
पहुंच कीमत	रु. / मी.टन	4,77,072 (सीवीडी के साथ)	4,39,387 (सीवीडी के बिना)	
लाभ/ हानि	रु. / मी.टन	लाभ	हानि	-284%
लाभ / हानि	लाख रूपए	लाभ	हानि	-284%
नकद लाभ	लाख रूपए	लाभ	हानि	-195%
निवेश पर आय	%	***	***	-212%

च. संबद्ध वस्तुओं पर बढ़ता हुआ वैश्विक प्रतिबंध और घटती मांग

108. घरेलू उद्योग ने वीवाईएनजेड रिसर्च द्वारा जारी एक बाजार अनुसंधान रिपोर्ट उपलब्ध कराई है जिसमें संबद्ध देश और वैश्विक रूप से क्षमता, उत्पादन और मांग से संबंधित सूचना अंतर्निहित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार, 2023 से 2028 तक विचाराधीन उत्पाद के लिए वैश्विक मांग के कम होने की संभावना है । इसके परिणामस्वरूप और संबद्ध उत्पादको को उपलब्ध सब्सिडी के कारण संबद्ध वस्तुओं के वैश्विक उत्पादकों के बीच कीमत संबंधी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। चीन के उत्पादकों द्वारा बाजार हिस्से को प्राप्त करने के लिए भारतीय बाजार में अपनी कीमतों में कमी करने की संभावना है। इससे अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और भारत में आयातित वस्तु की मांग बढ़ेगी ।

109. इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट के अनुसार, चीन में भी मांग में गिरावट आई है। नवंबर, 2021 में चीन में मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ने एट्राजिन को उच्च प्रदूषण और उच्च पर्यावरणीय जोखिमों वाले उत्पादों की सूची में

शामिल किया है। अतः संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आने की संभावना है। ऐसे परिदृश्य में चीन के उत्पादकों द्वारा अपनी वस्तु के लिए वैकल्पिक बाजारों की तलाश करने की संभावना है और भारत में बढ़ती हुई मांग के कारण भारत को लक्ष्य बनाने की संभावना है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क के अभाव में चीन के उत्पादकों द्वारा उनके निर्यातों में वृद्धि करने की संभावना है ।

छ. उत्पादकों का निर्यातोन्मुखी होना

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की चीन जन.गण. में घरेलू मांग की तुलना में क्षमता बहुत अधिक है। वीवाईएनजेड रिसर्च द्वारा की गई बाजार रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 49,000 की मांग की तुलना में चीन की क्षमता लगभग 1,20,000 मी. टन थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चीन जन.गण. के उत्पादक निर्यातोन्मुखी हैं । इसके अलावा, 2019 से 2022 तक चीन के एट्राजाइन की निर्यात मात्रा कुल बिक्रियों के 55 प्रतिशत से अधिक है । इस प्रकार, संबद्ध देश के निर्यातक निर्यातों पर निर्भर हैं ।

111. यह भी देखा गया है कि संबद्ध देश में उत्पादकों की निर्यात योग्य क्षमताएं भारतीय मांग की तुलना में काफी अधिक हैं ।

विवरण	मात्रा (मी. टन)
क्षमता	1,20,000
घरेलू मांग	49,000
निर्यात योग्य अतिरिक्त क्षमता	71,000
क्षमता के संबंध में निर्यात योग्य अतिरिक्त क्षमता	59%
भारत में व्यापार मांग	***
भारतीय मांग के संबंध में निर्यात योग्य अतिरिक्त क्षमता	1,186%

112. अत: प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन में निर्यात योग्य क्षमता भारत में मांग की 11 गुना है और चीन में मांग के दोगुने से अधिक है । शुल्क के अभाव में उत्पादक भारतीय बाजार को लक्ष्य बनाकर अपनी अतिरिक्त क्षमताओं का प्रयोग करेंगे।

ज. चीन के उत्पादकों द्वारा धारित निष्क्रिय क्षमताएं

113. आवेदक ने इस पर भी जोर दिया है कि संबद्ध देश में उत्पादकों के पास निष्क्रिय क्षमताएं धारित थी। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में 1,20,000 मी. टन की क्षमता के प्रति, चीन में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन लगभग 98,200 मी. टन था। अतः, यह देखा जा सकता है कि महत्वपूर्ण निर्यात योग्य क्षमताओं को धारण करने के अतिरिक्त, संबद्ध देशों में उत्पादक उल्लेखनीय निष्क्रिय क्षमताओं से भी जूझ रहे हैं।

विवरण	मात्रा(मी.टन)
क्षमता	1,20,000
उत्पादन	98,200
निष्क्रिय क्षमता	21,800
भारत में व्यापार मांग	***
भारतीय मांग के संबंध में निष्क्रिय क्षमता	364%
पूरी मांग को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त निर्यात	***
इसके लिए अतिरिक्त क्षमता उपयोग	3%

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन में निष्क्रिय क्षमताएं भारत में मांग के तीन गुणा से अधिक है। यह भी देखा गया है कि चीन के उत्पादक अपनी क्षमता उपयोग में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा समूची भारतीय मांग पर कब्जा कर सकते हैं।

झ. प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा अप्रयुक्त क्षमता

115. प्राधिकारी ने एक मात्र प्रतिभागी उत्पादक/ निर्यातक, झेजियांग, झांगशान केमिकल्स इंडस्ट्री ग्रुप कं. लिमि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का भी विश्लेषण किया है। यह देखा गया है कि प्रतिभागी उत्पादक/ निर्यातक के पास महत्वपूर्ण प्रयुक्त न की गई क्षमताएं हैं और वह अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता में 12 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा शेष भारतीय मांग पर कब्जा कर लेगा।

विवरण	मात्रा (मी. टन)
भारत में व्यापारी मांग	***
प्रतिवादी उत्पादक की क्षमता	***
प्रतिवादी का क्षमता उपयोग	***
उत्पादक की अतिरिक्त क्षमता	***

116. यह नोट किया जाता है कि केवल एक उत्पादक/निर्यातक की अप्रयुक्त क्षमता ही संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। आवेदक ने जोर दिया है कि झेजियांग के अलावा, चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने की भारी क्षमता वाली अनेक अन्य कंपनियां हैं। अत: संबद्ध देश में उत्पादकों के पास भारी क्षमताएं मौजूद हैं जो संपूर्ण भारतीय मांग पर कब्जा करने में उन्हें सक्षम बनाती है।

ञ. एक बाजार के रूप में भारत का महत्व

117. आवेदक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संबद्ध देश में उत्पादकों के लिए भारत एक प्रमुख बाजार है। संबद्ध वस्तु का गन्ने जैसी फसलों पर मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले फार्मूले को बनाने में प्रयोग किया जाता है। चूंकि, भारत विश्व में सबसे बड़े गन्ना बागानों में से एक है, निकट भविष्य में भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रकार, भारत निर्यातकों के लिए एक प्रमुख बाजार है।

118. तीसरे देशों को इसके निर्यातों के संबंध में उत्तर देने वाले निर्यातक द्वारा दायर प्रश्नावली उत्तर की जांच दर्शाती है कि निर्यातक मुख्य रूप से दो देशों (*** और ***) को निर्यात करता है। इन निर्यातों का विश्लेषण दर्शाता है कि ब्राजील को किये गये निर्यात भारत को किए गए निर्यातों की तुलना में काफी अधिक थे (लगभग दोगुणा), जबकि *** को किए गए निर्यात भारत को किए गए निर्यातों की तुलना में काफी अधिक थे (50% से अधिक)। इसके अतिरिक्त, *** और *** की निर्यात कीमतें भारत की निर्यात कीमतों की तुलना में 7 और 11% कम थीं। सहयोगी निर्यातकों द्वारा इन दो देशों को निर्यात की संचयी मात्रा घरेलू उद्योग की 100 प्रतिशत बिक्री पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त है।

छ.5 क्षति और सब्सिडी तथा क्षति के जारी रहने की संभावना संबंधी निष्कर्ष

119. रिकॉर्ड में साक्ष्य दर्शाते हैं कि यदि लागू सब्सिडीरोधी शुल्क हटाया जाता है तो सब्सिडी तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने की संभावना है। यह बात निम्नलिखित निष्कर्ष निष्कर्ष से स्पष्ट है :

i. संबद्ध आयात प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगने के बाद भी और देश में उत्पादन क्षमता की वृद्धि के बावजूद अत्यधिक बने हुए हैं।

ii. कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है।

iii. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी।

iv. यद्यपि, घरेलू उद्योग पहले से अपनी कीमत में ह्रासकारी कीमत का सामना कर रहा है तथापि, आयातकों से घरेलू उद्योग की कीमत में आगे और ह्रास/न्यूनीकरण होने की संभावना है।

v. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में 2020-21 तक वृद्धि हुई, परंतु उसके बाद गिरावट आई। पीओआई में क्षमता उपयोग में गिरावट नई उत्पादन सुविधाओं से जुड़ी तकनीकी बाधाओं के कारण नहीं है।

vi. घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं में वृद्धि के अनुसार अपने उत्पादन में वृद्धि नहीं कर पाया है।

vii. संबद्ध आयातों का मौजूदा सीवीडी और घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता में भारी वृद्धि के बावजूद बाजार में एक तिहाई से अधिक हिस्सा है।

viii. आयात देश में मांग-आपूर्ति के अंतर से काफी अधिक हैं। यद्यपि, आयातों से तब तक कोई ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जब तक देश में मांग-आपूर्ति में अंतर था, परंतु आयातोंसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बाद काफी ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है। चीन के उत्पादकों ने लागत में वृद्धि और उत्पपाद क्षमताओं के पूर्ण उपयोग के अनुपात में कीमत वृद्धि को रोका है।

ix. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में जांच अवधि में भारी गिरावट आई है। ब्याज और मूल्य ह्रास पूर्व लाभ में गिरावट से पता चलता है कि यह गिरावट क्षमता वृद्धि से नहीं हुई है बल्कि कच्ची सामग्री और सुविधाओं की लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमत में वृद्धि करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता के कारण हुई है।

x. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है।

xi. आयातों ने जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है

xii. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का सब्सिडीकरण जारी है और काफी अधिक है।

xiii. वैश्विक मांग और संबद्ध देश में मांग के कारण चीन से आयातों में वृद्धि की संभावना है और इससे अनुचित प्रतिस्पर्धा होगी और भारत में आयातित वस्तु की मांग बढ़ेगी।

xiv. चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास चीन जन. गण. की घरेलू मांग से काफी अधिक क्षमता है और वे काफी अधिक निर्यातोन्मुखी हैं।

xv. चीन में निर्यात योग्य क्षमता भारत की मांग का 11 गुना है।

xvi. भारी निर्यात योग्य क्षमता रखने के अलावा, संबद्ध देश में उत्पादक काफी अधिक अप्रयुक्त क्षमताओं से भी ग्रस्त हैं।

xvii. भारत निर्यातकों के लिए एक प्रमुख बाजार है क्योंकि इसमें विश्व का एक सबसे बड़ा गन्ना बागान है।

xviii. शेष विश्व को प्रतिवादी निर्यातक की निर्यात कीमत सामान्य और विशेष रूप से अपने सबसे बड़े बाजार में निर्यात कीमत भारत को निर्यात कीमत से वास्तव में कम थी। यह मात्रा अकेले ही भारत की अन्य एक तिहाई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और प्रतिवादी निर्यातक तीसरे देशों को निर्यात से अधिक आय यहां से प्राप्त कर सकता है।

ज. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

120. विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत को जांच की अवधि के लिए उत्पाद की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/ आंकड़ों को अपना कर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिता के बारे में भी समान उपचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्ययों को प्रभारित नहीं किया गया है। क्षति-रहित कीमत पर पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल अचल परिसंपत्तियों सहित और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व @22%) को अनुमति प्रदान की गई थी।

121. निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत को निर्धारित किया गया है। संबद्ध देशों से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत को निर्धारित किया है।

122. उपरोक्त अनुसार निर्धारित की गई पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन को निर्धारित किया गया है और इसे नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध कराया गया है।

क्र. सं.	देश	क्षति रहित कीमत (रु./ मी. टन)	पहुंच कीमत (रु./ मी. टन)	क्षति मार्जिन (रु./ मी. टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन रेंज % में)
क.	चीन जन.गण.					
1.	झियांगशुई झोंगशान बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	5-15%
2.	अन्य	***	***	***	***	10-20%

झ. गैर-आरोपण विश्लेषण

123. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या सीवीडी नियमों के तहत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग की क्षति का कारण बन सकते हैं। नियमों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ सब्सिडी प्राप्त आयातों के अलावा किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच किए जाने की भी जरूरत है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचाने की संभावना है ताकि इन अन्य कारकों के कारण पहुंचाई गई क्षति को सब्सिडी प्राप्त आयातों पर आरोपित न किया जा सके। जहां, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और कारणात्मक संबंध की मूल जांच में पहले ही जांच की जा चुकी है, प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या किन्हीं अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या पहुंचाने की संभावना है।

क) तीसरे देशों से मात्रा और मूल्य

124. किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया गया है और इसलिए, तीसरे देशों से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

ख) मांग में संकुचन

125. 2020-21 में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई और उसके बाद इसमें गिरावट आई। तथापि, जांच की अवधि के दौरान मांग में दुबारा वृद्धि हुई है। मांग में संकुचन का सुझाव देने वाली कोई सूचना रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। घरेलू उद्योग को मांग में संभावित संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है ।

ग) <u>खपत की प्रवृति</u>

126. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है जिसे क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता हो ।

घ) <u>प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधित प्रथाएं</u>

127. कोई ऐसी व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां अथवा प्रतिस्पर्धा की प्रथाएं मौजूद नहीं है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो ।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

128. संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

च) उत्पादकता

129. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कमी नहीं आई है और इसलिए उसे इस वजह से क्षति नहीं हुई ।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

130. घरेलू उद्योग ने निर्यात निष्पादन को घरेलू निष्पादन से पृथक कर दिया है और इस वजह से कोई क्षति नहीं हुई है।

ज) अन्य उत्पादों का निष्पादन

131. झेली गई क्षति को कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन पर आरोपित नहीं किया जा सकता क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सूचना को पृथक किया है और उपलब्ध कराया है।

<u>कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष</u>

132. यद्यपि, नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति सबिसडी प्राप्त आयातों के कारण हुई है।

i. आयातों का भारतीय बाजार में सर्वाधिक हिस्सा है जबकि मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है।
ii. घरेलू उद्योग अपनी क्षमता में वृद्धि के अनुरूप अपनी घरेलू बिक्रियों में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है।
iii. आयातों के कारण घरेलू उद्योगकी कीमतों में कटौती हो रही है। इसके अलावा, सीवीडी जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी तुलनीय है।
iv. पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।
v. आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर पाया है जो अन्यथा बढ़ गई होती।
vi. आयातों की वजह से शुल्क न होने पर घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी होने की संभावना है।
vii. घरेलू उद्योग के लाभ में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है। परिणामस्वरूप नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में भी गिरावट आई हे।
viii. सीवीडी के नहीं होने पर घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे, नकद घाटे और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय होने की संभावना है।

133. इस प्रकार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि सब्सिडी प्राप्त संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

ग. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

134. प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए सभी अनिवार्य विचाराधीन तथ्यों वाले प्रकटन विवरण को 31 मई, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। हितबद्ध पक्षकारों को 6 जून, 2024 तक प्रकटन विवरण संबंधी अपनी टिप्पणियां देने का निर्देश दिया गया। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में जांच की है। ऐसा कोई अनुरोध जो पूर्ववर्ती अनुरोध का केवल पुन: प्रस्तुतिकरण था और जिसकी प्राधिकारी ने पहले पर्याप्त रूप से जांच कर ली थी, को संक्षेपण के लिए दोहराया नहीं गया है।

ञ. 1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

135. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण संबंधी कोई अनुरोध नहीं किया है।

ञ. 2. घरेलू उद्योग के विचार

136. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं :

i. भागीदार उत्पादक द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन वास्तव में इस मार्जिन से कम है जिसे घरेलू उद्योग ने निर्धारित किया था।
ii. वर्तमान सब्सिडीरोधी शुल्क अपर्याप्त है और घरेलू उद्योग की क्षति के निवारण में सक्षम नहीं है। वर्तमान मामले में शुल्क बढ़ाना आवश्यक है।

iii. आयातों के कारण शुल्क लगने के बाद भी घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी। यदि घरेलू उद्योग आयातों से बराबर कीमत नहीं रखता है तो उसके पास संयंत्र बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

iv. चूंकि चीन जन. गण. से निर्यातकों ने कम कीमत पर भारत को निर्यात जारी रखा है, इसलिए प्राधिकारी को असहयोगी निर्यातकों के लिए उच्चतम संभव शुल्क लगाना चाहिए।

v. पीओआई के बाद क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक और अधिक है बल्कि इसमें वृद्धि भी हुई है।

vi पूर्व में प्राधिकारी ने ऐसी स्थिति में शुल्क की राशि को संशोधित किया है जब वर्तमान अवधि में आयातों की मात्रा काफी अधिक है, घरेलू उद्योग की क्षति की स्थिति संवेदनशील है या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

vii. चूंकि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर पूर्ण नहीं है, इसलिए प्राधिकारी को निर्यातक को असहयोगी मानना चाहिए और निर्यातक के लिए प्रतिकूल तथ्य लागू करने चाहिए और निर्यातक को अलग शुल्क नहीं देना चाहिए।

viii. जांच की अवधि से मूल जांच की जांच अवधि या आधार वर्ष में घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना करना उचित नहीं होगा।

ix. घरेलू उद्योग के निष्पादन में शुल्क लगने और क्षमता वृद्धि के कारण वृद्धि हुई है।

x. चीन जन.गण. की कंपनियां काफी कम कीमत पर सभी प्रमुख कच्ची सामग्रियों तक आसान पहुंच के साथ पूर्णत: बैकवॉर्ड समेकित हैं।

xi. ब्राजील के अभियोजनकर्ताओं में एट्राजाइन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है जिससे भारत में आयातों में वृद्धि होगी।

xii. कीमत कटौती जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक और अधिक हो गई है।

xiii. वर्तमान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखना व्यापक जनहित में होगा।

ञ. 3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिकांश टिप्पणियां दोहराव हैं जिनकी जांच परिणाम के संगत पैराओं में पहले ही उपयुक्त जांच और पर्याप्त समाधान किया गया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए नए मुद्दों की जांच की है।

138. घरेलू उद्योग ने शुल्क बढ़ाने तथा चीन जन.गण. से सहयोगी और असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए मार्जिन के पुन: निर्धारण का अनुरोध किया है। तथापि, प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के आंकड़ों के आधार पर सब्सिडी मार्जिन और क्षति मार्जिन का परिकलन किया है। तथापि, शुल्क को क्षति मार्जिन की राशि तक सीमित रखा गया है, परंतु घरेलू उद्योग यह दर्शाने के लिए कोई सूचना प्रस्तुत नहीं कर सका है कि पहुंच कीमत सही नहीं है या निर्धारित क्षति रहित कीमत कम बताई गई है

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2019 से शुल्क मौजूद होने के बावजूद कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है और आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को अपनी लाभप्रदता गंवा कर आयातों से प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी कीमतें घटानी पड़ी हैं। इसके अलावा, क्षमता में वृद्धि और मांग-आपूर्ति में अंतर के अभाव के बावजूद आयात मात्रा अधिक है।

ट. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ट.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

140. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं

i. शुल्क को जारी रखना जनहित में नहीं है क्योंकि यह आवेदक के दीर्घावधिक और बुनियादी हितों को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि यह सुधार करने के लिए अनिच्छुक होगा।

ii. बढ़ी हुई कीमतें डाउनस्ट्रीम उद्योगों को संकुचित कर देंगी और मांग में एक समग्र गिरावट का कारण बनेंगी।

iii. अनुचित सुरक्षा एक अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करेगी और भारतीय उद्योग व डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के बीच संबंधों में ह्रास का कारण बन सकती है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

141. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. जांच में किसी उपभोक्ता ने भाग नहीं लिया है ।

ii. किसी फार्म्युलेशन विनिर्माता या किसानों के किसी संघ ने सब्सिडी-रोधी शुल्कों को जारी रखने का विरोध नहीं किया है।

iii. शुल्क को जारी रखना घरेलू विनिर्माताओं के हित में होगा क्योंकि आयातों ने घरेलू उद्योग को इसके संयंत्रों को पूर्ण रूप से स्थापित करने से रोका है।

iv. उचित कीमत वाले आयातों की प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम एक प्रतिस्पर्धात्मक घरेलू उद्योग का मौजूद होना उपभोक्ता के हित में होगा।

v. शुल्कों को लागू किए जाने के बाद से, देश में भारतीय उद्योग में दो से बढ़ कर चार उत्पादक हो गए हैं।

vi. आवेदक ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और देश में मांग-आपूर्ति के अंतर को समाप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं में वृद्धि की है।

vii. चूंकि, भारत में संबद्ध वस्तुओं के चार उत्पादक हैं, भारतीय बाजार में किसी उत्पादक द्वारा की एकाधिकार धारित नहीं किया गया है।

viii. वस्तु का इजरायल, ईयू और यूएसए से भी आयात किया जा सकता है।

ix. शुल्कों का डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं था क्योंकि मूल जांच के बाद से मांग में वृद्धि हुई है।

x. आवेदक ने भारतीय बाजार को अपूर्ति करने के लिए भारत में उल्लेखनीय रूप से निवेश किया है न कि वैश्विक रूप से।

xi. लगातार लाभप्रद प्रचालनों ने मेघमणी ग्रुप को समाज के एक बड़े खंड तक अपनी सीएसआर गतिविधियों का विस्तार करने की अनुमति दी।

xii. चीन सरकार द्वारा समर्थन ने भारत में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों पर एक विपरीत प्रभाव डाला है।

xiii. शुल्कों को जारी रखना भारतीय और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, दोनों, के लिए बाजार में एक समान अवसर वाली प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा और यह संबद्ध वस्तु की उपलब्धता को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

xiv. शुल्कों को जारी रखने के मामले में, बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा को संरक्षित किया जाएगा, जिससे एक अनुकूल भुगतान संतुलन बनेगा।

xv. ऐसे वस्तु उत्पादों पर मूल्यवान विदेशी मुद्रा को व्यय करने का कोई औचित्य नहीं है जिसे स्थानीय रूप से उत्पादित किया जा सकता है।

xvi. एक कृषि संबंधी दृष्टिकोण से स्वस्थ घरेलू उत्पादन की उपलब्धता आवश्यक है।

xvii. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर शुल्क का प्रभाव मामूली होगा।

xviii. लागू किए गए शुल्कों का उपभोक्ताओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा था और शुल्कों को जारी रखना भी जनता के हित में होगा।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क का प्रयोजन सामान्यत: सब्सिडीकरण की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा को स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। सब्सिडी-रोधी उपायों को जारी रखने का उद्देश्य किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों को सीमित करना नहीं है। प्राधिकारी मानते हैं कि सब्सिडी रोधी शुल्कों को जारी रखना भारत में उत्पाद के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकता है। तथापि, सब्सिडी-रोधी उपायों को जारी रखने के द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, सब्सिडी-रोधी उपायों को जारी रखना यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराई गई सब्सिडी के कारण कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किए गए हैं,

घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को विस्तृत चयन की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता करेगा।

143. जांच की शुरुआत होने के पश्चात, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की तथापि, प्रश्नावली का उत्तर केवल घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया। संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक या प्रयोक्ता ने न तो जांच में भाग लिया है अथवा न ही आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तुओं और डाउन स्ट्रीम उत्पाद के लिए प्रशासनिक मंत्रालय ने न तो कोई आपत्ति की है अथवा न ही शुल्क को जारी रखने या उसे समाप्त करने के संबंध में कोई विवरण दिया है।

144. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां कुछ विशिष्ट हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क किए हैं कि सार्वजनिक हित के आधार पर कोई उपाय लागू नहीं किया जाना चाहिए, किंतु यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं कि शुल्कों को प्रवृत्त करने के परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं के निष्पादन में ह्रास हुआ है या ऐसे ह्रास का कारण बन सकता है। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, प्राधिकारी द्वारा आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर देने में संरचित और प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराने का अवसर देने के बावजूद, प्रयोक्ताओं ने ऐसा करने से परहेज किया है। इसके मद्देनजर प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निष्कर्ष नहीं हो सकता है कि उपायों को जारी रखने से प्रयोक्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का प्रयोग विभिन्न फसलों और फसल भूमि में प्रयोग के लिए विनिर्मितियां बनाने में होता है। इस प्रकार, यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक है और उद्योग के लिए एक अनिवार्य वस्तु है ।

145. इस संबंध में, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने प्रोयक्ताओं पर सब्सिडी-रोधी शुल्क के मात्रात्मक प्रभाव को प्रस्तुत किया है। घरेलू उद्योग द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार, प्रयोक्ताओं पर प्रभाव पर लगभग ***% था। घरेलू उद्योग के दावे पर अन्य पक्षकारों द्वारा विवाद नहीं किया गया है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रयोक्ताओं पर लागू उपायों द्वारा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

विवरण	इकाई	मूल्य
अल्ट्राजाइन टेक्निकल दर	रुपए/ मी.टन	***
अल्ट्राजाइन टेक्निकल दर	रुपए/ कि.ग्रा.	***
प्रस्तावित सीवीडी		20.89
एक एकड़ भूमि पर गन्ने की पैदावार	टन	100
गन्ने की कीमत	रुपए/ टन	3,150.0
राजस्व	रुपए	3,15,000
सीवीडी का प्रभाव		0.01%

146. देश में संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी-रोधी शुल्क संबद्ध देश से आयातों को सीमित नहीं करता बल्कि व्यापार के समान अवसर उपलब्ध कराते हैं। ऐसे व्यापार के समान अवसरों ने बाजार में प्रवेश करने के लिए कतिपय उत्पादकों को अनुमति प्रदान की है। आवेदक ने क्षमता का विस्तार किया है, जबकि बेस्ट एग्रोकैम प्राइवेट लिमिटेड और जीएसपी क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड ने भी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करना आरंभ किया है। यह दर्शाता है कि शुल्कों से आयातों पर प्रयोक्ताओं की निर्भता कम हुई है और भारतीय उद्योग का विकास संभव हुआ है । आवेदक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारतीय उद्योग ने भारतीय बाजार के लिए काफी अधिक निवेश किया है और घरेलू उद्योग की निरंतर लाभप्रदता से उसे समाज के पिछड़े और जरूरतमंद तबकों की सेवा करने की अनुमति मिलेगी ।

147. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, जहां शुल्कों को लागू किए किए जाने से पहले देश में एक मांग आपूर्ति अंतर था, इस समय कोई ऐसा मांग आपूर्ति अंतर मौजूद नहीं है। यह दर्शाता है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से देश आत्मनिर्भर बना है ।

उत्पादक	क्षमता
मेघमणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***
इंसेक्टी साइड इंडिया लिमिटेड	***
जीएसपी क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड	***
बेस्ट एग्रोकैम प्राइवेट लिमिटेड	***

कुल भारतीय क्षमता	***
कुल भारतीय मांग	***
अतिरिक्त क्षमता	***

148. अतिरिक्त क्षमता के साथ उत्पादकों की अधिक क्षमता घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा भी सुनिश्चित करेगी । इसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं को घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतें और संबद्ध वस्तु की आसान उपलबधता सुनिश्चित होगी । आवेदक ने यह भी बताया है कि इस उत्पाद को अन्य देशों से भी आयातित किया जा सकता है ।

149. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि शुल्क लागू होने से प्रयोक्ताओं तथा घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

ठ. निष्कर्ष

150. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

i. निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन मेघमनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । आवेदक के पास भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है और वह वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग बनाता है ।

ii. विचाराधीन उत्पाद एट्राजाइन टेक्निकल है । विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में परिभाषित था । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद चीन से आयातित वस्तु के ''समान वस्तु'' है ।

iii. चीन की सरकार ने न तो प्रश्नावली का उत्तर दिया है और न ही विभिन्न सब्सिडी स्कीमों से संगत कोई सूचना दी है । उत्पादक और निर्यातक द्वारा दायर उत्तर प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से नहीं है । प्राधिकारी ने मार्जिन के निर्धारण के लिए रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है ।

iv. उत्पादक को पर्याप्त से कम मूल्य पर भूमि उपयोग अधिकार, बिजली और कच्ची सामग्री के लिए रियायत पर भुगतान का लाभ मिला है । उत्पादक/निर्यातक को विभिन्न आयकर छूटों और चीन में अधिमानी ऋण दरों के माध्यम से लाभ मिला है । उत्पादक/निर्यातक को विभिन्न अनुदान भी प्राप्त हुए हैं।

v. संबद्ध आयातों में क्षति अवधि में समग्र रूप से तथा भारतीय उत्पादन और मांग की दृष्टि से कमी आई है

vi पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है । घरेलू उद्योग और कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के अनुसार बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर पाया है ।

vii. यद्यपि, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में क्षमता में वृद्धि के साथ वृद्धि हुई है । तथापि, घरेलू उद्योग बढ़ी हुई मांग के अनुसार अपनी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं रहा है । ऐसा इसलिए है क्योंकि मांग-आपूर्ति में अंतर नहीं होने के बावजूद संबद्ध आयातों का हिस्सा मांग के एक तिहाई से अधिक है ।

ix. विचाराधीन उत्पाद की वैश्विक मांग के 2023-2028 में कम होने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक उत्पादकों के बीच कीमत प्रतिस्पर्धा होगी । इसके अलावा, चीन में उत्पादकों की निर्यात योग्य क्षमताएं काफी अधिक हैं और चीन के निर्यातकों को काफी अप्रयुक्त क्षमताओं का नुकसान हो रहा है। चूंकि संबद्ध देश में उत्पादकों के लिए भारत एक प्रमुख बाजार है, जिसमें मांग बढ़ रही है, इसलिए शुल्क के अभाव में भारत को निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है । ब्राजील और पाकिस्तान को निर्यात कीमत भारत में निर्यात कीमत से कम रही थी, जो भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता को दर्शाता है ।

x. वर्तमान जांच में क्षति के लिए संबद्ध आयातों के अलावा, किसी अन्य कारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ।

xi. शुल्क के जारी रहने से बाजार में उचित बाजार प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। यह दर्शाने के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि वर्तमान शुल्क से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है या शुल्क जारी रहने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत लागू शुल्कों से बाजार में और अधिक भारतीय उत्पादकों का प्रवेश हुआ है और घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है। यद्यपि, शुल्क लागू होने से पहले देश में मांग-आपूर्ति में अंतर था, परंतु अब मांग-आपूर्ति में ऐसा कोई अंतर नहीं है।

ड. सिफारिशें

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित की गई थी तथा सब्सिडीकरण, क्षति, कारणात्मक संबंध, सब्सिडीकरण और क्षति के जारी रहने की संभावना और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू के संबंध में सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। निर्णायक समीक्षा जांच के प्रावधानों के अनुसार, जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान मामले में मौजूदा सब्सिडीरोधी शुल्क को जारी रखना और उसका पुनरीक्षण करना अपेक्षित है।

152. अत: प्राधिकारी नीचे शुल्क तालिका के कॉलम-7 में दिए गए आंकड़े के बराबर निश्यात्मक शुल्क को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश करना उचित और आवश्यक समझते हैं। अत: यहां यथा निर्धारित इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दी गई राशि के बराबर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लागू करने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/ उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	प्रक्रिया	सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत रूप में शुल्क की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	38089199, 38089390 और 38089990	अल्ट्राजाइन टेक्निकल *	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	जियांगशुई झोंगशान बायोटेक्निकल कं., लि.	9.28
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं.1 के उत्पादक के अलावा अन्य कोई	11.94
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. से इतर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	11.94

*यह उत्पाद निम्नलिखित नामों के अंतर्गत भी जाना जाता है :

6-क्लोरो-एन-एथिल-एन '- (1- मिथाइलइथाइल) -ट्रायजिन-2,4-डायमिन;
2-क्लोरो 4-इथाइलामिनो-6-आइसोप्रोपाइलामाइन- एस ट्रायजिन;
2-क्लोरो 4- (इथाइलामिनो) -6- (आइसोप्रोपाइलामाइनो) -एस- ट्रायजिन;
2-क्लोरो 4- (इथाइलामिनो) -6- (आइसोप्रोपाइलामाइनो) - ट्रायजिन;
क्लोरो 4- (प्रोपिलामिनो) -6- इथाइलामिनो -एस- ट्रायजिन;
क्लोरो -4- (प्रोपेलामिनो) -6-एथिलामिनो-एस-ट्रायज़िन, आदि

ढ. आगे की प्रक्रिया

153. इस जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश के विरूद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June 2024

FINAL FINDINGS

Case No. – CVD (SSR) – 10/2023

Subject: Sunset review investigation of countervailing duty imposed on imports of Atrazine Technical originating in or exported from China PR.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 7/26/2023-DGTR.—1. Meghmani Industries Limited (hereinafter referred to as the applicant or MIL) filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) on behalf of the domestic industry for initiation of a sunset review investigation for continuation and enhancement of anti-subsidy duty imposed on imports of Atrazine Technical (hereinafter referred to as the "product under consideration" or the "subject goods") from China PR (hereinafter referred to as the subject country).

2. The anti-subsidy investigation into imports of Atrazine Technical from China PR was initiated vide Notification No. 06/19/2018-DGAD dated 27th August 2018. Following a detailed investigation, the Authority concluded that the subsidy provided by the Chinese government to the producers of the subject goods was countervailable in nature and the subject goods were exported from China PR at subsidized prices causing injury to the domestic industry. Thus, the Authority recommended the imposition of countervailing duties on the imports of the subject goods from China PR vide Notification No. 06/19/2018 dated 22nd August 2019. The definitive measures were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 3 /2019-Customs (CVD) dated 17th September 2019.

3. In terms of Section 9 (6) of the Customs Tariff Act, 1975 and Rule 24(3) of the Customs Tariff Rules, 1995 countervailing duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidized imports. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of duly substantiated requests made by or on behalf of the domestic industry whether there is a need for the continued imposition of the countervailing duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury.

4. The applicant filed an application on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules, requesting the initiation of a sunset review investigation concerning imports of Atrazine Technical originating and exported from China PR.

5. The applicant sought enhancement of the countervailing duty against imports of the subject goods from the subject country. The request was based on the ground that the expiry of the countervailing duty was likely to result in the continuation of subsidized imports of the subject goods into the country and consequent injury to the domestic industry.

6. Based on a duly substantiated application with *prima facie* evidence of the likelihood of subsidisation and injury due to imports from China PR, filed on behalf of the domestic industry the Authority issued a public notice vide Notification No. 7/26/2023-DGTR dated 29th December 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Rules, to review the need for the continued imposition of an anti-subsidy duty in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of the said duties is likely to lead to continuation of subsidisation and injury to the domestic industry.

7. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings issued vide Notification No. F. No. 6/19/2018-DGAD dated 22nd August 2019.

B. PROCEDURE

8. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject review:

i. The Authority vide Notification No. 7/26/2023-DGTR dated 29th December 2023, published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating a sunset review of anti-subsidy duty on imports of the subject goods from the subject country.

ii. The Authority in terms of Article 13 of WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (hereinafter referred to as "ASCM") provided an opportunity to the Government of China (hereinafter referred to as "GoC") for pre-initiation consultations. The consultation meeting was scheduled with its representatives on 27th December 2023. However, the Government of China did not attend the consultation meeting. Therefore, the Authority proceeded with the initiation of the subject sunset review investigation.

iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, to the GoC through its embassy in India, and to other interested parties who requested in writing in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also provided to other interested parties, wherever requested.

iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review investigation to the known producers/exporters in the subject country, to the GoC and other interested parties and provided them with an opportunity to file responses to the questionnaire in the form and manner prescribed, within the time limit as prescribed in the initiation notification or extended time limit, and make their views known in writing in accordance with the Rule 7(4)of the Rules.

v.The Authority forwarded copies of the notification to the following known producers/exporters:

a. Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co Lt

b. Shandong Qiaochang Chemical Co Ltd

c. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd

d. Sinochem International Crop Care Overseas Pte Ltd

e. Willowood Hangzhou Co Ltd

f. Hebei Bestar Commerce And Trade Co Ltd

g. Shandong Binnong Technology Co Ltd

h. Hangzhou Kaiyi Chemicals Co Ltd

vi. The GoC through its embassy in India, was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

vii. The following producers/exporters from the subject country filed a response to the exporters' questionnaire:

a. Xiangshui Zhongshan Biotechnology Co., Ltd.

b. Zhejiang Zhongshan Chemicals Industry Group Co., Ltd.

viii. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information:

a. Adama India Private Limited

b. Agro Pack

c. Dharmaj Crop Guard Limited

d. PI Industries Ltd.

e. Rallis India Limited

f. Tropical Agrosystem (India) Pvt. Ltd.

ix. In response to the notification and the request for a questionnaire response, the following importers or consumers registered as interested parties in this investigation:

a. Krishi Rasayan Exports Pvt. Ltd.

x.However, it did not file any response to the user/importer questionnaire or economic interest questionnaire and did not appear before the Authority during the oral hearing.

xi. Further, the following parties have made submissions in response to the initiation notification:

a. China Crop Protection Industry Association (CCPIA)

xii. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the embassy of the GoC, all the known exporters, importers and the domestic industry. The Economic Interest Questionnaire was also shared with the Department of Chemicals and Petrochemicals (DCPC), Ministry of Chemicals and Fertilizers. The response to the Economic Interest Questionnaire has been only filed by the domestic industry.

xiii. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

xiv. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is July 2022 – June 2023 (12 months). The injury period will cover the periods 2019-20, 2020-21, April 2021 to June 2022 (15 months) and the period of investigation.

xv. A request was made to the Directorate General Systems to arrange data of imports of the subject goods for the injury period including the period of investigation (POI), which was received by the Authority. The Authority has relied upon DG System data for the required analysis after due examination of the transactions.

xvi. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), has been worked out to ascertain whether countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xvii. The verification of the data provided by the other interested parties and the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the present investigation. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis of the present case.

xviii. The Authority provided the opportunity to the interested parties to present their views orally in an oral hearing held on 12th March 2024 in accordance with Rule 7(6). The parties, who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.

xix. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and information provided by various interested parties during the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in these final findings.

xx. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and

not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.

xxi. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and considered the facts available.

xxii. *** represents information furnished by a party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 82.39

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

9. The product under consideration is Atrazine Technical (hereinafter referred to as Atrazine). It is an odourless white powder, used in making the formulation of various kinds, as approved by the Central Insecticides Board (CIB). Atrazine formulations are used on crops, evergreen tree farms, for evergreen forest degrowth and sprayed on croplands. It is also used to keep weeds from growing on highways and railroads.

C.1 Submissions of the other interested parties

10. The other interested parties have not made any submissions with regard to the product under consideration and like article.

C.2 Submissions of the domestic industry

11. The submissions made by the applicant with regard to the product under consideration and like article are as follows:

i. The scope of the product under consideration is the same as that in the original investigation.

ii. There is no difference in the subject goods produced by the domestic industry and the subject goods exported from the subject country.

iii. No PCN methodology was adopted by the Authority in the previous investigation.

iv. The goods produced by the domestic industry are like article to the goods being exported by the producers in the subject country.

C.3 Examination of the Authority

12. The product under investigation as defined in the original investigation is as follows:

"11. The product under consideration is "Atrazine Technical", classifiable under various tariff sub-headings No. 38089199, 38089390 and 38089990. The scientific name for Atrazine is 6- chloro-N-ethylN'-(1-methylethyl)-triazine-2,4-diamine...

Atrazine technical is a commonly used herbicide. It is a systemic triazine herbicide registered for the control of pre and post emergence of broadleaf weeds and grassy weeds. Pure atrazine is an odourless white powder which is not very volatile, reactive, or flammable. It is synthesized in chemical factory made in the laboratory and does not occur naturally. It is used mostly on farms on crops such as sugarcane, corn, pineapples, sorghum, and macadamia nuts and also to prevent weeds from growing on both highway and railroad rights-of-way. It can be sprayed on croplands before crops start growing.

12. Atrazine Technical is designated as a Restricted-Use Pesticide (RUP), and is not available to the general public. RUP's are, by law, only available for sale to certified applicators or persons under their direct supervision, and only for the purpose covered by the applicator's certification. It is known by various names such as

a. 6-Chloro-N-Ethyl-N'-(1-Methylethyl)-Triazine-2,4-Diamine;

b. 2-Chloro-4-Ethylamino-6-Isopropylamine-S-Triazine;

c. 2-Chloro-4-(Ethylamino)-6-(Isopropylamino)-S-Triazine;

d. 2-Chloro-4-(Ethylamino)-6-(Isopropylamino)-Triazine;

e. Chloro-4-(Propylamino)-6-Ethylamino-S-Triazine;

f. Chloro-4-(Propylamino)-6-Ethylamino-S-Triazine, etc

Scope includes all synonyms of the product under consideration."

13. In the initiation notification, the Authority noted as follows:

"5. The product under consideration in the present investigation is Atrazine Technical (hereinafter referred to as "Atrazine" or the "product under consideration").

6. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

7. The product under consideration is classified under Chapter 38 of Schedule I to the Customs Tariff Act under the sub-heading 3808 91 99, 3808 93 90 and 3808 99 90. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation."

14. The subject goods are considered as Restricted Use Pesticides (RUP). Accordingly, it can be sold only by a registered Central Insecticides Board (CIB) formulator and distributor. An importer must have an import license from CIB in order to import the subject goods. Any product imported without CIB registration is treated as prohibited and can be confiscated by the customs authorities for violation of law. Further, the import of the subject goods is restricted to certain ports, as per Rule 45 of CIB Rules.

15. The Authority notes from the information on record that the product produced by the domestic industry is "like article" to the goods imported from China. The goods produced by the domestic industry and imported from China are comparable in terms of technical specifications, functions & usages, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority proposes to hold that the subject goods produced by the applicants are 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions of Other Interested Parties

16. The other interested parties have made the following submissions regarding the scope of the domestic industry and standing.

a. The applicant has not provided details of relationship with foreign producers, if any, details of other Indian producers and production of other Indian producers.

D.2 Submissions of the Domestic Industry

17. The submissions made by the applicant during the course of the investigation with regard to the scope of domestic industry and standing are as follows:

b. There are four producers of the subject goods in the country.

c. The applicant accounts for ***% of the total Indian production

d. The applicant has a plant in the SEZ area for which data has not been provided since, in the original investigation, the Authority noted that the SEZ unit cannot be treated as part of the domestic industry.

e. The applicant has not imported the product under consideration and is not related to any exporter or importer of the product, from any country.

D.3 Examination of the Authority

18. Rule 2(b) of the Countervailing Duty Rules defines domestic industry as under: -

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry".

19. The application was filed by Meghmani Industries Limited. Apart from the applicant, there are three other producers of the subject goods in India. The production of the other producers has been estimated by the applicant based on market information.

Particulars	Unit	POI
Applicant	%	**60-70%**
Meghmani Industries Limited	%	***
Other Producers	%	**30-40%**
Insecticide India Limited	%	***
GSP crop Life science Limited	%	***
Best Agrochem Private Limited1	%	***
Total Indian Production	**%**	**100%**

20. It is noted that the applicant has a plant in the SEZ area. However, as held in the original investigation, the SEZ unit of the applicant has not been treated as part of the domestic industry.

21. The applicant accounts for a major proportion of the total domestic production. It is also noted that the applicant is not related to any exporter or importer of the subject goods and has not imported the product under consideration. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes the domestic industry under Rules 2(b) of the CVD Rules, and the application meets the requirements of standing under Rule 6(3).

E. ISSUES ON CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions made by Other Interested Parties

22. The other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality issues:

a. The non-confidential version of the petition fails to meet the requirements of Rule 7 and Trade Notice No 1/2013 dated 9th December 2013.

b. The applicant has not provided all the required information in Section – VI and claimed such information confidential without providing justification.

c. The annual reports have been claimed confidential but the same are available online and MCA portal on payment of fees.

E.1 Submission made by Domestic Industry

23. The other interested parties have made the following submissions with regard to the confidentiality issues:

a. The domestic industry has provided the non-confidential version as required by Rule 7 and Trade Notice 1/2013.

b. The information contained in Section VI relates to business proprietary information, the same cannot be disclosed to the interested parties.

c. The other interested parties have themselves claimed the financial statements as confidential.

E.3 <u>Examination of the Authority</u>

24. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-Subsidy Rules provides as follows:

Rule 8: Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

25. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed on a confidential basis.

F. <u>DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN</u>

F.1. <u>Submissions made by other interested parties</u>

26. The other interested parties have made the following submissions with regard to the subsidy and subsidy margin issues:

i. The Authority should justify (a) whether it has assessed the adequacy and accuracy of the evidence concerning subsidization; and (b) the basis on which it considers that the petition contains adequate and accurate information for each subsidy alleged.

ii. The Authority has initiated an investigation into programs for which the petitioner did not even bother to make proper allegations. The petitioner did not establish the existence of the three elements comprising a countervailable subsidy, namely, (a) financial contribution, (b) benefit, and (c) specificity.

iii. Most of the subsidies alleged by the applicant are simple assertions without any by actual evidence.

iv. The same subsidies have been alleged to be applicable to the product under consideration as copper tubes and pipes, without providing adequate evidence.

F.2 <u>Submissions made by the domestic industry</u>

27. The domestic industry has made the following submissions with regard to the subsidy and subsidy margin:

i. There is sufficient evidence showing that exporters/ producers/ their affiliates of the subject goods in the subject countries may have benefited from various countervailable subsidy programs by the

Government of China, which are not available to general exporters/ producers and are actionable under the ASCM and CVD Rules.

ii. The Authority may call for information on the affiliate entities.

iii. The benefits under some of the schemes are non-recurring and must be examined over the average useful life for the subject goods in China.

iv. The average useful life for machinery used in subject product in China is 10 years.

v. The import duty exemptions on inputs for exported products are not countervailable as long as the exemption is extended to the production of exported products only.

vi. The Government of China must have a system in place to confirm the inputs consumed for exported products If such a system does not exist or is not applied effectively, it will lead to countervailing of the entire amount of the exemption.

vii. The Government of China has not filed a response/ nor provided any meaningful information. Only the government can provide detailed information related to whether the said scheme is countervailable or not. The responding exporter can only provide information whether any benefit was received or not.

viii. In other jurisdictions, where the Government of the exporting country does not cooperate, the investigating authorities rely on the facts available and determine the countervailability of the schemes.

ix. One of the related entities of the responding producer, that participated in the original investigation, has not filed a response in the present investigation.

x. The response filed by the responding producer should be rejected since complete details of the subsidies received cannot be obtained in case of non-participation of affiliated companies.

xi. The producer has suppressed relevant information and has failed to provide a complete response, rendering its response fit for rejection.

xii. The producer has completely ignored the prescribed format of Section II and has not provided information on all the schemes and how they were not eligible for them.

xiii. There is no clarity on whether Zhejiang Zhongshan has availed benefits for subsidies for which it was eligible.

xiv. The Authority should quantify the subsidy margin based on the best facts available.

xv. The exporters have not shown that the information or evidence provided by the domestic industry is not accurate. The domestic industry has provided sufficient evidence required for initiation.

xvi. The exporters have not demonstrated any program that did not entail (a) financial contribution, (b) benefit and (c) specificity.

xvii. The domestic industry has nowhere alleged that schemes available to producers of copper tubes and pipes are applicable to the producers of the subject goods.

F.3 <u>Examination by the Authority</u>

28. The application filed by the domestic industry provided adequate *prima facie* evidence of the existence of countervailable subsidies in the subject country on the subject good. The Authority notes that adequate opportunity was provided to the Government of China, through written communications and consultations, to provide relevant information concerning the existence, operations and administration of various subsidy schemes contended by the applicant, countervailability of the same vis-à-vis the WTO ASCM and Indian Rules, and benefits availed by the Chinese producers/exporters under these schemes. The Government of China has not filed a response to the questionnaire, nor has provided any information relevant to various subsidy schemes. The Government of China has thus not cooperated with the Authority in the present investigation. As

the Government of China has not extended the required cooperation, the Authority was constrained to proceed with the available information in this investigation.

29. The present investigation was initiated on the basis of *prima facie* evidence. Post initiation, the GOC and producers/ exporters of Atrazine Technical from China PR were advised to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed and were given adequate time and opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of the alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any. The Authority granted additional time till 22nd February 2024 to the responding producers / exporters to file the response. Further, the Authority issued deficiency letters dated 2nd April 2024 and 14th May, 2024 requesting clarification/missing information from the responding producers/exporters on certain information provided by in their exporter questionnaire response.

30. The following producers/ exporters of the subject goods, all related with each other, from China PR have filed questionnaire responses:

    i. M/s Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co. Ltd. (Zhejiang)

    ii. M/s Xiangshui Zhongshan Bioscience Co. Ltd. (Xiangshui)

31. The Authority examined the questionnaire response filed by the aforementioned producer and exporter. It was noted that the responding producer and exporter failed to provide the response in the form and manner prescribed by the Authority. Further, the program-wise information provided by the responding producer and exporter is only with respect to the subsidy schemes availed by the producer and exporter. Therefore, wherever the response filed by the responding producer and exporter was found inadequate, the Authority is constrained to rely on facts available on record, including the findings of the Authority in the original investigation as well as the information/evidence provided by the domestic industry during the course of the investigation.

32. The domestic industry has alleged that Chinese producers/exporters of the subject goods are receiving countervailable subsidies under the following programs of various levels of government and they have been classified under six broad categories: grants, tax and VAT incentives, preferential loans and lending/financing, export financing and export credit, provision of goods at less than adequate remuneration, and equity infusion.

F.3.1 Subsidy Schemes Under Investigation

33. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country continue to benefit from actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including the provinces and districts in which producers/exporters are located. The applicant has also claimed that there are additional programs or schemes that should be considered in the present investigation. The Authority initiated investigations for the following subsidy programs wherein the producers of the product under consideration may have potentially received the countervailable benefits:

i. Schemes identified as provision of Goods and Services at less than adequate remuneration

a) Program No. 1: Provision of Water for less than Adequate Remuneration

b) Program no 2: Land use rights provided at less than adequate remuneration

c) Program No 3: Land Use Rights for SOEs

d) Program No 4: Electricity at LTAR

e) Program No 5: Provision of Land-Use Rights for LTAR – Land Use Rights in Certain Industrial and SEZs

f) Program No. 6: Land Use rights for FIEs

g) Program No. 72: Raw materials at LTAR

ii. Programs in the form of Equity Infusion

h) Program No 7: Debt for equity swaps

i) Program No. 8: Unpaid dividends

j) Program No 9: Equity infusions

k) Program No 10: Debt Forgiveness

l) Program No 11: Deed Tax Exemption for SOEs Undergoing Mergers or Restructuring

m) Program No. 12: Dividend exemption between qualified resident enterprises

iii. Programs in the form of Export Financing and Export Credit

n) Program No 13: Export Seller's Credit

o) Program No 14: Export Buyer's Credit

p) Program No 15: Export Credit Insurance Subsidies

q) Program No 16: Export Credit Guarantee by GOC

r) Program No 17: Preferential export financing from the Export-Import Bank of China

iv. Programs in the form of Preferential Loans and Lending

s) Program No 18: Preferential Lending

t) Program No 19: Preferential Loans for SOEs

u) Program No. 71: Discounted Loans for Export -Oriented Enterprises and Export Loan Interest Subsidies

v. Programs in the form of Tax and Vat Incentives

v) Program no 20: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses

w) Program No. 21: Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs

x) Program No. 22: VAT Refunds for FIEs Purchasing Domestically - Produced Equipment

y) Program No 23: Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies

z) Program No 24: Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilisation (special raw materials)

aa) Program No 25: Tax credit concerning the purchase of special equipment

bb) Program No. 26: Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to operate for a Period not Less than 10 Years

cc) Program No. 27: Tax Reductions for Technology or Knowledge-Intensive FIEs

dd) Program no 28: Income Tax Reduction for Advanced Technology FIEs

ee) Program No 29: Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors

ff) Program No. 30: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones

gg) Program No 31: Tax concessions for Central and Western Regions

hh) Program No 32: Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region

ii) Program No. 33: Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises and Certain Domestically- Owned Companies Which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipment's

jj) Program No. 34: Shanghai Municipal Tax Refund for High-tech Achievement Commercialization Projects

kk) Program No. 35: Local income tax and reduction program for the productive FIEs

ll) Program No. 36: Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs in Guangdong and Hainan Island

mm) Program No. 37: Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas

nn) Program No.38: Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas

oo) Program No.39: Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises

pp) Program No. 68: Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area)

qq) Program No. 69: Income Tax credits for domestically owned Companies Purchasing Chinese made Equipment

rr) Program No.70: Export tax rebate/Tax Refund on Exports

vi. Programs in the form of Grants

ss) Program No 40: Famous Brands Program/ Incentive fund for famous-brand products

tt) Program No. 41: Grants for Antidumping Investigations

uu) Program No. 42: Research & Development (R&D) Assistance Grant

vv) Program No. 43: Export Assistance Grant

ww) Program No. 44: Grants for Listing Shares

xx) Program No. 45: Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation.

yy) Program No. 46: International Market Fund for Export Companies

zz) Program No. 47: Special fund for energy saving technology reform

aaa) Program No. 48: State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies

bbb) Program No. 49: Superstar Enterprise Grant

ccc) Program No. 50: Funds for Outward Expansion of industries in Guangdong Province

ddd) Program No. 51: Grant - Special Funds for Fostering Stable Growth of Foreign Trade

eee) Program No. 52: Interim Measures of Fund Management of Allowance for Zhongsham Enterprises to Attend Domestic and Overseas Fair

fff) Program No. 53: Treasury Bonds Loans or Grants

ggg) Program No. 54: Provincial Government - Equipment Grant

hhh) Program No. 55: Various grants provided to Fuyang City and Hangzhou City

i. Grant for Enterprises Paying Over RMB 10 Million in Taxes

ii. Grants under the Export of Sub-Contract Services Program

iii. Grants under Excellent New Products/Technology Award

iv. Investment grants from Fuyang City Government for key industries

v. Grants for Enterprises Operating Technology and Research and Development Centers

vi. Local and Provincial Government Reimbursement Grants on export Credit Insurance Fees

vii. Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of Fuyang (Zhejiang Province) & (Anhui Province)

iii) Program No. 56: Grants provided by Hebei Province

i. Grants under the Science and Technology program of Hebei Province

ii. Government of Shijiazhuang City Export Award

jjj) Program No. 57: Various grants provided to Shandong Province

i. Shandong Province's Special Fund for the Establishment of Key Enterprise Technology Centers

ii. Shandong Province's Award Fund for Industrialization of Key Energy-Saving Technology

iii. Shandong Province's Environmental Protection Industry Research and Development Funds

iv. Shandong Province's Construction Fund for Promotion of Key Industries

kkk) Program No. 58: Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area

lll) Program No. 59: The State Key Technology Renovation Projects Fund

mmm) Program No. 60: Enterprise Development Funds

nnn) Program No. 61: The Clean Production Technology Fund

ooo) Program No. 62: Special fund for the development of foreign trade and economic Cooperation

ppp) Program No. 63: Grants for High and New Technology Industries

qqq) Program No. 64: Various grants provided to Guangdong province

i. Special fund for developing trade through science and technology of Guangdong Province

ii. Guangdong - Hong Kong Technology Cooperation Funding Program

iii. Guangdong Supporting Fund

iv. Special Fund for Significant Science and Technology by Guangdong Governments

v. Provincial Government of Guangdong Science and Technology Bureau Project Fund

vi. Provincial Loan Discount Special Fund for SMEs by Guangdong Governments

vii. Special Supporting Fund for Key Projects of "500 Strong Enterprises in Contemporary Industries" by Guangdong Governments

viii. Fund for Supporting Strategic Emerging Industries by Guangdong Governments

ix. Special Fund for Export Credit Insurance by Guangdong Governments

x. Patent Award of Guangdong Province

xi. Supporting Fund for the Development from Guangzhou Local Governments

rrr) Program No. 65: Various grants provided to Jiangsu province

i. Jiangsu Province Finance Supporting Fund

ii. Environment Protection Award (Jiangsu)

iii. Jiangsu City Industrial Economy Performance Award

iv. Changzhou Qishuyan District Environmental Protection Fund

v. Changzhou Technology Plan

vi. Supportive Fund provided by the Government of Xuyi Country

vii. Enterprise Technology Centers/ Support Funds for Construction of Project infrastructure

sss) Program No. 66: Funds for supporting technological innovation for technological small and medium-sized enterprises/ Small and Medium-sized Enterprise Support Funds

ttt) Program No. 67: Project funds allowance

34. The domestic industry has alleged that there are new countervailable programs providing benefits, resulting in lower costs, thereby allowing Chinese producers to sell at a lower price. The following is a list of the new programs among the above-mentioned subsidy schemes:

a) Program No. 1: Provision of Water for Less than Adequate Remuneration

b) Program no 2: Land use rights provided at less than adequate remuneration.

c) Program No 7: Debt for equity swaps

d) Program No 10: Debt Forgiveness

e) Program No 11: Deed Tax Exemption for SOEs Undergoing Mergers or Restructuring

f) Program No 17: Preferential export financing from the Export-Import Bank of China

g) Program No. 18: Preferential Lending

h) Program No. 22: Vat Refunds for FIEs purchasing domestically produced equipment

i) Program No. 34: Shanghai Municipal Tax refund for high-tech achievement commercialization projects

j) Program No. 35: Local income tax and reduction program for the productive FIEs

k) Program No. 49: Superstar Enterprise Grant

l) Program No. 50: Funds for outward expansion of industries in Guangdong Province

m) Program No. 51: Grant - special funds for fostering stable growth of foreign trade

n) Program No. 52: Interim Measures of fund Management of allowance for Zhongsham Enterprise to attend domestic and overseas fair

o) Program No. 53: Treasury bonds Loans or Grants

p) Program No. 54: Provincial Government - Equipment Grant

q) Program No. 55: Various grants provided to Fuyang City and Hangzhou City

i. Grant for Enterprises Paying Over RMB 10 Million in Taxes

ii. Grants under the Export of Sub-Contract Services Program

iii. Grants under Excellent New Products / Technology Award

iv. Investment grants from Fuyang City Government for key industries

v. Grants for Enterprises Operating Technology and Research and Development Centres.

vi. Local and Provincial Government Reimbursement Grants on Export Credit Insurance Fees

vii. Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of Fuyang (Zhejiang Province) & (Anhui Province)

r) Program No. 56: Grants provided by Hebei Province

i. Grants under the Science and Technology program of Hebei Province

ii. Government of Shijiazhuang City Export Award

s) Program No. 57: Various grants provided to Shandong Province

i. Shandong Province's Special Fund for the Establishment of Key Enterprise Technology Centers

ii. Shandong Province's Award Fund for Industrialization of Key Energy-Saving Technology

iii. Shandong Province's Environmental Protection Industry Research and Development Funds

iv. Shandong Province's Construction Fund for Promotion of Key Industries

t) Program No. 58: Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area

35. The domestic industry contended that the Chinese producers have received countervailable benefits in these schemes as well. However, based on the information provided by the responding producers/exporters, it is noted that none of these schemes have been availed by the responding producers/exporters in the present investigation. Further, the domestic industry has also not provided sufficient information with regard to any of these programs to countervail and quantify the subsidies availed by the producers/exporters from the subject country. Thus, the Authority considers it not necessary to examine countervailability of these programs. Accordingly, the other new schemes brought on record by the domestic industry have not been examined in the present investigation.

36. The principle of judicial economy allows the Authority to refrain from undertaking a detailed investigation in respect of those programs that were found countervailable in the original investigation. The Authority has examined whether countervailable schemes as determined during the original investigation continue and whether there is evidence of continued benefit being received under the said schemes. The present investigation is a sunset review investigation, and the objective of the investigation is to ascertain whether the Chinese producers continue to benefit from these countervailable subsidies. However, the Government of China has failed to provide a response and the exporters have filed inadequate responses. On the other hand, the domestic industry has made submissions demonstrating that the producers and exporters in China continue to avail the benefit of such countervailable subsidies. Thus, in view of the absence of any evidence presented by the Government of China or the responding producers/exporters on whether such schemes have been withdrawn or not and the submissions by the domestic industry, the Authority has concluded that the subsidy schemes countervailed in the original investigation continue to exist in China and provide benefit to the producers/exporters of the subject goods, based on the facts available.

F.3.3 <u>Examination of subsidies availed by responding producers/exporters</u>

37. The following producers/ exporters of the subject goods from China PR have filed questionnaire responses:

i. M/s Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co. Ltd. (Zhejiang)

ii. M/s Xiangshui Zhongshan Bioscience Co. Ltd. (Xiangshui)

38. Based on the questionnaire responses submitted, it is noted that Xiangshui is the producer of the subject goods in China. However, it has not directly exported the subject goods to India. It has sold the subject goods to Zhejiang, which has in turn exporter the subject goods to India. During the period of investigation, Zhejiang has exported ***MT of the subject goods to India.

Xiangshui (Producer) → Zhejiang (Exporter) → India

39. M/s Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co., Ltd has accepted availing the benefit under the following schemes/programs-

i. Program No 20: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses

ii. Program No 23: Preferential tax policies / Income Tax Reductions for companies that are recognized as high and new technology companies

iii. Program No 42:Research & Development (R&D) Assistance Grant

iv. Program No 60 Enterprise Development Funds

v. Program No 62: Special fund for the development of foreign trade and economic Cooperation

vi. Program No 63: Grants for High and new technology industries

vii. Program No 65: Various grants provided to Jiangsu province

a) Environment Protection Award (Jiangsu)

40. M/s Xiangshui Zhongshan Bioscience Co., Ltd. has accepted availing the benefit under the following schemes/programs-

i. Program No 61: The Clean Production Technology Fund

ii. Program No 65: Various grants provided to Jiangsu province

b) Environment Protection Award (Jiangsu)

41. The above acceptance in the questionnaire response of the producers/exporters shows the existence of the above-mentioned schemes/ programs. However, as stated above, the response filed by the exporters is inadequate. The responding producer and exporter did not respond to program-specific questions about the subsidy schemes not availed by them. The information made available by these producers/ exporters with respect to the subsidies availed by them has been adopted to the extent found relevant and appropriate. For the remaining, the Authority has relied on facts available on record, including the information provided by the domestic industry and available on record in the original investigation.

F.3.3.1 <u>Provision for Goods and Services for less than adequate remuneration (LTAR)</u>

a) Land use right

42. Given the absence of participation by the Government of China or any evidence presented by the responding producers/exporters on whether such schemes have been withdrawn or not and the submissions made by the domestic industry, the Authority concludes that the subsidy schemes countervailed in the original investigation continue to exist in China and provide benefit to the producers/exporters of the subject goods, based on the facts available.

43. In the questionnaire response filed by Xiangshui, it is seen that the company obtained land and has paid certain amounts towards land use rights. The responding producer has provided details of lands acquired from time to time and the amount paid towards land use rights. In order to determine the benefit received by the responding producer, the Authority has considered the benchmark information submitted by the interested parties. The responding producer has submitted the prevailing prices of land in China based on the screenshots of certain Chinese websites. However, the prices of such lands being located in China cannot be considered as an appropriate benchmark since it has been concluded in the original investigation that the land prices in China are distorted.

44. On the other hand, the domestic industry has submitted that the Authority must consider an out-of-country benchmark for determining the benefit. In this regard, the domestic industry has placed on record a report by CB Richard Ellis, namely Asian Marketview Reports, and has requested that the price of land in Thailand should be considered as a benchmark. It is noted that the Authority has previously considered land prices in Thailand as the appropriate benchmark in the original investigation. Accordingly, the Authority has considered land prices in Thailand as the appropriate benchmark in the present review as well.

45. Considering the total amount of land acquired by the responding producer and the amount paid towards land use rights, the Authority has determined the average amount paid towards land use rights. Such average amount paid towards land use rights has been compared with the benchmark considered by the Authority (that is, the price prevailing in Thailand adjusted for inflation). It is seen that the responding producer has benefited from concessional payments towards land use rights.

46. The Authority, accordingly, holds land use rights as a countervailable subsidy received by the responding producer. Further, the Authority on the basis of aforementioned comparison of the average price paid by the responding producer and the benchmark prices determines a subsidy margin of ***% on this account.

b) Utilities (electricity)

47. The responding producers/exporters have claimed that they have not received raw materials or utilities at less than adequate remuneration. Further, all goods and services for the operations of the product under consideration are at the market price.

48. However, in the original investigation, the Authority concluded that the producers of the product under consideration in China have availed the benefit of electricity at less than adequate remuneration. The Authority has not re-examined the scheme's countervailability since the GoC's response is missing, and the exporter was unable to establish that the subsidy scheme is not countervailable.

49. To examine whether the responding producer received power at less than adequate remuneration, the Authority has examined the power cost of the responding producer with the benchmark prices. However, none of the other interested parties have provided any benchmark information in this regard. Accordingly, for this purpose, the Authority has considered benchmark prices provided by the domestic industry. An analysis of the information provided by the responding producer shows that the company has actually received power at less than adequate remuneration. In the absence of a response filed by the Government of China and due information provided by the responding producer, the benefit on this account has been worked out based on the facts available. The subsidy margin determined on the basis of facts available by the Authority is ***%.

c) Raw materials

50. The Authority notes that financial contribution arises if raw materials become available to a business enterprise at less than adequate remuneration in view of a general or specific policy or a program of the government or a public body. In such a situation, benefit is conferred on the recipient of goods by virtue of access to raw materials at less than adequate remuneration. Such subsidy becomes specific because it is limited to certain enterprises using such raw materials/goods. In the original investigation, the Authority concluded that the producers of the product under consideration in China have received raw material at less than adequate remuneration.

51. In the present review, the responding producer has provided details of raw material purchased for use in the production of the subject goods. However, the producer has not demonstrated that it has purchased the raw materials at market prices or that it has not received raw materials at less than adequate remuneration. Further, the Government of China has not filed any submission to claim that the responding producer has not received the relevant raw materials at less than adequate remuneration. On the other hand, the applicant has claimed that the responding producers have received three raw materials at less than adequate remuneration and has submitted benchmark information to demonstrate the benefit received in this regard. Such information has been considered by the Authority and has been compared with the actual price of the raw material paid by the responding producer.

52. The three major raw materials used for the production of the subject goods are cyanuric chloride, mono isopropyl amine (MIPA) and mono ethyl amine (MEA). In the present investigation, the Authority has considered the import prices of mono isopropyl amine into India, MEA prices at which MEA in India has been procured by the domestic industry, adjusted for customs duty and expenses beyond FOB, and import prices of cyanuric chloride adjusted for customs duty, ocean freight and insurance. Comparison of this international benchmark price with the actual raw materials price reported by the responding producer shows that the responding producer has received MEA and cyanuric chloride inputs at a price materially below the prevailing international prices, resulting in access to inputs at less than adequate remuneration. However, it is observed that the prices at which the responding producer has procured MIPA is comparable to the benchmark information submitted and no benefit has accrued to the producer with respect to this input. The subsidy margin accordingly determined on this basis is ***%.

F.3.3.2 Tax incentives and VAT incentives

53. The Government of China and its agencies administer a number of tax programs, which provide tax exemption/reduction remission/rebate to certain categories of enterprises based on their location or nature of the activities such as R &D, technological innovation/ upgradation these enterprises undertake.

54. The benefit of the program is not limited to the product under consideration alone. Benefits under the program are available on the total profits of the company, once the company is able to claim that it is entitled to benefit under the program. In its response to the exporter questionnaire, Zhejiang has provided the details of the benefits taken under both schemes.

55. The Authority has cumulated the total benefit received through various income tax exemptions and allocated the same across all products. Considering the total benefit received under these programs, the Authority determines the subsidy margin as ***%.

F.3.3.3 Preferential Lending

56. In their questionnaire response, the responding producer and the exporter have provided details of loans procured. The Authority has earlier determined that loans are available to Chinese enterprises at discounted interest rates and such concessional lending results in financial contribution in the form of direct transfer of funds. In the absence of any evidence presented by the Government of China or the responding producers/exporters on whether such schemes have been withdrawn or not and the submissions by the domestic industry, the Authority concludes that the subsidy schemes countervailed in the original investigation continue to exist in China and provide benefit to the producers/exporters of the subject goods, based on the facts available accordingly.

57. To determine the benefit received by the responding producer and exporter, the Authority has compared the lending rates at which the responding producers have received loans, to the benchmark rates. In this regard, the responding producer and exporter have submitted evidence of interest rates as issued by the People's Bank of China. However, the GoC has not participated in the investigation and there is no evidence on record to show absence of Government control over lending rates in China, the interest rates as issued by the People's Bank of China cannot be considered. Therefore, for the purpose of determining the benefit received, the Authority has considered the benchmark information submitted by the domestic industry. In order to determine the benefit received by the responding producer and exporter, the Authority has compared the interest rate at which such parties have received loans with the average of benchmark information submitted by the domestic industry. Based on the same, the Authority considers that the responding Chinese producers and exporters have benefited from loans at preferential lending rates. The subsidy margin determined on this account is ***%.

F.3.3.4 <u>Grants</u>

58. In the questionnaire response, Zhejiang has admitted availment of benefits under Program No. 42, 60, 62, 63 and 65(ii) and Xiangshui has admitted availing of benefits under Program No. 61 and 65(ii). However, the Authority notes that the financial statements of the responding producers show a higher amount of subsidies received. The Authority has determined the CVD margin under various grants received by Zhejiang and Xiangshui as reported by them. For the purpose, gross amounts reported in the response filed by the responding producer and exporter has been considered as the benefit conferred. The amount of subsidy margin determined is ***%.

F.4 Conclusion

59. In view of the foregoing, the Authority finds that the Chinese producers and exporters are benefited from countervailable subsidies. Based on the investigations conducted, facts on record available, questionnaire response of the participating exporters and considering the absence of questionnaire response from the GOC, the Authority has quantified the margin of subsidies for the responding producer as shown in the table below. Further, the subsidy margin of the non-responding producers have been quantified based on the facts available.

SN	Program No.	Name of Scheme	Xiangshui Zhongshan Biotechnology Co., Ltd./ Zhejiang Zhongshan Chemicals Industry Group Co., Ltd. Range %	Any other producer Range %
1	Program No. 42, 60, 61, 62, 63, 65	**Grants**	0-5	0-5
2	Program No. 20-23	**Tax and VAT Incentives**	0-5	0-5
3	Program No. 18	Preferential lending	5-10	5-10
4		**Provision for goods and services at LTAR**		
a	Program No. 4	Electricity	0-5	0-5
b	Program No. 3,5,6	Land use right	0-5	0-5
c	Program No. 72	Raw Material	5-10	5-10
Total Subsidy Margin (1+2+3+4)			15-20	20-25

G. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions made by other Interested Parties

60. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

i. The import data relied upon is not authentic and the applicant has not provided the source for the data. The Authority should call for DGCI&S data for examination of injury.

ii. The applicant has not provided any information or data on the injury parameters and accordingly failed to establish causal link between subsidized imports and injury.

iii. The decline in the capacity utilisation of the applicant is due to the unnecessary expansion undertaken.

iv. There is no injury since:

a. The domestic sales of the applicant have increased from 100 in base year to 316 in the period of investigation. The average stock, considered as percentage to production and sales also shows a decline.

b. The profitability and cash profits have also increased from the base year.

c. The Authority should ignore the abnormal trends during the period that was affected by the pandemic.

d. The number of employees, salary and wages and productivity per employee have also improved over the period.

e. The capital employed, fixed assets, and working capital have also shown an upward trend.

v. The decline in the return on investment may be due to an unnecessary increase in capacities, higher interest rates on the borrowings, and higher depreciation.

vi. The programs that the producers/exporters have not availed have ceased to exist.

vii. When the imports were highest and at low price, the applicant earned profits and when the imports have declined, the profitability of the applicant declined.

viii. There is no correlation between the imports and the injury to the domestic industry.

ix. The 70,000 MT capacity as alleged by the applicant is not specifically for Atrazine.

x. The installed capacity for Atrazine is *** MT only.

G.2 <u>Submissions made by the Domestic Industry</u>

61. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:

i. Mere improvement in performance of the domestic industry does not mean that it is no longer suffering injury.

ii. There is a need for continued imposition of duty, since the situation of the industry is fragile.

iii. There are significant subsidies being provided to producers in China.

iv. China has introduced policies to encourage and support the sustainable and healthy development of pesticides and their related industries.

v. For examination of likelihood, the imports should be seen with reference to imports in absolute terms and in excess of the demand-supply gap in the country.

vi. Imports have declined in absolute numbers, due to the increased capacity of the domestic industry, but have increased in comparison to the demand-supply gap.

vii. When the imports were only slightly higher than the demand-supply gap, they were catering largely to the demand that the domestic industry could not meet. However, at present, the imports are entering the market despite absence of demand-supply gap.

viii. The imports account for more than one-third of the demand, despite the Indian producers already having capacity to meet the demand.

ix. The imports are actively taking away the demand that can be catered to by the domestic industry.

x. Even though the market share appears to have reduced in entirety, the market share of excess imports has actually quadrupled in the last two years.

xi. The domestic industry has suffered from underutilized capacity.

xii. Despite the increase in the Indian capacity, the increase in its domestic sales of the applicant is far lower.

xiii. The imports are undercutting the prices of the domestic industry.

xiv. Even after addition of anti-subsidy duty, the imports would have shown positive price undercutting.

xv. The landed price is below the cost of sales of the domestic industry.

xvi. The selling price of the applicant has not increased in tandem to the cost of sales.

xvii. The raw material and other variable cost of the domestic industry has significantly increased during the period but the selling price increased by a meagre 5%.

xviii. In case of absence of duties, the domestic industry will have to either reduce its prices or lose their customers. Therefore, the imports are likely to depress the prices of the domestic industry in the absence of duties.

xix. Even though the sales of the domestic industry increased, the total profits have witnessed a decline.

xx. The cash profits and return on capital employed has also declined significantly.

xxi. The domestic industry has made an investment of Rs. *** crores in the product to meet the Indian demand.

xxii. The capacity expansion did not suppress the return earned by the domestic industry, as evident from the fact that the present EBIDTA would have resulted in low return on investment even without capacity expansion.

xxiii. In the absence of duty, the domestic industry is likely to suffer losses, cash losses and negative return on capital employed.

xxiv. In the absence of duty, the import volume is likely to increase further and cause intensified injury to the domestic industry.

xxv. The domestic industry has already established a clear causal link between the subsidized imports and the injury suffered by it.

xxvi. The exporters have not explained the impact of the pandemic on the demand, production or imports.

xxvii. At best, the pandemic can be considered to effect only a few months during 2020-21.

xxviii. Since the subject imports had a price effect on the domestic industry, the increase in productivity does not throw light on the likelihood of injury.

xxix. Capital employed is bound to increase in a situation where the producer has undertaken capacity expansion.

xxx. Had there been no increase in excess imports, the domestic industry would have been able to increase its sales to a higher degree.

xxxi. There is a clear likelihood of an increase in imports in the event of the expiry of duty.

xxxii. Demand in China is likely to reduce due to the categorisation of Atrazine as "high pollution and high environmental risks".

xxxiii. Against a demand of 1,03,400 MT in 2022 and 47,500 MT in the first half of 2023 in China, the capacity is nearly 1,33,000 MT.

xxxiv. The capacity in China is 20 times the demand in India in the period of investigation.

xxxv. More than 55% of total sales in China is exported, indicating that the producers in China are export-oriented.

xxxvi. Capacities in China are underutilized, as against a capacity of 1,33,000 MT in 2023, the production was nearly 1,20,000 MT.

xxxvii. The idle capacity in China is 13,000 MT which is more than twice the demand in India.

xxxviii. The capacity of the participating producer (Xiangshui Zhongshan Biotechnology Co., Ltd.) is 6 times the demand in India.

xxxix. Atrazine is used in formulations that are widely used on sugarcane and India is one of the largest sugarcane plantations globally, after Brazil, that is likely to ban Atrazine.

G.3 <u>Examination of the Authority</u>

62. The Authority has taken note of the submissions and evidence presented by all interested parties with respect to injury to the domestic industry. The injury analysis by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

63. Rule 13 of the Countervailing Duty Rules, 1995 read with Annexure I provides that an injury determination involves examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all

relevant facts, including the volume of subsidised imports, their effect on prices in the domestic market for like article and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.

64. The Authority has considered submissions made by various interested parties and relevant legal provisions. The Authority has examined injury information of the domestic industry having regard to these legal provisions. The examination herein below *ipso facto* deals with the submissions made by the domestic industry and interested parties concerning injury to the domestic industry.

65. The Authority has examined the various injury parameters on account of imports from the subject country before proceeding to examine the likelihood aspects of subsidy and injury. It has been examined as to whether there is an increase in imports, in absolute terms or in relation to production or consumption. In considering the effect of the subsidised imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the subsidised imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the subsidised imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude, and margin of subsidy, etc. have been considered in accordance with Annexure-I of the Rules.

G.3.1 Assessment of demand / apparent consumption

66. For the purpose of the present investigation, the Authority has defined demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	**Unit**	**2019-20**	**2020-21**	**Apr'21-Jun'22 (A)**	**POI**
Demand (including captive)					
Sales of applicant	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	108	316
Captive sales of applicant	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	76	207
SEZ sales to DTA	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	19	28	21
Sale of other producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	275	251
Subject imports	MT	***	***	***	***
Other imports	MT	-	-	-	-
Demand (including captive)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	161	123	144
Demand (excluding captive)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	164	125	142

67. It is seen that the demand for the subject goods increased after 2019-20, but decreased during April 2021 to June 2022, before reporting an increase during the period of investigation.

G.3.2 Volume effect of the subsidised imports

68. With regard to the volume of the subsidized imports, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the subsidized imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DG System. The import volumes of the subject goods from the subject country and share of the subsidised import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	Apr'21-Jun'22 (A)	POI
Subject imports	MT	2,813	5,618	2,984	2,406
Other imports	MT	-	-	-	-
Subject imports in relation to -					
Total imports	%	100	100	100	100
Consumption/demand including captive	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	124	86	59
Consumption/demand excluding captive	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	85	60
Production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	175	59	28

69. It is noted that –

a. The subject imports increased in 2020-21 even after the imposition of countervailing duty. Thereafter, the imports have reduced in absolute terms. However, imports have remained significant during the POI and over the injury period.

b. Imports from the subject country represent all of the imports that have entered India during the period of injury and the period of investigation since imports from other countries are absent in both the periods.

c. The subject country imports in relation to the Indian production and demand have reduced throughout the injury period and in the period of investigation. The imports were quite significant in relation to production and consumption before the enhancement of capacity by the domestic industry. However, the imports have remained significant in relation to production and consumption during the POI even after substantial capacity addition by the domestic industry.

G.3.3 Price effect of the subsidised imports

70. With regard to the effect of the subsidised imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a) Price undercutting

71. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation. It is seen that the price undercutting is positive and significant during the period of investigation.

Particulars	POI	
	Landed Price excluding CVD	Landed Price including CVD
Net sales realization	***	***
Landed price	4,39,387	4,77,072
Price undercutting	***	***
Price undercutting	***	***
Range	5-15%	0-10%

72. Since the product was subjected to countervailing duty, the Authority determined price undercutting after including the prevailing countervailing duty. It is seen that the imports are were undercutting the prices of the domestic industry even after the imposition of duty. However, the selling price of the domestic industry was very close to the landed price of imports after adding the countervailing duty. The applicant submitted that, during the period of investigation, it was forced to reduce its prices in order to compete with the imports from the subject country. It is noted that if the duty-inclusive price is considered, the domestic industry was selling at a price very close to the landed price of imports.

b) Price suppression / depression

73. In order to determine whether the subsidised imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority has considered the changes in the costs and prices over the injury period as compared as below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	Apr'21-Jun'22 (A)	POI
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	135	190
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	184	192
Landed Price	₹/MT	2,29,131	2,24,972	3,42,994	4,39,387
Trend	Indexed	100	98	150	192
Landed Price including CVD	₹/MT	2,48,782	2,44,264	3,72,411	4,77,072
Trend	Indexed	100	98	150	192

74. It is noted that both the cost of sales and selling price have increased during the injury period. Further, the countervailing duty was imposed on the product in September, 2019. Therefore, if 2019-20 is excluded, it is seen that the increase in selling price in the POI is less than the increase in the cost of sales of the domestic industry as compared to all the preceding periods. Further, even though the total cost of the sales increased by 41% in the POI as compared to the preceding year, the selling price increased by only 5% in the POI. It is seen that the raw material costs of the domestic industry increased by ***%, and variable cost increased by ***% in the POI as compared to the preceding year. However, the domestic industry was not able to increase its selling price in proportion to the increases in direct costs on account of raw materials and utilities, owing to the landed price of imports. Further, the selling price of the domestic industry during the POI was very close to the landed

price of imports after adding the countervailing duty. It is thus seen that the imports have prevented the domestic industry from raising its prices in proportion to the increase in the costs in the POI.

75. It is also seen that the landed price of imports without the countervailing duty was below the cost of production of the domestic industry during the period of investigation, while the same was above the cost of production of the domestic industry after adding the countervailing duty. This indicates that the imports are likely to force the domestic industry to sell at loss-making prices in the event of cessation of the countervailing duty. Thus, in the event of the expiry of duty, the imports are likely to suppress/depress the prices of the domestic industry further and to such an extent that the domestic industry is likely to suffer financial losses.

G.3.4 Economic parameters relating to the domestic industry

76. The Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent injury by the subject imports on the domestic producers. With regard to the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, the performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales

77. The production, capacity, capacity utilization and sales during the injury period was as follows:

Particulars	**Unit**	**2019-20**	**2020-21**	**Apr 21-Jun 22 (Annl.)**	**POI**
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	400
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	108	337
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	108	84
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	108	316

78. It is seen that –

a. The domestic industry increased capacity significantly in the POI, after setting up a new plant during the period of investigation. There was a demand-supply gap in the country which has been filled up by the domestic industry by adding significant capacities.

b. The production of the domestic industry has increased over the injury period, with a slight decrease in production during April 2021 – June 2022, but was the highest during the period of investigation.

c. The capacity utilization of the domestic industry increased till 2020-21 but declined thereafter.

d. Despite increasing demand in the market, the domestic industry has not been able to utilize its capacities to the extent of demand for the product in the country, and its capacity utilization has remained low. The domestic industry would have fully utilized its production capacity in the absence of imports.

e. The domestic industry has been able to increase its sales over the injury period. Further, the domestic industry was able to post a significant increase in sales in the POI after the enhancement of production capacities. However, the increase in sales is far below the increase in production capacities. Further, the volume of imports is still higher than the volume of sales by the domestic industry, and even after available production capacities in the Country.

79. The applicant has submitted that it has not been able to increase its production in line with the increase in its capacities and therefore it has witnessed a decline in its capacity utilization. It is seen that the applicant increased its capacities by ***% but the domestic sales have increased by ***% in the POI in comparison to the preceding year and ***% when compared to the base year. It is noted that despite setting up a capacity of ***MT to cater to a significant share of the Indian demand, the applicant produced only ***MT during the period of investigation.

80. Some interested parties have submitted that the injury to the domestic industry is due to COVID-19. The Authority notes that the period of investigation in the present investigation is July 2022-June 2023, and there is no evidence of adverse effects of COVID-19 during this period. It is observed that the effect of the pandemic, if any, would be limited to a brief period in 2020-21 only.

b) <u>Market share</u>

81. The market share of the domestic industry, other Indian producers, imports from the subject country, and other countries are shown in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	Apr'21-Jun'22 (A)	POI
Including captive					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Domestic industry – SEZ to DTA	%	***	***	***	***
Domestic industry – Captive	%	***	***	***	***
Other Indian producers	%	***	***	***	***
Subject imports	%	***	***	***	***
Other imports	%	***	***	***	***
Excluding captive					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Domestic industry – SEZ to DTA	%	***	***	***	***
Other Indian producers	%	***	***	***	***
Subject imports	%	***	***	***	***
Other imports	%	***	***	***	***

82. It is seen that the market share of the subject imports has decreased after 2020-21 and the share of the domestic industry has increased in the same period. Further, the market share of the domestic industry increased significantly in the POI after commencement of new production capacities. However, the applicant has

submitted that during the period of investigation, there was no demand-supply gap in the country for the subject goods. Against a demand of ***MT, the total capacity in the country stood at ***MT. Despite the same and duties in place, it is noted that imports from the subject country have accounted for more than one-third of the market. Further, the market share of the subject imports is more than the market share of the domestic industry, even after the countervailing duty is in place.

83. The applicant has also submitted that the market share of imports was higher in the preceding years due to the demand-supply gap in the country and as such imports did not adversely affect the applicant both on volume and price accounts. However, during the period of investigation, even though the market share of the subject imports reduced and the market share of the domestic industry increased, the imports have increased in relation to the demand-supply gap, resulting in a situation where the imports were more than the sales of domestic industry. Further, the domestic industry suffered underutilisation of production capacities.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	Apr 21-Jun 22 (Annl.)	POI
Indian capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	214	386
Indian demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	161	123	144
Demand-supply gap	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	216	42	-72
Subject imports	MT	2,813	5,618	2,984	2,406

c) <u>Inventories</u>

84. Inventory position with the domestic industry over the injury period and the period of investigation is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	Apr 21-Jun 22 (Annl.)	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	58	40	20

85. It is seen that the average inventory for the domestic industry has decreased during the injury period.

d) <u>Employment, productivity and wages</u>

86. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	Apr 21-Jun 22 (Annl.)	POI
Number of employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	350
Salaries and wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	111	520
Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	108	395

87. It is seen that the number of employees and productivity have increased during the period of investigation. It is because of the addition of capacity by the domestic industry.

e) <u>Profits, cash profits and return on investment</u>

88. The profitability parameters of the domestic industry are as follows.

Particulars	**Unit**	**2019-20**	**2020-21**	**Apr'21-Jun'22 (A)**	**POI**
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	135	190
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	184	192
Profit/ (loss)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	665	2,304	254
Profit/ (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	678	2,480	804
Cash Profit	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	643	2173	345
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	656	2,340	1,094
Interest	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	0	2	174
Interest	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	0	2	550
Return of investment	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	294	579	71
Capital employed per unit	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	149	263	291

89. It is noted that:

a. The countervailing duty on the product was imposed in 2019-20. The profits of the domestic industry increased till April 2021 to June 2022, but significantly declined in the period of investigation. The profits of the domestic industry declined by ***% during the period of investigation as compared to the preceding year.

b. Whereas the cost of production increased in the POI as compared to preceding year, the domestic industry was unable to increase its prices in proportion to the increase in the cost of production, and even increase in the costs on account of raw materials and utilities. Resultantly, the domestic industry suffered a significant decline in profits in the POI. The price suppression suffered by the domestic industry in the POI led to a significant decline in profits in the POI.

c. The cash profits and return on investment also increased after the duties were imposed, but declined ***% and ***% respectively in the POI as compared to the preceding year.

90. The other interested parties have argued that the decline in the return on investment is due to unnecessary increases in capacities, higher interest rates on the borrowings, and higher depreciation. The Authority therefore examined the trends in profit before interest and depreciation, and trends in capital employed per unit of sales. It is seen that the profit before interest and profit before interest and deprecation per unit of sales have also shown a decline of 86% and 82% respectively in the period of investigation as compared to the preceding year. Further, the Authority determined the return on capital employed in the POI by considering per unit capital employed before the enhancement of capacity. It is seen that the ROCE would have been almost the same (***%) in the POI as against the actual return earned during the period of investigation (***%). Thus, the Authority does not find any merit in the contention that the decline in return on capital employed is on account of the capacity expansion.

f) <u>Growth</u>

91. The growth in various parameters of the domestic industry over the injury period was as follows:

Particulars	**Unit**	**2019-20**	**2020-21**	**Apr'21-Jun'22 (A)**	**POI**
Production	%	-	14%	-5%	212%
Domestic sales	%	-	2%	6%	194%
Profit / loss	%	-	578%	266%	-68%
Cash Profit	%	-	556%	257%	-53%
Return on investment	%	-	13%	19%	-35%
Capacity	%	-	0%	0%	300%

92. It is noted that the volume parameters of the domestic industry have shown growth over the period, after a drop in April 2021 to June 2022 in the production. However, while the profitability parameters of the domestic industry showed growth till the previous period, they have declined during the period of investigation. Further, the growth in capacity in the POI was more than the growth in production and domestic sales.

g) <u>Ability to raise capital investment</u>

93. It is noted that although the capacity of the domestic industry has increased during the injury period, the profitability of the domestic industry has decreased and recorded a decline in return on capital employed. The PBIT of the domestic industry has also been reduced. Further, it is noted that the return on capital employed is low and is not conducive to further investment. Thus, the imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment.

94. Some of the interested parties have argued that capital employed, fixed assets, and working capital of the domestic industry have also shown an increase. The Authority notes that the capital employed has increased in light of the capacity expansion undertaken by the domestic industry.

h) <u>Factors affecting prices</u>

95. It is noted that the imports are priced below the cost of sales and selling price of the domestic industry. The applicant was forced to adjust its prices in order to compete with the imports during the period of investigation. This has resulted in the domestic industry witnessing a deterioration in its profitability. It is thus seen that the imports were impacting the prices of the domestic industry during the present period of investigation.

i) <u>Magnitude of subsidy margin</u>

96. The Authority notes that the subsidy margin determined is significant and has destroyed the conditions of fair competition in the market.

G.4 Likelihood of continuation or recurrence of subsidisation and injury

97. The Authority observes that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued subsidization and consequent injury if the anti-subsidy duty is to be allowed to expire even if there is no current injury. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious subsidisation.

98. Thus, in a sunset review investigation, the Authority is required to analyse whether revocation of a measure is likely to result in the continuation or recurrence of injury to the domestic industry, contrary to the determination of injury in an original investigation.

99. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation of subsidisation or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry, in order to evaluate the likelihood of continuation of subsidisation or injury.

100. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation of subsidisation and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows.

a. Continued subsidization

101. The Authority notes that there is continued and significant subsidisation of the subject goods from the subject country in spite of the duties in force. Continued subsidisation during the existence of duties indicates the likelihood of continuation of subsidies.

b. Increase in imports in relation to the demand-supply gap

102. While the absolute volume of imports has declined, the applicant has emphasized that the same is because of the increased capacity during the period of investigation. If imports from China PR are seen in relation to the demand-supply gap in the country, it would be seen that imports have in fact increased.

103. The Authority notes that during the first part of the injury period, the imports were meeting the demand in India that the Indian industry could not fulfil owing to absence of production capacities. However, during the period of investigation, despite the increase in the Indian capacity and the existence of capacities sufficient to meet entire Indian demand, the imports catered to one-third of the Indian demand. It is seen that the exporters from the subject country have taken away the market that the domestic industry could easily cater. Further, a comparison of the selling price of the domestic industry with the landed price of imports in the POI after the addition of CVD shows that the domestic industry was selling the product at almost comparable to the landed price of imports. Thus, in the absence of duties, either the importers are likely to further shift to imports, thereby further impacting the market share held by the domestic industry, or the domestic industry is likely to reduce the prices in proportion to the present CVD.

c. Absolute market share held by subject imports

104. The Authority noted that there was no demand-supply gap in the country during the period of investigation. Against a demand of ***MT, the Indian capacity is roughly ***MT. Despite this, the imports account for nearly one-third of the market share. Further, the landed price of imports after the addition of CVD is very comparable to the selling price of the domestic industry. The applicant has emphasised that the imports have prevented the applicant from increasing its sales commensurate with the increase in its capacity. It is noted that the absolute volume of imports and their share in the Indian market is quite significant to cause adverse price effects in the absence of CVD. Further, the increase in sales of the domestic industry was not in tandem with the increase in its capacities, thus showing the existing adverse effect of imports on the domestic industry.

d. Decline in profitability of the domestic industry

105. The profitability of the domestic industry improved after the duties were imposed in 2019. However, during the period of investigation, the landed price of the imports from China PR was below the cost of sales of the

domestic industry. Further, the landed price of imports in the POI as compared to preceding year did not increase in proportion to the increase in costs on account of raw materials and utilities. As a result, the domestic industry faced price suppression and resultant decline in its profitability. It is seen that even though the domestic sales of the domestic industry increased by 194%, the total profits declined by 68%.

106. The Authority notes that the return on capital employed in the POI was only 5%. The domestic industry has invested nearly ₹ *** crores to meet the Indian demand and eliminate the demand - supply gap in the country. However, the return generated is not viable for such an investment.

e. Expiry of duties likely to result in losses

107. It is seen that the landed price of imports is below the cost of production of the domestic industry. Further, since the domestic industry is at present selling at a price very comparable to the landed price of imports after addition of CVD, it is very likely that the applicant will be forced to match these prices even after cessation of CVD. Should that happen, the domestic industry is likely to suffer significant financial losses, cash losses and negative return on capital employed.

Particulars	Unit	Actual	Likely	Impact
Cost of sales	₹/MT	***	***	-
Selling price	₹/MT	***	***	-8%
Landed Price	₹/MT	4,77,072 (With CVD)	4,39,387 (Without CVD)	
Profit/loss	₹/MT	Profit	Loss	-284%
Profit/loss	₹ lakhs	Profit	Loss	-284%
Cash profits	₹ lakhs	Profit	Loss	-195%
Return on investment	%	***	***	-212%

f. Increasing global restrictions on the subject goods and decreasing demand

108. The domestic industry has provided a market research report by VynZ Research which contains information regarding the capacity, production and demand in the subject country and globally. The Authority notes that as per the report, the global demand for the product under consideration is expected to shrink from 2023 to 2028. This would lead to price competition between the global producers of the subject goods and due to the subsidies available to the subject producers. The Chinese producers are likely to reduce their prices in the Indian market to gain market share. This would lead to unfair competition, and increase the demand for imported goods in India.

109. Moreover, as per the report, there is also a decline in the demand in China. In November 2021, the Ministry of Ecology and Environment in China included Atrazine in the list of products with "high pollution and high environmental risks". Thus, the demand for the product under consideration in the subject country is likely to decline. In such a scenario, the Chinese producers are likely to look for alternative markets for their goods and are likely to target India due to its increasing demand. The Authority notes that in the absence of duties, the Chinese producers are likely to increase their exports.

g. Export orientation of producers

110. The Authority notes that the producers of the subject goods in China PR have a capacity much higher than the domestic demand in China PR. As per the market research report by VynZ Research, against a demand of 49,000 in 2023, the capacity in China was nearly 1,20,000 MT. Thus, it is evident that the producers in China PR are export-oriented. Moreover, from 2019 to 2022, China's Atrazine export volumes accounted for more than 55% of the total sales. Thus, the exporters in the subject country are reliant on exports.

111. It is also seen that the exportable capacities of the producers in the subject country are huge when compared with the Indian demand.

Particulars	Volume (MT)
Capacity	1,20,000
Domestic demand	49,000
Exportable surplus	71,000
Exportable surplus in relation to capacity	59%
Merchant demand in India	***
Exportable surplus in relation to Indian demand	1,186%

112. Thus, the Authority notes that the exportable capacity in China is 11 times the demand in India and more than two times the demand in China. In the absence of duties, the producers will utilise their surplus capacities by targeting the Indian market.

h. <u>Idle capacities held by Chinese producers</u>

113. The applicant has also emphasised that the producers in the subject country hold idle capacities. As per the report, in 2023, against a capacity of 1,20,000 MT, the production for the subject goods in China was nearly 98,200 MT. Thus, it is seen that in addition to holding significant exportable capacities, the producers in the subject country are also suffering from significant idle capacities.

Particulars	**Quantity (MT)**
Capacity	1,20,000
Production	98,200
Idle Capacity	21,800
Merchant demand in India	***
Idle capacity in relation to Indian demand	364%
Additional exports to cater to entire demand	***
Additional capacity utilization for the same	3%

114. The Authority notes that the idle capacities in China are more than 3 times the demand in India. It is also seen that the Chinese producers can take away the entire Indian demand by a mere 3% increase in their capacity utilization.

i. <u>Idle capacities held by responding producer</u>

115. The Authority has also analysed the information submitted by the sole participating producer/exporter, Xiangshui Zhongshan Biotechnology Co., Ltd. It is seen that the participating producer/exporter is holding significant unutilised capacities and would be able to take away the remaining Indian demand by increasing its existing capacity utilization by 12%.

Particulars	**Quantity (MT)**
Merchant demand in India	***
Capacity of the responding producer	***
Capacity utilisation of the respondent	***
Excess capacity of the producer	***

116. It is noted that the unutilised capacity of a single producer/exporter alone is enough to cater to the entire Indian demand. The applicant has emphasised that apart from Xiangshui Zhongshan Biotechnology Co., Ltd., there are numerous other players in China PR with significant capacity to manufacturer the subject goods. Therefore, the producers in the subject country have significant capacities, which would allow them to take away the entire Indian market.

j. Importance of India as a market

117. The applicant has also emphasised that India is a key market for the producers in the subject country. The subject goods are used in making formulation, widely used on crops such as sugarcane. Since India is one of the largest sugarcane plantations in the world, the demand for the subject goods in India is likely to show growth in the near future. Thus, India is a key market for the exporters.

118. Examination of the questionnaire response filed by the responding exporter with regard to its exports to third countries has shown that the exporter has largely exported to two countries, ***, and ***. Analysis of these exports showed that exports to *** were much higher than exports to India (about twice), whereas exports to *** were significant (above 50%) as compared to exports to India. Further, the export prices to *** and *** were 7% and 11% lower than the export prices to India. The cumulative volume of exports to these two countries by the cooperative exporter is sufficient to take over 100% of the sales of the domestic industry.

G.5 Conclusion on injury and likelihood of continuation of subsidisation and injury

119. The evidences on record shows that there is likelihood of continuation of subsidisation and consequent injury to the domestic industry, in case of cessation of anti-subsidy duty in force. This is evident from the following conclusion:

i. The subject imports have remained significant even after the imposition of countervailing duty and enhancement of production capacities in the country.

ii. The price undercutting is positive and significant.

iii. The landed price of imports was below the cost of sales of the domestic industry.

iv. While the domestic industry is already facing suppressing effects on its prices, the imports are likely to suppress/depress the prices of the domestic industry further.

v. The capacity utilization of the domestic industry increased till 2020-21 but declined thereafter. The decline in the capacity utilization in the POI is not due to technical constraints associated with new production facilities.

vi. The domestic industry has not been able to increase its production in line with the increase in its capacities.

vii. The subject imports have accounted for more than one-third of the market despite the existing countervailing duties and significant capacity addition by the domestic industry.

viii. The imports are significantly higher than the demand-supply gap in the country. While the imports were not causing suppressing/depressing effect so long as there was a demand-supply gap in the country, imports caused a significant suppressing/depressing effect after the enhancement of the production capacities. The Chinese producers have prevented increase in prices in proportion to the increase in costs and full utilisation of production capacities.

ix. The profit, cash profit and return on investment of the domestic industry have drastically declined in the period of investigation. Decline in profit before interest and depreciation shows that such decline is not due to capacity addition, but due to the inability of the domestic industry to increase its prices in proportion to the increase in costs on account of raw materials and utilities.

x. The profitability parameters of the domestic industry have declined during the period of investigation.

xi. The imports have impacted the prices of the domestic industry during the period of investigation.

xii. There is continued and significant subsidisation of the subject goods from the subject country.

xiii. The global demand and the demand in the subject country is likely to lead to an increase in imports from China and would lead to unfair competition and increase the demand for imported goods in India.

xiv. The producers in China PR have a capacity much higher than the domestic demand in China PR and are highly export-oriented.

xv. The exportable capacity in China is 11 times the demand in India.

xvi. In addition to holding significant exportable capacities, the producers in the subject country are also suffering from significant idle capacities.

xvii. India is one of the key markets for exporters since it is one of the largest sugarcane plantations in the world.

xviii. The export price of the responding exporter to the rest of the world in general and to its largest market, in particular, was materially below the export price to India. This volume alone would be more than adequate to take care of another one-third of the demand in India and would allow the responding exporter to earn much higher revenue than exporting to third countries.

H. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

120. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price.

121. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on the facts available.

122. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

SN	Countries	Non-injurious price	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
		(Rs/MT)	(Rs/MT)	(Rs/MT)	(%)	(Range in %)
A.	**China PR**					
1.	Xiangshui Zhongshan Biotechnology Co., Ltd.	***	***	***	***	5-15%
2.	Others	***	***	***	***	10-20%

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

123. The Authority examined whether other factors listed under the CVD Rules could have caused injury to the domestic industry. As per the Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other

than subsidised imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the subsidised imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry.

a) Volume and value of imports from third countries

124. There are no imports of the subject goods from any other country and thus, there is no injury on account of imports from third countries.

b) Contraction in demand

125. The demand for the subject goods increased in 2020-21 and declined after. However, the demand has increased again during the period of investigation. There is no information on record to suggest a contraction in demand. The domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand.

c) Pattern of consumption

126. There has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, to which the injury suffered can be attributed.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

127. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which can cause injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

128. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry has suffered injury.

f) Productivity

129. The productivity of the domestic industry has not decreased and thus, it has not suffered injury on this account.

g) Export performance of the domestic industry

130. The domestic industry has segregated the export performance from the domestic performance, and thus, no injury has been caused in this account.

h) Performance of other products

131. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the product under consideration only.

<u>Conclusions on a causal link</u>

132. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the subsidised imports.

i. The imports account for the highest share in the Indian market, despite there being no demand-supply gap.

ii. The domestic industry has been unable to increase its domestic sales, in line with the increase in its capacity.

iii. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. Further, the landed price of imports after the addition of countervailing duties is very comparable to the selling price of the domestic industry.

iv. The landed price is below the cost of sales of the domestic industry.

v. The imports have prevented the domestic industry from increasing its prices, which otherwise would have occurred.

vi. The imports are likely to depress the prices of the domestic industry in the absence of duties.

vii. The profits of the domestic industry have declined during the period of investigation. Resultantly, cash profits and return on capital employed have also declined.

viii. In the absence of countervailing duties, the domestic industry is likely to suffer financial losses, cash losses and negative return on capital employed.

133. Thus, the Authority concludes that there exists a causal link between the subsidised subject goods and injury to the domestic industry.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

134. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 31st May 2024. The interested parties were directed to file their comments on the disclosure statement by 6th June 2024. The Authority has examined all the post–disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

J.1. <u>Views of the other interested parties</u>

135. The other interested parties have made no submissions on the disclosure statement.

J.2. <u>Views of the domestic industry</u>

136. The domestic industry has made the following comments:

i. The injury margin determined for the participating producer is materially lower than that determined by the domestic industry.

ii. The present anti-subsidy duty is inadequate and has not been able to address the injury to the domestic industry. There is a need for enhancement of duties in the present case.

iii. The imports were undercutting the prices of the domestic industry even after the imposition of duty. If the domestic industry does not maintain the price parity with imports, then it would have no option but to shut down the plant.

iv. Since the exporters from China PR have continued to export to India at low prices, the Authority should impose the highest duty possible for the non-cooperative exporters.

v. The injury margin in post-POI is not only positive and significant, but also increased.

vi. In the past, the Authority has modified the quantum of duty in a situation where the volume of imports in the current period is significant, the injury situation of the domestic industry is fragile or the domestic industry has suffered material injury.

vii. Since the response furnished by the producers / exporters is not complete, the Authority should treat the exporter as non-cooperative and apply adverse facts to the exporter and deny individual duty to the exporter.

viii. It would be inappropriate to compare the performance of the domestic industry in the period of investigation to the period of investigation of the original investigation or the base year.

ix. The performance of domestic industry has increased due to the imposition of duty and enhancement of capacities.

x. The companies in China PR are fully backward integrated with easy access to all the major raw materials at a very low price.

xi. Brazil regulators have requested to ban the use of Atrazine which would increase imports into India.

xii. The price undercutting has become even more significant from July 2023 to December 2023.

xiii. The continuation of the current countervailing duty shall be in the larger public interest.

J.3. Examination by Authority

137. The Authority notes that most comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant parts of the findings. The Authority has examined the fresh issues raised by the interested parties.

138. The domestic industry has requested for enhancement of duty as well as re-quantification of margins for the cooperative and non-cooperative producers / exporters from China PR. However, the Authority has calculated the subsidy margin and injury margin based on the data on record furnished by various parties. While the duty is restricted by the quantum of injury margin, the domestic industry has not been able to furnish any information to show that the landed price is not accurate or that the non-injurious price determined is understated.

139. The Authority notes that despite duties in place since 2019, the price undercutting is positive and significant, and the imports have caused injury to the domestic industry. The performance of the domestic industry has deteriorated, and the domestic industry was forced to reduce its prices in order to compete with the imports at the cost of its profitability. Further, despite an increase in the capacity and the absence of a demand-supply gap, the import volume is high.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

K.1. Submissions made by other interested parties

140. The other interested parties have made the submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. Continuation of duty is not in the public interest as it would damage the long-term and fundamental interest of the applicant since it would be reluctant to improve.

ii. Increased prices will shrink the downstream industries and cause an overall decline in demand.

iii. Inappropriate protection leads to an unfair competitive environment and may lead to deterioration of the relationship between Indian industry and downstream users.

K.2. Submissions made by the domestic industry

141. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. No consumer has participated in the investigation.

ii. No formulation manufacturers or any associations of farmers have contested the continuation of anti-subsidy duties.

iii. The continuation of the duty would be in the interests of the domestic manufacturers since the imports have precluded the domestic industry from fully establishing its plant.

iv. It is in the consumers' interest to have a competitive domestic industry capable of supplying the product to the consumers in competition to fair-priced imports.

v. Since the imposition of duties, the Indian industry has grown from two to four producers in the country.

vi. The applicant has increased its capacities in order to meet the growing demand for the subject goods in India and eliminate the demand-supply gap in the country.

vii. Since there are 4 producers of the subject goods in India, there is no monopoly held by any producer in the Indian market.

viii. The goods can be imported from Israel, EU and USA as well.

ix. The duties have not had any adverse effect on the downstream users since the demand has increased since the original investigation.

x.The applicant has significantly invested in India to serve the Indian market, not globally.

xi. Continued profitable operations allow Meghmani Group to extend its CSR activities to a larger segment of society.

xii. The support by the Government of China has had an adverse effect on the conditions of competition in India.

xiii. Continuation of duties will ensure a level playing field in the market for both Indian and foreign suppliers and the same will not restrict the availability of the subject goods

xiv. In case of continuation of duties, the outgoing foreign exchange would be conserved, which would lead to a favourable balance of payment.

xv. There is no justification to spend valuable foreign currency on such commodity products, that can be produced locally.

xvi. The availability of healthy domestic production is necessary from an agricultural perspective.

xvii. The impact of the duty on the downstream industry would be minuscule.

xviii. The duties imposed did not have an adverse impact on the consumers and the continuation of the duties will also be in the interest of the public.

K.3. <u>Examination by Authority</u>

142. The Authority notes that the purpose of duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidisation so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The continuation of anti-subsidy measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. The Authority recognizes that the continuation of anti-subsidy duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the continuation of anti-subsidy measures. On the contrary, continuation of anti-subsidy measures would ensure that no unfair advantages are gained due to subsidy provided, prevent a decline in the performance of the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

143. Post initiation of the investigation, the Authority issued an Economic Interest Questionnaire to all the interested parties. However, the response to the questionnaire was filed only by the domestic industry. None of the importers or users of the subject goods, have participated in the investigation or filed a response to the Economic Interest Questionnaire. Further, the administrative ministry for the subject goods and the downstream product has also not objected or made any statement regarding the continuation or expiry of duty.

144. The Authority notes that while certain interested parties have raised arguments that no measures should be imposed on grounds of public interest, no evidence has been provided to show that the duties in force have resulted in a deterioration in the performance of the users, or may lead to such deterioration. As noted above, despite the Authority providing an opportunity to provide structured and substantiated information, in the response to the Economic Interest Questionnaire, the users have abstained from doing so. In view of the same, the Authority notes that it cannot be concluded that the continuation of measures would result in an adverse impact on the user industry. Moreover, the Authority notes that the subject goods have application in the formulation used on various crops and croplands. Thus, it is seen that the subject goods are necessary in the agriculture sector and is an essential commodity for the industry.

145. In this regard, the Authority also notes that the domestic industry had furnished quantified impact of anti-subsidy duty on the users. As per the information shared by the domestic industry, the impact on users was in

about ***%. The claim of the domestic industry has not been disputed by the other parties. Therefore, it is concluded that the users have not been adversely impacted by the measures in force.

Particulars	Unit	Value
Atrazine Technical Rate	Rs/MT	***
Atrazine Technical Rate	Rs/Kg	***
Proposed CVD		20.89
Yield of sugarcane on one acre of land	Tonne	100
Price of sugarcane	Rs / Tonne	3,150.0
Revenue	Rs	3,15,000
Impact of CVD		0.01%

146. With regard to the availability of the subject goods in the country, the Authority notes that the anti-subsidy duty does not restrict imports from the subject country, but only provides a level playing field. Such a level playing field has allowed certain producers to enter the market. The applicant has expanded capacity, while Best Agrochem Private Limited and GSP Crop Life Science Limited have also started producing the subject goods. This shows that the duties have reduced the user's dependency on imports and allowed the Indian industry to grow. The applicant has also emphasised that the Indian industry has significantly invested to serve the Indian and the continued profitability of the domestic industry would allow them to serve the marginalised and needy sections of the society.

147. As per the information on record, while there was a demand-supply gap in the country before the duties were imposed, there is no such demand-supply gap now. This shows that the imposition of countervailing duties has allowed the country to become self-sufficient.

Producer	Capacity
Meghmani Industries Limited	***
Insecticide India Limited	***
GSP crop Life science Limited	***
Best Agrochem Private Limited1	***
Total Indian Capacity	***
Total Indian Demand	***
Excess Capacity	***

148. The higher number of producers, coupled with excess capacity would also ensure inter-competition between the domestic producers. As a result, the users would be assured of competitive prices in the domestic market and easy availability of the subject goods. The applicant has also highlighted that the product can also be imported from other countries.

149. In view of the foregoing, the Authority concludes that the continuation of countervailing duty would not have a significant adverse impact on the users as well as to the availability of the subject goods in the domestic market.

L. CONCLUSION

150. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

i. The application for the sunset review has been filed by Meghmani Industries Limited. The applicant accounts for a major proportion of Indian production and constitutes the domestic industry for the purpose of the present investigation.

ii. The product under consideration is Atrazine Technical. The scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The product produced by the domestic industry is "like article" to the goods imported from China.

iii. The Government of China has not filed a response to the questionnaire, nor has provided any information relevant to various subsidy schemes. The response filed by the producer and exporter is not in the form and manner prescribed by the Authority. The Authority has relied on facts available on record for the determination of the margin.

iv. The producer has benefited from concessional payments towards land use rights, power, and raw materials at less than adequate remuneration. The producer / exporter has received benefit through various income tax exemptions and through preferential lending rates in China. The producer / exporter has also received various grants.

v. The subject imports have reduced in absolute terms as well as in relation to Indian production and demand in the injury period.

vi. The landed price is below the selling price and cost of sales of the domestic industry. The domestic industry has not been able to increase in the selling price in line with the increase in cost of sales and raw material costs.

vii. While the production and sales of the domestic industry increased with the increase in capacity, the domestic industry has not been able to utilize its capacity to the extent of increased demand. This is because, despite the absence of a demand-supply gap, the subject imports account for more than one-third of the demand.

viii. The global demand for the product under consideration is expected to shrink from 2023 – 2028, which would lead to price competition between global producers. Further, the exportable capacities of producers in China are huge and Chinese exporters have significant idle capacities. With India being a key market for producers in the subject country, with an increasing demand, there is a likelihood of increased exports to India in the absence of duties. Export prices to Brazil and Pakistan were lower than export price in India, which shows the price attractiveness of the Indian market.

ix. Injury in the present investigation cannot be attributed to any other factor, apart from the subject imports.

x. Continuation of duties would not reduce fair market competition in the market. There is no evidence to suggest that the present duties have adversely impacted the downstream users, or that the continuation of duties would have an adverse impact. By contrast, the duties in force have allowed more Indian producers to enter the market and have helped the domestic industry to expand its capacity. While there was a demand-supply gap in the country before the duties were imposed, there is no such demand-supply gap now.

M. RECOMMENDATIONS

151. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to them to provide information on the aspect of subsidisation, injury, causal link, likelihood of continuation of subsidisation and injury and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation in terms of provisions of sunset review investigation, the Authority has reached a conclusion that a continuation and revision of existing anti-subsidy duties is required in the present case.

152. The Authority, thus, considers it appropriate and necessary to recommend continuation of definitive duty equal to the figure indicated in Col. 7 of the duty table below for a period of five (5) years on all imports of the subject goods from the subject country. Therefore, considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, countervailing duty equal to the amount indicated in Col 7 of the duty table given

below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the subject goods, originating in or exported from China PR.

S. No.	**Heading/ Subheading**	**Description of Goods**	**Country of Origin**	**Country of Export**	**Producer**	**Duty amount as a % of CIF Value**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	38089199, 38089390 and 38089990	Atrazine Technical*	China PR	Any country including China PR	Xiangshui Zhongshan Biotechnology Co., Ltd.	9.28
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other than the producer at Sr. No. 1	11.94
3	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	11.94

*The product is also known under the following names:

6-Chloro-N-Ethyl-N’-(1-Methylethyl)-Triazine-2,4-Diamine;

2-Chloro-4-Ethylamino-6-Isopropylamine-S-Triazine;

2-Chloro-4-(Ethylamino)-6-(Isopropylamino)-S-Triazine;

2-Chloro-4-(Ethylamino)-6-(Isopropylamino)-Triazine;

Chloro-4-(Propylamino)-6-Ethylamino-S-Triazine;

Chloro-4-(Propylamino)-6-Ethylamino-S-Triazine, etc.

N. FURTHER PROCEDURE

153. An appeal against the recommendation of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.06.19 16:21:20 +05'30'